पंचम माला, खंड 37, अंक 21 बुधवार, 20 मार्च 1974/29 फाल्गुन, 1895 (शक)
Fifth Series, Vol. XXXVII, No. 21, Wednesday, March 20, 1974 Phalguna 29, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दसवाँ सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 37 में अंक 21 से 30 तक है
Vol. XXXVII contains Nos. 21 to 30]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिंदी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 21—बुधवार, 20 मार्च 1974/29 फाल्गुन, 1895 (शक)

No. 21—Wednesday, March 20, 1974/Phalguna 29, 1895 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
चेकोस्लोवाकिया के संसदीय प्रतिनिधी मंडल का स्वागत	Welcome to the Czechoslovak Parliamentary Delegation .	1

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या
*S. Q. Nos.

364. महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Irrigation projects in Maharashtra .	1–3
366. त्रिपुरा में कागज मिल	Paper Mill in Tripura . .	3–4
367. विदेशी फर्मों द्वारा क्षमता के विविधीकरण के कारण विदेशी मुद्रा की हानि	Loss of Foreign Exchange due to Diversification of capacity by Foreign Firms .	4–6
369. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के किराया खरीद संबंधी कार्यों की जांच	Enquiry into Hire-Purchase Operations in NSIC . .	7–11
371. शिवाजी के राज्याभिषेक के 300 वें समारोह के अवसर पर डाक-टिकट	Stamp on Tricentenary Celebration of Coronation of Shivaji	11–12
372. औद्योगिक गैसों की मांग और उत्पादन	Demand and Production of Industrial Gases . . .	12–13
373. राष्ट्रीय उत्पादन और आय में औद्योगिक उत्पादन की मात्रा और उसके मूल्य का अनुपात	Proportion of Industrial Production and its value in National Production and Income	13–14
374. स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन की राशि में राज्य सरकारों द्वारा हिस्सा बटाया जाना	Sharing the amount of Pension to Freedom Fighters by State Governments . . .	15–16

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—6 LSS/74

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
365.	अपराधों की जांच के बारे में स्काटलैंड यार्ड के विशेषज्ञ के विचार	Views of a Scotland Yard Expert on Probe of Crimes . .	16–17
368.	मूल्य निर्धारण नीति का पुर्नविलोकन	Review of Pricing Policy .	17
370.	केरल में मरम्मत कार्यो के बारे में केन्द्रीय दल का प्रतिवेदन	Report of a Central Team on Repair Works in Kerala. .	17–18
375.	भारत के योजना मंत्री तथा अमान के विकास मंत्री के बीच हुई बातचीत	Talks held between Planning Minister of India and Development Minister of Oman .	18
376.	अनुसूचित जातियों / जनजातियों के लिये कर्नाटक द्वारा बनाई गई गृह-निर्माण योजना	Scheme by Karnataka for construction of Houses for Scheduled Castes/Tribes . .	18–19
377.	डालटनगंज टेलीफोन केन्द्र	Daltonganj Telephone Exchange	19–20
378.	पांचवीं योजना में आत्म निर्भरता	Self reliance in Fifth Plan .	20
379.	वसंत बिहार, दिल्ली में एक झोंपडी में आग लग जाने से बच्चों की मृत्यु	Death of Children due to Fire in a hut in Vasant Vihar, Delhi	20
380.	थुम्बा स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र के कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच झगडा	Dispute between Employees and Management of Vikram Sarabhai Space Research Centre, Thumba	21
381.	ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की खपत को कम करने के लिये गोबर गैस संयंत्रों का लगाया जाना	Setting up of Gobar Gas Plants to reduce consumption of Kerosene Oil in Rural Area .	21
382.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पांचवी योजना में उद्योग का विस्तार कार्यक्रम	Expansion of Industries Programme by K.V.I.C. during Fifth Plan	22
383.	ट्यूबों और टायरों का निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाना	Premium paid on Tubes and Tyres	23

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3779.	भूतपूर्व मैसूर क्षेत्र तथा कर्नाटक राज्य में उद्योग	Industries in Old Mysore area and Karnataka State . .	23
3780.	कुवैत और पश्चिमी जर्मनी में भारतीय इंजीनियर	Indian Engineers in Kuwait, West Germany and Australia	24
3781.	भाखडा बांध के निकट नहला में कागज का कारखाना लगाना	Setting up of Paper Mill at Nehla near Bhakra Dam .	24
3782.	राज्यों में शिक्षित व्यक्तियों के लिये रोजगार	Employment for Educated in States.	24–2
3783.	विद्युत वितरण में विद्युत कंडक्टरों की भूमिका	Role of conductor in Power Distribution	25
3784.	बिहार के विभिन्न खंडों के आदिवासियों की ऋणग्रस्तता	Indebtedness among tribals in various blocks in Bihar .	25–26
3785.	दिल्ली में मोतियाखान में आग लगना	Fire in Motia Khan, Delhi .	26
3786.	"राजा काका" फिल्म में अशिष्टता और गुण्डागर्दी के सीन	Scenes of Villianism and Goondaism in the film 'Raja Kaka'	26
3787.	मध्य प्रदेश के अनुसूचित जातियों के भूमिहीन मजदूरों को मकानों के लिए प्लाट दिया जाना	Allotment of residential plots to SC landless labourers of M.P.	27
3788.	पूर्व निमाड जिले में हरिजनों को भूमि का आबंटन	Allotment of land to Harijans in East Nimar District .	27
3789.	पांचवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश में पिछडे क्षेत्रों का विकास	Development of Backward areas in M.P. during Fifth Plan .	27
3790.	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों का विकास	Development of areas having concentration of Scheduled Tribes	27–28
3791.	गोबर आदि का लाभदायक उपयोग	Conversion of animal wastes .	28–29
3792.	गुजरात में दीर्घावधि (लांग–टर्म) वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिक	Pak nationals staying on long term visas in Gujarat .	29
3793.	केरल की बीमार कपडा मिलो में नियंत्रकों की नियुक्ति	Appointment of Controllers in Sick Textile Mills, Kerala .	29

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3794.	थोरियम और यूरेनियम निक्षेप	Thorium and Uranium Deposits	30-31
3795.	परमाणु उपकरणों के लिए विदेशी मंडियों	Foreign Markets for Nuclear Equipment	31
3797.	दिल्ली में टेलीफोन के बिलों में राशि को बढा चढा कर दिखाना	Inflated Bills for Telephones in Delhi	31-32
3798.	भट्टी तेल के अभाव के कारण उद्योगों का बंद होना	Closure of Industries for want of Furnance Oil .	32
3899.	वर्ष 1970-72 में उद्योगों को हानि	Loss in Industries during 1970-72	32
3800.	सीमेंट निर्माताओं की कठिनाइयां	Difficulties of Cement Manufacturers	33
3801.	बंगलौर में घडी निर्माण केन्द्र का विकास	Development of Watch Manufacturing Centre at Bangalore .	33
3802.	लघु उद्योग क्षेत्र में घडी उद्योग का विकास	Devlopment of Watch Industry in Small Scale Sector . .	33-34
3803.	मध्य प्रदेश में स्वचालित टेलीफोन व्यवस्था	Automatic Telephone System in M.P.	34
3804.	बस टायरों की सप्लाई के लिये मध्य प्रदेश से आवेदन पत्र	Application from M. P. for Supply of Bus Tyres . . .	34
3805.	मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधायें	Postal Facilities in Rural Areas of M.P.	34
3806.	सेन्ट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीटयूट, कलकत्ता द्वारा विकसित मिनी फिल्टर पम्प	Mini Filter Pump developed by Central Glass and Ceramic Research Institute, Calcutta	35
3807.	अन्तर्देशीय पत्रों के लिए कागज का प्रयोग	Use of Paper for Inland Letters	35
3808.	कृषि उत्पादन का मूल्य	Value of Agricultural Production	35-36
3809.	भारतीय समाचार पत्रों में विदेशी धन का प्रयोग	Use of Foreign Money in Indian Press	36
3810.	गुजरात में छात्र हिंसा के कारण	Causes of Students Violence in Gujarat	36
3811.	अपराधियों को सुधारात्मक दंड देने का प्रस्ताव	Proposed Reform Oriented Punishment to Criminals .	36-37

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3812.	ऊर्जा स्त्रोतों के खपत ढांचे को बदलना	Changing Pattern of Consumption of Energy Sources .	37
3813.	"आई बी० एम्ज ब्रेजन वायोलेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News Report regarding "I.B.M.'s Brazen Violation" . .	37-38
3815.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश के पिछडे जिलों में लघु उद्योगों की स्थापना	Small Industries in Backward Districts of M.P. during Fifth Plan	38
3816.	सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के लिए 24 असैनिक रक्षा कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही	Legal Proceeding against 24 Civilian Defence Employees for Participating in token Strike	38
3817.	डलखोला तापीय विद्युत परियोजना	Dalkhola Thermal Power Project	39
3818.	छोटे पैमाने के क्षेत्र के उद्योगों के लिये कैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से कच्चा माल	Raw material through canalising Agencies for Small Scale Sector	39
3819.	विदेशों के सहयोग के साथ चलने वाली परियोजनाएं	Projects in Collaboration with Foreign Countries . .	39
3820.	पश्चिम बंगाल के विदेशी सहयोग योजनाएं	Foreign Collaboration schemes in West Bengal . . .	40
3821.	इन्दौर की संकट ग्रस्त कपड़ा मिलों के लिए रुई की खरीद में कथित घोटाला	Alleged Fraud in Purchase of Cotton for Sick Cloth Mills of Indore	40
3822.	आल इंडिया फेडरेशन आफ सेन्ट्रल गवर्नमेंट आफिसर्स एसोसिएशन द्वारा प्रधान मंत्री के निवास स्थान के समक्ष प्रदर्शन	Demonstration before P.M.'s House by All India Federation of Central Government Officers Association . . .	40
3823.	मध्य प्रदेश में हरिजनों आदिवासियों और पिछड़ी जातियों के लिए मकान	Residential Houses for Harijans Tribal People and Backward Class in M.P. . . .	41
3824.	सीमेंट की खपत पर प्रतिबंध	Restrictions on Consumption of Cement	41
3825.	सूर्य की गर्मी से बिजली पैदा करना	Generation of Power from Sun Heat	41

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3826.	महाराष्ट्र सर्किल में डाक, तार और टेलीफोन सेवाओं का कार्य-करण	Working of Postal, Telegraph and Telephone Services in Maharashtra Circle . .	41-42
3827.	केसिंगो (प्रयुक्त टायरों) का आयात	Import of Casings (Used Tyres)	42
3828.	बहु राशेय फर्मों का औद्योगिक प्रगति पर प्रभाव	Effect of Multinational Firms on Industril Growth . . .	42
3829.	बंगाल में सागर द्वीप का विकास	Development of Sagar Island in Bengal	43
3830.	1946 के रायल इंडियन नैवी विद्रोह में भाग लेने वाले व्यक्तियों को ताम्र-पत्र प्रदान करना	Award of Tamra Patras to Participants of Royal Indian Navy Uprising of 1946 . . .	43
3831.	बम्बई में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन पत्र	Applications for Telephone Connections in Bombay .	43-44
3832.	टेलीफोन उपकरणों का निर्माण और आयात	Manufacture and Import of Telephone Equipment . .	44
3833.	सर्चलाइट के सम्पादक द्वारा शिकायत	Complaint by Editor of Searchlight	44
3834.	उत्तर बंगाल में कागज परियोजना	Paper Project in North Bengal .	44
3835.	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक गैसों की कमी	Shortage of Industrial Gases in West Bengal. . .	45
3836.	जन संख्या के अनुपात में डाकखानों की संख्या	Proportion of Post Offices to the Population	46
3838.	नेशनल केमिकल लैबोरेटरी पुना, द्वारा विटामिन बी 6 बनाने का तरीका निकाला जाना	Process Developed by National Chemical Laboratory, Poona for Manufacture of Vitamin-B-6	46
3839.	पांच दिन का सप्ताह	Five days week	47
3840.	परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष द्वारा "फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों" की भारत को आवश्यकता के संबंध में किया गया वक्तव्य	Statement made by Atomic Energy Chief Advocating India's needs for Fast Breeder Reactors	47
3841.	श्री नागभूषण पटनायक को मृत्यु दंड माफी देना	Commutation of Death Sentence of Nagabhushan Patnaik	47-48
3842.	शांति नगर, दिल्ली से एक लडकी लापता होना	Missing of a girl from Shantinagar Delhi . . .	48

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3843.	आक्सीजन बनाने वाली कंपनियां	Companies producing Oxygen .	48
3844.	केन्द्रीय जांच ब्यूरो में सिपाहियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान किया जाना	Payment of Overtime Allowance to Constables in CBI .	49
3845.	केन्द्रीय जांच ब्यूरों में डाक ड्यूटी पर नियुक्त सिपाहियों को दैनिक भत्ते का भुगतान	Payment of Daily Allowance to constables in CBI on dak duty	49
3846.	पुनप्पा वयालार संघर्ष और तेलंगाना संघर्ष में भाग लेने वालों को पेंशन देना	Grants of pension to participants of Punnappa Vayalar Struggle and Telengana Uprising	49-50
3847.	दिल्ली में एक विभाग के लिये पांचवी योजना में नियतन	Fifth Plan allocation for a department in Delhi .	50
3848.	गुजरात राज्य में लोकपाल की नियुक्ति	Appointment of a Lok Pal in Gujarat State . . .	50
3849.	बड़े और छोटे समाचार पत्रों द्वारा अपनी अधिकृत बिक्री के बारे में जाली प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना	Getting of Bogus Certificates by Big and Small Newspapers in Regard to their Authorised Circulation . . .	51
3850.	भागलपुर और मुंगेर में टेलीफोन व्यवस्था और टेलीफोन एक्सचेंजों का कार्यकरण	Functioning of Telephone System and Telephone Exchanges in Bhagalpur and Monghyr	51-52
3851.	मनीपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि की समीक्षा	Review of Period of President's Rule in Manipur . . .	52
3852.	नई परमाणु-परियोजनाओं की स्थापना	Setting up of New Atomics Projects	52
3853.	देश में टेलीफोन व्यवस्था का कार्यकरण	Working of Telephones in the country	52-53
3854.	दिल्ली में भारत रक्षा नियमों के अधीन की गई गिरफ्तारियां	Arrests made under DIR in Delhi	53
3855.	बडे व्यापार गृहों को लाइसेंस/आशय-पत्र जारी करना	Issue of Licenses/Letters of Intent to Big Business Houses .	53-54
3856.	जनगणना विभाग के फालतू हुए कर्मचारियों को खपाना	Absorption of Surplus Employees of Census Department	54

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3857.	स्वर्गीय प्रो० सत्येन बोस, स्वर्गीय श्री अमीर खा और श्री एस० एन० रत्नजंकर के संबंध में स्मारक टिकटें जारी करना	Commemoration stamps on Late Prof. Satyen Bose, Late Shri Amir khan and Shri S.N. Rattan Jhankar . . .	55
3858.	पांचवीं योजना में उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगो में पुंजी निवेश	Investment in High priority Industries during Fifth plan . . .	55–56
3859.	पश्चिम बंगाल तथा आसाम में आदिवासियों को आवास सुविधायें	Housing Facilities for Tribals in West Bengal and Assam	56
3860.	आगरा और नागपुर लाइनों के बीच तांबे के तार की चोरी	Theft of Copper wire between Agra and Nagapur lines .	56–57
3861.	सरकारी विज्ञापन पाने वाले राजस्थान के समाचार पत्रों के नाम	Names of Newspapers from Rajasthan which take advertisements from Government .	57
3862.	कर्नाटक के लिए वार्षिक योजना परिव्यय	Annual plan outlay for Karnataka	57–58
3864.	नए औद्योगिक एककों के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी न किया जाना	Non-issue of Industrial Licences for New industrial Units	58
3866.	मिदनापुर जिले में ई० डी० बी० ओ० का दर्जा बढाया जाना	Upgrading of EDB.Os. in District Midnapore . .	58–59
3867.	विभिन्न कम्पनियों द्वारा निर्मित टेलीवीजन सेट	T.V. Sets manufactured by different Companies . .	59
3868.	पांचवीं योजना में स्थापित किये जाने वाले रेडियो स्टेशन	Radio stations to be set up during Fifth plan . .	59
3870.	जल और वायु के दूषण को रोकना	Prevention of pollution in Air and water	60
3871.	पांचवीं योजना में पोत प्रांगणों (शिप बिल्डिग यार्ड्स्) का निर्माण	Construction of Ship Building Yards during Fifth plan	60
3872.	चौथी पंचवर्षीय योजना में तारघरों का खोला जाना	Opening of Telegraph offices in fourth plan . . .	60–61
3873.	चौथी योजना के दौरान डाकघरों का खोला जाना	Opening of New post offices during Fourth plan . .	61
3874.	हवाई डाक रात्रि सेवाएं	Night Air Mail Services	61

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3875.	अखबारी कागज का अकाल दूर करने के लिए वन रक्षकों, वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों का देहरादून में हुआ सम्मेलन	Conference of Foresters, Scientists and Industrialists at Dehradun to Overcome Newsprint Famine. . .	61-62
3876.	कोटा टेलीफोन्स के कार्यकरण के बारे में शिकायतें	Complaints about working of Kota Telephones . .	62
3877.	नरोरा परमाणु बिजली संयंत्र के लिए परम्परागत उपकरणों की सप्लाई	Supply of Conventional Equipment for Narora Atomic Power Plant	62
3879.	असाम, पश्चिम बंगाल, उडीसा तथा त्रिपुरा में उद्योगों की स्थापना के लिये आवेदन पत्र	Applications for Setting up Industries in Assam, W. Bengal. Orissa and Tripura .	62-63
3880.	नेशनल इंस्ट्रमेंट आफ इंडिया (कलकत्ता) लिमिटेड में कैमेरा परियोजना का विस्तार	Expansion of Camera Project in National Instrument of India (Calcutta) Ltd. . .	63-64
3881.	गृह मंत्रालय में हरिजन कल्याण विभाग	Department in Home Ministry for Harijan Welfare . .	64
3882.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का कागज परियोजना स्थापित करने के लिये सायमन इन्टरनेशनल के साथ करार	Agreement between NIDC and Simons International for setting up Paper Project .	64-65
3883.	लाटरी टिकटों की बिक्री से आय	Earnings through Sale of Lotteries	65
3884.	बिहार में कच्चे माल का उपलब्ध न होना	Non Availability of Raw materials in Bihar . . .	65
3885.	त्रिपुरा से आसाम में जनजातियों का प्रवजन	Migration of Tribals from Tripura to Assam . .	66
3886.	बिहार में किराये की इमारतों में काम कर रहे डाकघर	Post Offices in Rented Building in Bihar	66
3887.	मंत्रालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में काम कर रहे सलाहकार / परामर्शदात्री निकाय	Advisory/Consultative Bodies Functioning in the Ministry and Subordinate Offices .	66
3888.	विद्रोही नागाओं द्वारा मारे गये व्यक्तियों की संख्या	Number of Persons killed by Naga Rebels . . .	67

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3889.	कर्नाटक में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु स्वनियोजन (सैल्फ एम्प्लायमेंट) योजनाए	Self-employment Schemes to provide jobs to Educated Unemployed in Karnataka . .	67
3890.	कर्नाटक के विभिन्न खंडों में आदिवासियों की ऋणग्रस्तता	Indebtedness among Tribals in various Brocks in Karnataka	68
3892.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कैलेण्डरों तथा डायरियों का मुद्रण	Printing of Calendars and Diaries by Ministry of Information and Broadcasting .	68
3893.	जनगणना विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की छांटनी	Retrenchment of Employees working in Census Department .	68
3894.	डाक तार विभाग में लेखा अधिकारी के खाली पड़े पद	Vacant Posts of Accounts Officers in P. & T. Department .	71
3895.	वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973–74 में छापे गये कैलेंडर तथा डायरियों की संख्या	Calendars and Diaries printed during 1971-72, 1972-73 and 1973-74	71–72
3897.	सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी करने से पूर्व प्रत्यक्ष निरीक्षण	Physical Inspection before issue of COB Licence . . .	72
3898.	पश्चिम बंगाल के पिछड़े इलाकों में उद्योग	Industries in Backward Areas of West Bengal . . .	72–73
3900.	पश्चिम बंगाल में 'रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करना' कार्यक्रम में बाधा	Set Back to Additional Employment Programme in West Bengal	73–74
3902.	पूर्णकालिक अध्यक्ष को नियुक्त करके राष्ट्रीय सूती कपडा निगम का पुनर्गठन	Reorganisation of National Textile Corporation with fulltime Chairman	74
3903.	विभागेत्तर डाकघरों (एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल आफिसिज) के कर्मचारियों की और से उनकी परिलब्धियों में वृद्धि के लिये अभ्यावेदन	Representation from Employees of E.D. P. Os. for increase in Emoluments . . .	75
3904.	केरल में सेन्ट्रल ग्लास एंड सेरमिक इंस्टिट्यूट का विस्तार केन्द्र	Extension centre of Central Glass and Ceramic Institute in Kerala . . .	75
3905.	गेहूं का उत्पादों के निर्माण के लिये लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Licences of Manufacture of Wheat Products . . .	75–77

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3906.	केरल के क्विलोन जिले में उप-डाकघर तथा मुख्य डाकघर	Sub-Post Offices and Main Post Offices in Quilon District of Kerala	77–78
3907.	केरल में हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों का उत्थान	Upliftment of Harijans and Backward Classes in Kerala .	78
3908.	पांचवीं योजना में केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक संबंधी सुविधायें	Postal facilities in Rural Areas of Kerala during Fifth Plan	78–79
3909.	स्वेच्छा से आत्म समर्पण करने वाले डाकुओं पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा व्यय किया गया धन	Amount spent by Madhya Pradesh Government on Dacoits Surrendered Voluntarily .	79
3910.	मध्य प्रदेश में पांचवीं योजना में कागज संयंत्र की स्थापना	Paper Plants in Madhya Pradesh during Fifth Plan . .	79
3911.	मध्य प्रदेश के लिये बृहद वार्षिक योजना	Larger Annual Plan for Madhya Pradesh	79
3912.	तेल के मूल्य में वृद्धि के कारण वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of Commodities due to rise in Oil Price	80
3913.	टेलीफोनों का अनधिकृत प्रयोग	Unauthorised use of Telephones	80
3914.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	National Industrial Development Corporation Ltd . . .	80–81
3916.	देश में खोले गये डाक तथा तार डिवीजन	Postal and Telegraph Divisions opened in the country .	81
3917.	नये डाक घर खोलना	Opening of New Post Offices .	81–82
3918.	डाक तथा तार सलाहकार समितियां	P & T Advisory Committees .	83
3919.	भारत के औषध नियंत्रक द्वारा लाइसेंसिग समिति के सलाहकार के रूप में कार्य करना	Drugs Controller of India as Advisor to Licensing Committee . . .	83–84
3920.	लाइसेंसिग समिति द्वारा मदों का अनुमोदन	Approval of Items by Licensing Committee	84–85
3921.	कोचीन में भारतीय संविधान की प्रतियों का जलाया जाना	Burning of the copies of the Constitution of India in Cochin .	85
3922.	बेरोजगारी के बारे में भगवती समिति	Bhagwati Committee on Unemployment	86

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3923.	मितव्ययता अभियान के कारण प्रधान मंत्री सचिवालय में की गई बचत	Savings effected in Prime Minister Secretariat due to Economy Drive	86
3924.	दूर संचार उपकरणों का उत्पादन	Manufacture of Telecommunication equipment . . .	87
3925.	देव नागरी लिपि में संदेश प्राप्त करने तथा भेजने की सुविधा वाले तारघर	Telegraph Offices with facilities for receiving and Transmitting Messages in Devnagri Script.	87–88
3926.	देश के निम्नतम वर्ग के व्यक्तियों की आय तथा उपभोग के स्तर	Income and Consumption levels of lowest strata of population in the country	89
3927.	नेपाल के साथ सहयोग से कागज का उत्पादन	Paper production in Collaboration with Nepal . . .	89–90
3928.	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण पर लगाये गये प्रतिबंध का राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की गतिविधियों पर प्रभाव	Credit Squeeze of RBI Affected Activities of Industrial Development Corpration . .	90
3929.	चौथी योजना में लघु उद्योग	Small scale Industries in Fourth Plan	90
3930.	दिल्ली बीकानेर टेलीफोन लाइन	Delhi Bikaner Telephone line .	91
3931.	बम्बई में टेलीफोनों का कार्यकरण	Working of Telephones Bombay	91
3932.	ऊर्जा संकट का सामना करने के लिये अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करना	Setting up of Research centres to face Energy Crisis . .	91–92
3933.	मूल्यों को स्थिर रखने में केन्द्र की विफलता पर आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फैडरेशन द्वारा प्रस्तावित सांकेतिक हड़ताल	Proposed token strike by All India State Government Employees Federation on Centres failure to hold price line. . .	92
3934.	कलकत्ता टेलीफोन केन्द्र में टेली फोन के फालतू पुर्जों की कमी	Shortage of telephone spare parts in Calcutta Telephone Exchange	92
3935.	विलास सामग्री के उत्पादन पर प्रतिबंध	Ban on Production of Luxury goods	92–93
3936.	दिल्ली में "सिंह सेना" का संगठन	Organisation of "Singh Sena" in Delhi	93
3937.	भारत में धर्म और सम्प्रदाय	Religions and sects in India .	93–94

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3938.	आंध्र प्रदेश तथा तामिलनाडु के नगरों तथा उनकी राजधानियों के बीच डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा	STD Facility between towns in Andhra Pradesh and Tamil Nadu with their State Capitals	94
3939.	सिंगापुर से आजाद हिन्द फौज के शहीदों के स्मारक के भागों का स्वतंत्रता पूर्व भारत में लाया जाना	Pieces of INA Martyrs Monument of Singapore brought to Pre-Independent India .	94–95
3940.	साल्ट लेक, कलकत्ता में एक सांइक्लोट्रोन इन्स्टीटयूट की स्थापना	Setting up of a Cyclotron Institute at Salt Lake, Calcutta .	95
3941.	दिल्ली के जामा मस्जिद के बाजार में आग	Fire in Jama Masjid Bazar, Delhi	95–96
3942.	राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित करना	Setting up of Small Scale Industries in Backward areas of Rajasthan	96
3943.	खादी ग्रामोद्योग आयोग के बिक्री केन्द्रों के कर्मचारी	Employees of Sale Depots in K. V. I. C.	96–97
3944.	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में चांदी वाला पंचाट को लागू करना	Implementation of Chandiwalla Award in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi . .	97
3945.	त्रिपुरा के भूमिहीन आदिवासियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को रिहायशी प्लाट देना	Residential plots to Landless Tribal and Scheduled Caste People in Tripura . . .	97
3946.	त्रिपुरा में शिक्षित बेरोजगारी के लिये रोजगार	Employment for Educated unemployed in Tripura . .	97
3947.	पश्चिमी घाटों का विकास	Development of Western Ghats	98
3948.	केन्द्रीय सरकारी उपभोक्ता सहकारी भंडार, नई दिल्ली के अंशधारियों की आम बैठक	General Body meetings of Share Holders of Central Government Consumer Co-operative Stores, New Delhi . .	98–99
3949.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी स्टोर, नई दिल्ली	Government Employees Consumer Co-operative Stores, New Delhi . . .	99–100
3950.	भूमिगत नागाओं एवं विद्रोही मिजों की राज्य विरोधी कार्यवाहियां	Insurgent Activities of the Underground Nagas and Rebel Mizos . . .	100–101

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3951.	कच्छ जिले (गुजरात) के भुज ताल्लुका में यूरेनियम निक्षेपों का विदोहन	Exploitation of Uranium Deposits in Bhuj Taluka of Kutch District (Gujarat) . .	101
3952.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों ारा सतनाला (त्रिपुरा) में आदिवासी महिला के अपहरण का प्रयास	Attempt by CRP Personnel to Kidnap Tribal Women at Satnala, Tripura . . .	101
3953.	पश्चिम बंगाल में अप्रयुक्त आशय-पत्र और लाइसेंस	Unutilized Letters of Intent and Licences in West Bengal .	102–103
3954.	छोटे समाचार पत्रों को वित्तीय सहायता देने संबंधी योजना	Scheme to render Financial Assistance to Small Newspapers .	103
3955.	राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की मांग	Demand for Greater Autonomy of States	103-104
3956.	भारतीय लाइसेंस तथा परमिट नीति	Indian Licensing and Permit Policy	104
3957.	आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों में उत्तर प्रदेश के कार्यकलापों और परिस्थितियों के उल्लेख संबंधी प्रसारण	Broadcast of References of Affairs and Development of U.P. in AIR News Bulletins .	104–105
3958.	पड़ोसी देशों के साथ फिल्मी मेलों का आयोजन	Holding of Film Festivals with Neighbouring Countries .	105
3959.	केन्द्रीय सेवाओं के लिये संविि क नियम बनाना	Framing of Statutory Rules for Central Services . .	105–106
3960.	'केवल वयस्कों के लिये' निर्धारित फिल्मों के ट्रेलर	Trailers of Films Marked for "Adults only" . . .	106
3961.	कर्नाटक में लाइसेंस-शुदा क्षमता से अधिक कार्य कर रहे औद्योगिक एकक	Industrial Units in Karnataka working beyond Licensed Capacity	106
3962.	आयोजना संगठनों का पुनर्गठन करने के लिये राज्यों के आयोजना बोर्डों को दी गई सहायता	Assistance given to State Planning Boards for Reorganisation of their Planning Machinery.	106–107
3963.	ओंकार सिंह हत्यांकाड में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस वि ाग द्वारा की गई कार्यवाही	Action taken by Police Department against persons in volved in Onkar Singh's Murder Case	107

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3964.	सरकारी कर्मचारियों ो ार ीय प्रशासन सेवा की परीक्षा में बैठने के लिये अवसर देना	Opportunity to Government Employees to appear in IAS Examination	107
3965.	औद्योगिक लाइसेंस देने के मामले में पांचवीं योजना के लक्ष्यों को सीधे कार्यान्वित करना	Implementation of Fifth Plan Target in the matter of Industrial Licensing . . .	108
3966.	परम्परागत स्त्रोतों से ऊर्जा का विकास	Development of Energy from the Conventional Sources . .	108–109
3967.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कांस्टेबिलों की वार्षिक वेतन वृद्धि	Annual increments of CRP Constables	109
3968.	आकाशवाणी के प्रसारण क्षेत्र का विस्तार	Expansion of Radio network of All India Radio . . .	109–110
3969.	इडक्करा में टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchange at Edakkara	110
3970.	उर्दू को दूसरी भाषा घोषित करने के लिये ज्ञापन	Memorandum to declare Urdu as Second language. . .	110
3971.	केरल में पेरिनगुथुर में टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchange at Peringuthur in Kerala . . .	111
3972	पश्चिम बंगाल को सीमेंट के लिये आयात लाइसेंस	Import licence to West Bengal for Cement . . .	111–112
3973.	कोल्हापुर में खोई पर आधारित अखबारी कागज का कारखाना लगाना	Setting up of Bagasse Based Newsprint Factory in Kolhapur	112
3974.	पांचवीं योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण	Intensive Industrialisation to West Bengal during Fifth Plan	112–113
3975.	दहोद में डाकघर व तारघर के भवनों का निर्माण	Construction of Post Office and Telegraph Office building in Dahod	113
3976.	पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials in Small Scale Industries in West Bengal . . .	113

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3977.	डाक पत्रों और तारों को भेजने में विलंब	Delay in Transmission of Postal Mail and Telegrams . .	114
3978.	उत्तरी भागलपुर के बिहारपुर, नौगछिया और गोपालपुर खंडों में डाक घर खोलना	Opening of Post Offices in Bihpur, Nangachhia and Gopalpur Blocks of North Bhagalpur	114
	बिहार की स्थिति के बारे में	Re. Situation in Bihar	. 115-116 व 116-118
	सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table.	. 115-116
	राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha .	116
	नियम 377 के अन्तर्गत मामला—	Matter under rule 377—	
	गुजरात विधान सभा भंग करने में गुजरात के राज्यपाल की कार्यवाही की संवैधानिकता	Constitutional validity of Gujarat Governor's dissolving Gujarat Legislative Assembly	118
	विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1974—	Appropriation (Vote on Account) Bill, 1974—	
	विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	119
	श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee .	. 119-120
	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee .	120
	श्री पी० एम० मेहता	Shri P.M. Mehta	120
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan.	120-121
	खंड 2, 3 और 1	Clasues 2, 3 and 1 .	121
	अनुदानों की मांगे (रलवे), 1974-75—	Demands for Grants (Railways), 1974-75—	
	श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar .	122
	श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey	. 122-123
	श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	. 123-124
	श्री ओंकारलाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa	. 124-126

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi	126
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga	129
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	. 129–130
श्री चन्द्र शैलानी	Shri Chandra Sahilani	. . 130–131
श्री राम हेडाऊ	Shri Ram Hedaoo	131
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	132
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda	. 132–133
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	. 133–134
कुमारी मणिबेन पटेल	Kumari Maniben Patel	. 134–135
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	135
श्री फूलचन्द वर्मा	Shri Phool Chand Verma	. 135–136
श्रीमती सहोद्राबाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai	136
श्री बीरेन्द्र सिंह राव	Shri Birender Singh Rao	. 136–137
श्री धामनकर	Shri Dhamankar .	. 137–139
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb	139
श्री स्वर्ण सिंह सोखी	Shri Swaran Singh Sokhi	139
श्री नारायण चन्द पराशर	Shri Narain Chand Parashar	139–140
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	140
श्री मोहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	. 140–141
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	141
बिहार की स्थिति के बारे में वक्तव्य—	Statement re. situation in Bihar—	
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit .	127
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
39 वां प्रतिवेदन	Thirty ninth Report . .	141
प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के संवाद दाता के निधन के बारे में वक्तव्य—	Statement re. Death of PTI Correspondent—	
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh . .	141

2—6 L. S. S./74

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
आधे घंटे की चर्चा—	Half an hour Discussion—	
वृद्ध आयु के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए पश्चिम बंगाल की बृहद योजना—	West Bengal Master Plan for rehabilitation of old displaced persons—	
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya .	141–143
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar	144

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 20 मार्च, 1974/29 फाल्गुन, 1895 (शक)
Wednesday, March 20, 1974/Phalguna 29, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

चेकोस्लोवाकिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत
WELCOME TO THE CZECHOSLOVAK PARLIAMENTARY DELEGATION

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे एक घोषणा करनी है। मैं, अपनी तथा सभा के सदस्यों की ओर से महामहिम श्री अलोई इन्दरा, चैकोस्लोवाकिया की संघीय सभा के सभापति का तथा चैकोस्लोवाकिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के माननीय सदस्यों के हमारे सम्मानित अतिथियों के रूप में भारत आगमन का स्वागत करता हूं।

महामहिम श्री अलोई इन्दरा अपने देश के विशिष्ट नेता हैं। वह राज्य योजना आयोग के 1962-63 में मंत्री-सभापति थे और 1964 से जनवरी, 1969 तक परिवहन मंत्री थे। वह फरवरी, 1971 से चैकोस्लोवाकिया समाजवादी गणतंत्र की साम्यवादी पार्टी की केन्द्रीय समिति की कार्यकरणी के सदस्य हैं और उन्हें अपने देश की उल्लेखनीय सेवा के लिये अनेक पदक मिल चुके हैं।

हम वर्षों से मित्र रहे हैं और मुझे उनके भारत आने पर खुशी है। हम उनके तथा उनके प्रतिनिधिमंडल के यहां सुखद तथा लाभप्रद निवास की मायना करते हैं। उनके माध्यम से हम चैक समाजवादी गणतंत्र की संसद्, सरकार तथा महान जनता को अपनी बधाई और शुभ कामनाएं भेजते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता

*364. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने उनसे यह अनुरोध किया है कि केन्द्रीय सहायता का वितरण करते समय न केवल निर्माणाधीन बड़ी सिंचाई और बिजली परियोजनाओं को पूरा किया जाने पर उचित ध्यान दिया जाए वरन सिंचाई की दृष्टि से राज्य के पिछड़ेपन पर भी उचित ध्यान दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

3—6 L. S. S./74

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां ।

(ख) अन्य राज्यों के सुझावों के साथ-साथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का यह सुझाव भी राष्ट्रीय विकास परिषद् के सामने रखा जाएगा ताकि पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को केन्द्रीय सहायता के आबंटन तथा बाजार से ऋण लेने के लिये जिन सिद्धांतों का अनुसरण करना पड़ेगा, उनके बारे में निश्चय किया जा सके ।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : क्योंकि इस मंत्रालय में दोनों मंत्री प्रगतिवादी हैं, अत: मैं अधिक उत्साहजनक उत्तर की प्रतीक्षा में था । क्या उनके महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के वक्तव्य के बारे में अपने कोई विचार हैं ? अत: मैं पूरक प्रश्न पूछने से पूर्व उनके विचार जानना चाहता हूं ।

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : क्योंकि सदस्य महोदय ने हमें प्रगतिवादी माना है अत: उन्हें निराश नहीं होना चाहिये था ।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : पांचवीं योजना के प्रारूप में कृषि उत्पादन बढ़ाने और कृषि में की गई तकनीकी प्रगति से भरपूर लाभ उठाने पर बल दिया गया है जिनके लिये जल सप्लाई का निश्चित होना अनिवार्य शर्त है । इसी प्रारुप के अनुसार सिंचाई हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है । फिर भी अन्तर्राज्यीय सिंचाई असन्तुलन अभी तक बने हुए हैं । इस संदर्भ में मैं सभा का ध्यान सिंचाई मंत्री के निम्न कथन की ओर दिलाना चाहता हूं :

> "यह सच है कि $\frac{1}{4}$ फसल अधीन क्षेत्र मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हैं जब कि सिंचाई की प्रतिशतता मध्य प्रदेश में केवल 10.2 है और महाराष्ट्र में 11.4 है जबकि अखिल भारतीय औसत 27.8 है ।"

अत: सिंचाई में विकासहेतु दोनों राज्यों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि अन्तर्राज्यीय असंतुलन कम करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री मोहन धारिया : योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार ने इस पर गंभीर रवैया अपनाया है और हमने सिंचाई को प्राथमिकता दी है । इसीलिए इस पर परिव्यय 1061 करोड़ से बढ़ाकर 2379 करोड़ रुपए कर दिया गया है । महाराष्ट्र के बारे में चौथी योजना के 1061 रुपए के परिव्यय में से राज्य को 145 करोड़ रुपए अर्थात् 14 प्रतिशत था । असंतुलन इसी प्रकार दूर होगा और इस दिशा में हम ठोस कार्यवाही कर ही रहे हैं ।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : महाराष्ट्र के 26 जिलों में से 10 सूखा-पीड़ित रहते हैं । बताया यह गया है कि ऐसे क्षेत्रों की आवश्यकता-पूर्ति उपलब्ध संसाधनों में से सर्वप्रथम होनी चाहिये । इस तथ्य और महाराष्ट्र के सुझावों के संदर्भ में क्या उक्त राज्यों को सिंचाई के लिये नियत राशि के मामले में प्रश्रय दिया जाएगा ?

श्री मोहन धारिया : सूखे से गंभीर रूप से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के मामले में प्रश्रय ही नहीं दिया जायेगा अपितु पता लगाए गए 54 क्षेत्रों के लिये 100 करोड़ रुपए के कार्यक्रम चौथी योजना में चालू भी किए गए थे । पांचवीं योजना में भी इस प्रकार के कार्य पूरे किए जाएंगे ।

श्री धाम्नकर : कुछ पूरी न हुई सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं, विशेषकर भाटसा में निर्माण कार्य सीमेंट और इस्पात की मूल्य वृद्धि के कारण वस्तुत: हल हो गया है और वस्तुस्थिति पर पुनर्विचार अपेक्षित है । क्या सरकार ऐसा करेगी और महाराष्ट्र को इन्हें पूरा करने के लिए अधिक धन देगी ?

श्री मोहन धारिया : मैंने अनेक बार स्पष्ट कहा है कि पांचवीं योजना में हमारा जोर ऐसी सभी अपूर्ण योजनाओं को पूरा करना होगा। जहां तक सीमेंट और इस्पात वरीयता के आधार पर देने की बात है, ऐसा किया जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : According to the hon. Minister, Rs. 100 Crores were allotted for drought prone areas during Fourth Plan and in Fifth Plan also this will be done. I, therefore, want to know the amount actually spent? whether less than half the amount was spent and if so, who is responsible therefor?

श्री मोहन धारिया : इसके लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री मधु दण्डवते : पहले सदस्य महोदय द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था उसमें महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के ज्ञापन में से उद्धरण दिया गया था और मंत्री महोदय के उत्तर में राशी नियतन में अपनाई जाने वाली कसौटी का उल्लेख है। अत: इस संदर्भ में क्या महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने स्वयं यह नहीं कहा है कि यद्यपि सिद्धांतता यह कसौटी दस्तावेजों में दर्ज है परन्तु वस्तुत: उसका उल्लंघन ही होता है और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में फसलें वर्षा पर ही निर्भर हैं। अत: इस विस्तुस्थिति को मानकर क्या मंत्री महोदय इन क्षेत्रों में सिंचाई योजनाओं पर अधिक बल देंगे ?

श्री मोहन धारिया : यह प्रश्न केन्द्रीय सहायता तथा उसकी शर्तों आदि के बारे में है और सभा को विदित है कि केन्द्रीय सहायता गाडगिल सूत्र के अनुरूप दी जाती है जिनके अनुसार 60 प्रतिशत जनसंख्या, 10 प्रतिशत शेष योजनाओं, 10 प्रतिशत कर-प्रयासों, 10 प्रतिशत विपदाओं और दस प्रतिशत राज्य के पिछड़े पन को देखते हुए दी जाती है। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के अनुसार पिछड़ेपन में सिंचाई में पिछड़ापन भी शामिल होना चाहिये। इस पर राष्ट्रीय विकास परिषद् ने विचार करना है। हम ये सुझाव उनके निर्णय के लिये उनके समक्ष रखेंगे।

श्री वसंत साठे : स्वयं महाराष्ट्र में ही मराठवाड़ा और विदर्भ में सिंचाई की प्रतिशतता 1.6 प्रतिशत है। नियतन करते समय सिंचाई में वास्तवमें पिछड़े क्षेत्रों में राशि समान हो, यह आप व्यापक आयोजन में यह कैसे सुनिश्चित करेंगे ?

श्री मोहन धारिया : महाराष्ट्र के साथ इस पर चर्चा के समय इस पहलू पर भी विचार किया जाएगा। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि गत दो वर्षों में स्वीकृत मध्यम सिंचाई योजनाओं में से लगभग 90 प्रतिशत विदर्भ और मराठवाड़ा के लिये हैं।

Paper Mill in Tripura

*366. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up any paper mill in Tripura State; and

(b) if so, the time by which it is likely to be set up and the outlines thereof ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) तथा (ख) त्रिपुरा सरकार से 82,500 मी० टन प्रतिवर्ष कमाई और लिखाई का कागज बनाने के लिये 54 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक कागज मिल लगाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस विषय में अभी निर्णय लिया जाना है।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know as to when this proposal was received and since when it is under consideration? Why an early decision has not been taken when there is serious paper crisis in the country?

श्री सी० सुब्रहमण्यम : हम कागज बनाने की काफी परियोजनाएं मंजूर कर ही चुके हैं। यह प्रस्ताव तो पूर्वोत्तर क्षेत्र से अतिरिक्त है। साथ ही, आसाम में दो परियोजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं। इस प्रकार हमने कुल उपलब्ध संसाधनों और क्षेत्रवार उद्योग के फैलाव का ध्यान रखा है। इसीलिये मामला विचाराधीन है और हमें योजना आयोग से अभी-अभी उनकी राय मिली है और शीघ्र ही यह मंत्रीमंडल में अन्तिम निर्णय के लिये विचारार्थ भेजा जाएगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : When the proposal was received from Tripura ?

श्री सी० सुब्रहमण्यम : जहां तक मुझे याद है शायद 1971 में यह प्रस्ताव आया था।

Shri Hukam Chand Kachwai : It has taken quite long. Since there are many transport problems in Tripura, whether any scheme for trail and road links has been formulated to ensure cheaper transport costs in respect of paper to be manufactured there ?

श्री सी० सुब्रहमण्यम : इस प्रकार की बड़ी परियोजना मंजूर करने से पूर्व इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है और किया जा रहा है और इन सुविधाओं के लिये भी साधन जुटाने होंगे जिनपर विचार किया जायेगा।

श्री ए० के० एम० इसहाक : औद्योगिक विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना सरकार की घोषित नीति है, इस सन्दर्भ में इस परियोजना के लिये कच्चा माल का वहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और क्या पूर्वी क्षेत्र विशेषकर त्रिपुरा और आसाम औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : किए गए संभाव्यता अध्ययन के अनुसार वहां कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। परन्तु यही कसौटी काफी नहीं है। हमें यह भी देखना होता है की इसका प्रभावी और किफायती आधार पर उपयोग भी संभव है या नहीं। मैं आश्वासन देता हूं कि कुछ ही सप्ताह में निर्णय हो जायेगा।

श्री बीरेन दत्त : क्या त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने इसकी आधारशीला भी रख दी है ? यदि हां, तो यह अभी विचाराधीन कैसे है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मुझे इसका पता नहीं है। क्योंकि संभाव्यता रिपोर्ट त्रिपुरा को दी गई थी, इसलिये शायद उन्होंने कोई निर्णय किया हो।

विदेशी फर्मों द्वारा क्षमता के विविधिकरण के कारण विदेशीं मुद्रा की हानि

*367. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शत प्रतिशत भारतीय फर्मों को, उनकी अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता और उन्हें आवंटित विदेशी मुद्रा के अन्तर्गत भी आयातित वस्तुओं के लिये विविधीकरण की अनुमति नहीं दी जाती;

(ख) क्या विदेशी फर्मों ने विविधीकरण योजना से बहुत लाभ उठाया है; और

(ग) क्या एकाधिकार तथा निबंन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली फर्मों को छोड़ कर अन्य भारतीय फर्मों को, उनकी पिछले तीन वर्षों की क्षमता और उनके द्वारा प्रयुक्त विदेशी मुद्रा के आधार पर उनके 40 प्रतिशत उत्पादन का आयातित कच्चे माल सहित नई वस्तुओं के लिए विविधीकरण करने की अनुमति देने का सरकार का विचार है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1966 में सभी वर्ग के उपक्रमों को निम्नलिखित शर्तों पर अपने उत्पादन में विविधता लाने की मुक्ति प्रदान की गई थी :—

(1) देश में उपलब्ध छोटे मोटे बैलेंसिंग उपकरणों के अलावा कोई अतिरिक्त संयंत्र या मशीनें अधिष्ठापित नहीं की जायेंगी ।

(2) कोई अतिरिक्त विदेशी मुद्रा व्यय नहीं की जायेगी ।

(3) विविधीकृत उत्पादन कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(4) विविधीकरण में विशिष्टता प्राप्त उद्योग जिसमें लघु उद्योग क्षेत्र पर्याप्त रूप से अभिरुचि रखता है सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

बड़े गृहों तथा विदेशी/बहुलांश कंपनियों को प्राप्त मुक्त विविधीकरण सुविधायें 1970 में उस समय वापस ले ली गई थी जब सरकार ने बड़े गृहों और विदेशी कंपनियों के सभी कार्यों को लाइसेंसिंग उपबन्धों के अधीन कर लिया तब से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । सरकार की विविधीकरण नीति की घोषणा अधिसूचना संख्या का० आ० 98(ई) /आई० डी० आर० ए० /29 बी/ 73/1 दिनांक 16 फरवरी, 1973 को की गई थी । (जो सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है) जिसमें विदेशी बहुलांश कम्पनियों और एकाधिकार निर्बंधनात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों के अलावा औद्योगिक उपक्रमों को मुक्त विविधकरण सुविधा स्वीकार की गई है ?

विविधीकरण की शर्तों और स्वीकृत सीमा का विशिष्ट विवरण इस अधिसूचना में दिया गया है ।

विदेशी कंपनियों द्वारा विविधीकरण योजना से उठाये गये लाभ के कोई आंकड़े नहीं रखे गये हैं क्योंकि 1970 से पूर्व ये कंपनियाँ औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किये बिना विविधीकरण कर सकती थी ।

श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या यह सच है कि जो विविधीकरण कार्यक्रम वर्ष 1966 से 1970 तक चला उसमें कच्चे माल के आयात की अनुमति प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दी गई थी जिससे प्रभुत्वशाली विदेशी क्षेत्र तथा भारत के बड़े औद्योगिक गृहों के विकास में सहायता मिली ? यदि नहीं, तो वर्ष 1970 के पश्चात विविधीकरण के अन्तर्गत उक्त क्षेत्रों की फर्मों के अतिरिक्त फर्मों को 25 प्रतिशत आयात का विवविधीकरण करने की अनुमति क्यों दी गई और सन्तुलनकारी उपकरण तथा कच्चे माल के आयात पर प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं अनुपूरक प्रश्न को न ही समय सका परन्तु यदि माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि 1970 के पश्चात् विविधीकरण की अनुमति क्यों नहीं दी गई तो मैं यह बताना चाहता हूं कि बड़े औद्योगिक गृहों तथा विदेशी स्वामित्ववाली कंपनीयों के विविधीकरण की अनुमति नहीं हैं । जहां तक दूसरों का संबंध है, उन्हें विविधीकरण की अनुमति है और फरवरी, 1973 की अधिसूचना में इसका संदर्भ दिया गया है ।

श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या यह सच है कि विविधीकरण अधिसूचनायें बड़े औद्योगिक गृहों तथा प्रभुत्वशाली भारतीय क्षेत्र के हितों के संरक्षण के लिये जारी की गयी ? यदि नहीं तो

भारतीय फर्मों को, यहां तक कि पुरानी चीजों को बदलने के लिये भी कच्चे माल का आयात करने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती है। जिनके आयात की अनुमति यदि दे दी जाये तो निःसंदेह उत्पादन में वृद्धि होगी।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : पता नहीं इसमें बड़े गृहों तथा विदेशी फर्मों को संरक्षण देने का प्रश्न कहां उठता है क्योंकि वर्ष 1970 के पश्चात् उन्हें स्वतः ही विविधीकरण का अधिकार नहीं है। इसके लिये उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस देते समय सभी आवश्यक बातें ध्यान में रखी जाती हैं। जहां तक बीच के उद्यमियों का संबंध है उन्हें क्षमता विस्तार तथा विविधीकरण की अनुमति एक करोड़ रुपए की राशि के अतिरिक्त पूंजी निवेश तक दी जाती है। यही बात अधिसूचना में बतायी गयी है। यदि माननीय सदस्य अधिसूचना पर ठीक प्रकार से ध्यान दें, तो मुझे विश्वास है कि वह अधिसूचना के पीछे जो औचित्य है उससे पूर्णतया संतुष्ट होंगे।

श्री के० गोपाल : मंत्री महोदय ने बताया है कि विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों के विविधीकरण की अनुमति नहीं दी जाती है। मैं उनकी इस बात से संतुष्ट हूं कि विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों को उत्पादन के मामले में विविधीकरण की अनुमति नहीं है, परन्तु कुछ फर्मों को गतिविधियों के विविधीकरण की अनुमति दी जाती है। उदाहरण के लिये यूनियन कार्बाइड को, जो ड्राई बैटरी सैल बनाते हैं, मत्स्य पालन क्षेत्र तक अपनी गतिविधियों का विस्तार करने की अनुमति दी जाती है। मैं इस संबंध में सरकार की नीति जानना चाहता हूं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह प्रश्न विद्यमान एकक में विविधीकरण के बारे में है। जहां तक गतिविधियों के विविधीकरण की बात है उन्हें एक आवेदन पत्र लेकर लाइसेंस देने वाली समिति के सम्मुख आना पड़ता है और 1973 की अधिसूचना में निर्धारित नीति के आधार पर प्रत्येक कम्पनी के प्रत्येक आवेदनपत्र पर विचार किया जायेगा।

श्री के० एस० चावड़ा : क्या यह सच है कि जो भारतीय फर्में एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आती हैं उनको विविधीकरण की अनुमति के प्रस्ताव से असहमति प्रकट करके सरकार विदेशी क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहती है जिन्होंने भारी मात्रा में लाभ कमाया हैं और उन्हें विविधीकरण का लाभ उठाकर अपने देश को भेज दिया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस नीति को समाप्त करके और भारतीय फर्मों को विविधीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वस्तुओं के आयात की अनुमति देकर भारतीय क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहती है?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह फरवरी 1973 की अधिसूचना को देखें . . .

श्री के० एस० चावड़ा : मैंने इसे पढ़ा है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : फरवरी, 1973 की अधिसूचना से उन्हें अन्य उपक्रमों के बारे में यह ज्ञात होगा कि उन्हें किन शर्तों के अन्तर्गत विविधीकरण की अनुमति दी जाती है। जहां तक, बड़े गृहों तथा विदेशी स्वामित्ववाली कम्पनियों के अतिरिक्त, कम्पनियों के विविधीकरण का प्रश्न है, हम बहुत ही उदार दृष्टिकोण अपनाते हैं और विविधीकरण की अनुमति देते हैं। अतः माननीय सदस्य का आरोप, कि उन्हें विविधीकरण की अनुमति नहीं है, उचित नहीं है।

श्री के० एस० चावड़ा : मेरा प्रश्न यह है कि इसे क्रियान्वित नहीं किया जाता है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के किराया-खरीद सम्बन्धी कार्यों की जांच

*369. **श्री मधु दण्डवते :**
श्री वसंत साठे :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के डा० एस० के० गोयल ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के किराया-खरीद संबंधी कार्यों की जांच की थी;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या है; और

(ग) इस जांच में प्रकट हुई गंभीर कमियों के बारे में क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ' ाउर्रहमान अंसारी): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) जी, नहीं । राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की किराया-खरीद गतिविधियों कार्य का अभ्यार्थपरक अध्ययन किया गया था । इस अध्ययन के निष्कर्ष निगम द्वारा कुछेक क्षेत्रों को दी गई सहायता के सकेंद्रण तथा निगम द्वारा सप्लाई की गई मशीनरी के विषय में किराए पर मशीन लेने वालों की चूकों से संबंधित थे ।

(ग) सरकार राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की समस्याओं के प्रति सजग है तथा इसके कार्यकरण को सुप्रवाही बनाने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने किसी भी प्रश्न के उत्तर में इतने सरसरी ढंग से दिया गया कोई भी विवरण नहीं देखा है । जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर पूर्णतया छोड़ दिया गया है और उसका कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया है । सर्वप्रथम इस बात की आड़ ली गई है कि यह जांच नहीं है परन्तु यह प्रयोग सिद्ध अध्ययन है मेरे विचार से प्रयोगसिद्ध अध्ययन जांच के तुलना में अधिक प्रचलित है ।

दोनों बातों का अर्थ एक ही है । अतः वेहतर होता यदि उसी में प्रयोग सिद्ध अध्ययन की कुछ महत्वपूर्ण बातें बतायी गई होती । मेरा विरोध है...

अध्यक्ष महोदय : जो जानकारी उपलब्ध है माननीय सदस्य उसी में से अपना प्रश्न पूछे तो अच्छा है ।

प्रो० मधु दंडवते: 'इकानामिक टाइम्स' में एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें आर्थिक अध्ययन का विवरण दिया गया है । मुझे आश्चर्य होता है कि मंत्रालय को उस अध्ययन के बारे में पता नहीं है...

अध्यक्ष महोदय : यह केवल उनके विभाग की जानकारी है ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं अपना पहला अनुपुरक प्रश्न पूछता हूं ।

क्या यह सच है कि लघु उद्योग निगम ने उन लोगों को अधिक सहायता दी है जो काफ़ी धनराशि ऋण के रूप में जुटा सकते हैं और क्या देय राशि वसूल करने के संबंध में यह निर्णय

किया गया था कि जिन व्यक्तियों ने थोड़ी राशि के ऋण लिये हैं और वे भुगतान नहीं कर सकते हैं उनके ऋणोंकी राशियों को बट्टे खाते डाल दिया जाये और जिन्होंने अधिक राशी के ऋण लिए है उनसे ऋण वसूल किये जाये ! क्या यह भी सच है कि यह निर्णय किया गया था कि इस बात की ध्यान में रखते हुए कि निगम की गतिविधियां कर्नाटक, महराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों तक ही सीमित है और वे भी उन राज्यों के कुछ शहरों तक ही, निगम के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जायेगा जिससे अन्य राज्यों की आवश्यकतायें भी पूरी की जा सकें ।

यद्यपि मैं महाराष्ट्र का निवासी हूं फिर भी मैं अन्य राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में कह रहा हूं ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : यह सच है कि उस अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा विकसित राज्यों में ही सहायता दी गई है । यह भी सच है कि उस अध्ययन के अनुसार बड़े कारखानों को छोटों की तुलना में अधिक सहायता की गई है । अतः राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की कार्य-प्रणाली में सुधार होना चाहिये । अब राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को पुर्नवित्त संस्थान के रूप में कार्य करना है अतः छोटे कारखानों को अधिक सहायता दी जानी चाहिये

प्रो० मधु दंडवते : मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं । यह जानकारी मूल विवरण में दी जा सकती थी । पता नहीं इसकी आशा क्यों की जाती है । मैं कोई इसका अनुपूरक प्रश्न पूछता ।

क्या यह भी सच है कि मशीनें कुछ महत्वपूर्ण ग्रुपों, जैसे इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रिकल्स, सर्जिकल्स तथा प्लास्टिक्स, को ही सप्लाई की जाती है और क्या जिन उद्योगों की आवश्यकतायें स्थानीय कच्चे माल जैसे केनिंग, से पूरी हो सकती हैं, निगम उनकी कोई सहायता नहीं करता है और क्या मशीनों की सप्लाई की वर्तमान योजना की समीक्षा करके उसमें पूरी तरह सुधार किया जायेगा ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : पांचवीं योजना के लिये हम लघु उद्योग विकास की संपूर्ण प्रणाली का पुर्नविलोकन कर रहे हैं । जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, हम लघु उद्योग क्षेत्र पर बल देना चाहते हैं जिससे कि स्वदेशी कच्चे माल का उपयोग किया जा सके, कच्चे माल भी वह जो भूमि क्षेत्र से उपलब्ध होता है । इस पहलू पर विचार किया जायेगा । इसी आधार पर हम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के पुनर्गठन की बात सोच रहे हैं जिससे इसे केवल पुर्नवित्त निगम बनाया जा सके । लघु उद्योगों के विकास के लिये राज्यों तथा राज्यों के अन्य संस्थानों को प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ।

श्री वसंत साठे : क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम स्थापित करने का पूरा उद्देश्य ही विफल हो गया है क्योंकि यह निगम उन लोगों को सहायता दे रहा है जिनकी पुंजीगत आस्तियां, मशीनों के रूप में, 10 लाख रुपए से अधिक हैं, परिभाषा के अनुसार 7.50 लाख रुपए तक ही सीमित नहीं है और वह सहायक कारखानों को भी सहायता दे रहा हैं । मैं उन कारखानों के उदाहरण दूंगा । टाइगर लाम्स को जिसकी अस्तियां तथा पुंजी एक करोड़ के लगभग है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा सहायता दी जाती है । ब्लो प्लास्ट को जिसकी पुंजी और अस्तियां 30 लाख रुपए हैं , राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा सहायता दी जाती है । क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें पता है मशीनों के रूप में दी गई 64 करोड़ रुपए की सहायता से केवल 22000 व्यक्तियों को रोजगार मिला है ? क्या इस देश में इस प्रकार के निगमों से लघु उद्योगों का विकास किया जायेगा ? क्या उन

कारखानों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी जिनकी अस्तियां 10 लाख से अधिक हैं, जो छूट पाने तथा प्राथमिकता का व्यवहार किये जाने के लिये अभी भी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की सूची में बने हुए हैं ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मुझे बड़ा आश्चर्य होगा यदि कोई ऐसा उदाहरण लाया जाये जहां राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने 10 लाख रुपए से अधिक अस्तियां रखने वाले कारखाने को सहायता दी हो क्योंकि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम कुछ मामलों में 10 लाख से कम अस्तियों वाले कारखाने को सहायता देता है और अधिकांशतः 7.50 लाख रुपए की अस्तियों वाले कारखानों को ही सहायता देता है। यदि कोई ऐसा मामला मेरे ध्यान में लाया जायेगा तो मैं उसकी जांच करूंगा ।

श्री वसंत साठे : उनकी जानकारी आपके पास उपलब्ध होनी चाहिये ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मुझे बताया गया है कि केवल 7.5 लाख की अस्तियों वाले कारखानों को और कुछ मामलों में 10 लाख रुपए तक की अस्तियां रखने वाले कारखानों को सहायता देने पर विचार किया जाता है । यदि कोई अन्य उदाहरण है तो मैं उस बारे में ध्यान दूंगा और देखूंगा कि क्या कोई विषयांतर है । माननीय सदस्य ने उद्देश्य विफल हो जाने की तथा अन्य बातें कहीं है । मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें आशाजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं ।

श्री वसंत साठे : क्यों बड़े उद्योगपति छोटे कारखानों के नाम से सहायता ले रहे हैं । क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मुझे ज्ञात है कि पीछे ऐसे हुआ है। उस समय बड़े उद्योग गृहों पर इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिये कोई प्रतिबंध नहीं था । अब यह नियम बना दिया गया है कि बड़े उद्योग गृह इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते । अब छोटे उद्यमियों को ही सहायता उपलब्ध हो सकेगी । हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसका उल्लंघन न हो ।

श्री वसंत साठे : मैंने रोजगार क्षमता के बारे में भी पूछा था ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : 22,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है । जहां तक मुझे याद है कई लाख लोगों को रोजगार मिला है । यदि माननीय सदस्य को इस विषय में बहुत रुचि है तो वह अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री राम सहाय पांडे : लघु उद्योग योजना के पीछे मूल विचार यह था कि स्वदेशी कच्चे माल की अधिक से अधिक खपत की जा सके, अधिक लोगों को रोजगार मिल सकें, उपभोक्ताओं के लिये अधिक स्थानीय वस्तुएं बनायी जा सकें, आदि । क्या चार योजनाओं के पूरा हो जाने के पश्चात् भी सरकार इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकी है ? यदि सरकार उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकी है, तो इसके क्या कारण हैं ? चारों योजनाओं में चाहें, जो कमियां रही हों, क्या पांचवीं योजना में मूल उद्देश्य प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह सही नहीं है कि लघु उद्योग योजना केवल स्वदेशी कच्चे माल के उपयोग के लिये ही बनायी गयी । तथा यह है कि हमने लघु उद्योग क्षेत्र के लिये 120 उद्योग आरक्षित किये हैं । उनमें केवल स्वदेशी कच्चे माल की ही खपत नही होती अपितु, उनमें ऐसे आधुनिकतम उद्योग भी आते हैं जिनके लिये कच्चे माल का आयात करना पड़ता है। इस सूची में हमने और भी उद्योग सम्मिलित किये हैं चाहें उनमें आयातित मशीनों को ही आवश्यकता पड़े, चाहे उनमें आयात किये जानें वाले कच्चे माल की आवश्यकता पड़े, लघु उद्योग क्षेत्र के लिये आरक्षित हैं । अतः यह विचार कि यह क्षेत्र केवल स्वदेशी कच्चे

माल के उपयोग के लिये सीमित है, सही नहीं है । इस बात से मैं सहमत हूं कि हमें स्वदेशी कच्चे माल के अधिकाधिक उपयोग पर बल दना हैं क्योंकि आज की स्थिति क संदर्भ में पांचवीं योजना के दौरान लघु उद्योग का विकास करने के लिये इस बात को ध्यान में रखना होगा।

Shri Nathu Ram Ahirwar : It has been said that the Small Scale Industries Corporation is extending assistance only to the developed states. May I know whether it is not the policy of the government that the Small scale Industries Corporation will extend assistance and provide loans to establish industries in bakcward regions where there are no industries to develop the backward regions?

It has also been said that big Industrial Houses divide one unit into a various ancillary industries and thus they draw huge amounts of loans from the Corporation. May I know the reasons therefor and whether the Government propose to make an inquiry in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : I think hon. Member has not correctly understood my reply. I did not say that the assistance has been extended only to big industrial units. According to the results of study, it is correct, there has been concentration in certain areas and they have bigger share. But it does not mean that the assistance has not been given to backward areas and to small entrepreneurs. The result of the study is that certain areas have got comparatively more share.

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले : क्या यह सच है कि डा० गोयल के अध्ययन के अनुसार राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम भारत से बाहर टाटा तथा बिड़ला बन्धुओं की एजेंसी दी गई है। क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में 80 प्रतिशत मशीनें विदेशों से मंगाई हैं। जबकि केवल 20 प्रतिशत मशीनें स्वदेशी हैं ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में यह कहा है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने बड़े औद्योगिक गृहों की सहायता की है अथवा 7.5 अथवा 10 लाख से अधिक की अस्तियां रखने वाले कारखानों की सहायता की है । तुलनात्मक रूप में बड़े कारखानों को अपने भाग से अधिक सहायता मिली है क्योंकि उनका पुंजीगत ढांचा भी बड़ा है । माननीय सदस्य ने यह विचार अभिव्यक्त किया है । निगम द्वारा दो तिहाई सहायता उन किरायेदारों को दी है जिन्होंने किराये की ऊंची दरें दी। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि सहायता बड़े गृहों अथवा बड़े कारखानों को दी गई है । जिन कारखानों की पुंजी 7.5 अथवा 10 लाख है उनकी संख्या कुल किरायेदारों से कम है । दूसरी ओर ऐसे किराया खरीदकर्ताओं का संख्या 12 प्रतिशत है जिनका मशीनों में 10 प्रतिशत अंश है । यह निष्कर्ष है । अतः लघु उद्योगों में 7.5 लाख तथा 10 लाख की पुंजीवालों को सहायता की राशि का अधिक भाग मिला है। डा० गोयल द्वारा किये गये अध्ययन का यही निष्कर्ष है ।

श्री दिनेशचंद्र गोस्वामी : क्या डा० गोयल के अध्ययन से यह पता चला है कि यह निगम स्वदेशी स्त्रोत से कच्चा माल प्राप्त करने वाले उद्योगों की अपेक्षा मुख्य रूप से उन उद्योगों को प्रोत्साहन कर रहा है जो कच्चे माल का आयात करते हैं । डा० गोयल की जांच के परिणामस्वरूप लगाये गये आरोपों का खंडन करने के लिये क्या सरकार ने कोई अध्ययन किया है ? दूसरे क्या निगम पिछड़े क्षेत्रों में उस कच्चे माल की उपलब्धता का पता लगाने, जिसके प्रयोग पर प्रभावी उद्योग निर्भर कर सकें, के लिये कोई अध्ययन कार्य कर रहा है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जहां से भी उद्योगों की स्थापना के लिये आवेदन प्राप्त हुए हैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने धनराशि दी है । अतः यह स्वाभाविक है कि आरम्भिक चरण में प्रगतीशील राज्यों, उन प्रगतिशील क्षेत्रों, जो पहले ही विकसित हो चुके हैं, से जब आवेदन

प्राप्त होते हैं, विशेषतया सहायक उद्योगों के संदर्भ में, उन्हें सहायता दी जाती है। जहां इन उद्योगों की स्थापना के लिये मशीनों का आयात आवश्यक होता है, क्योंकि यह केवल लघु उद्योग क्षेत्र है, तो हम यह नहीं कह सकते कि हम इन उद्योगों को आयातित मशीनें उपलब्ध नहीं करा सकते केवल बड़े उद्योगों को आयातित मशीनें उपलब्ध करा सकते हैं। यह दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता। कच्चे माल के संबंध में भी हम यह दृष्टिकोण नहीं अपना सकते कि कच्चा माल केवल बड़े उद्योगों के लिये आयात किया जायेगा लघु उद्योगों के लिये नहीं। यही कारण है कि जहां आयातित मशीनों की आवश्यकता पड़ती है हम मशीनों का आयात करने की व्यवस्था करते हैं। और लघु उद्योगों को मशीनें उपलब्ध कराते हैं। परन्तु मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें लघु उद्योग को एक नई दिशा देनी होगी उसमें सुधार करना होगा ताकि ये उद्योग फिर नगरीय क्षेत्रों तक ही सीमित न रह जायें। हमें यह देखना होगा कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जायें जो देश की भू अर्थ-व्यवस्था पर तथा कृषि क्षेत्र के कच्चे माल पर आधारित हों। पांचवीं योजना में हम इस प्रकार का नया सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : There is an intensive development scheme for scarcity areas during fifth Plan period. If we encourage establishing small industries with a view to remove unemployment from these areas, I think we will get enthusiastic result. May I know whether any amount out of the deposits of Rs. 10,000 crores in Nationalised Banks will be made available for the development of small industries particularly, in scarcity areas.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : हम कुछ जिलों में पुंजी निवेश में राज सहायता देकर तथा दूसरे कुछ क्षेत्रों में आसान शर्तों पर ऋण देकर पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर जोर दे रहे हैं। हम यह प्रयास करेंगे कि लघु, बीच के तथा बड़े उद्योगों के द्वारा औद्योगिक विकास तथा अन्य आर्थिक कार्यों में पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाये।

शिवाजी के राज्याभिषेक के 300 वें समारोह के अवसर पर डाक–टिकट

*371. **श्री शंकरराव सावंत :** क्या **संचार** मंत्री 12 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4528 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक के 300 वें समारोह के अवसर पर एक स्मारक डाक–टिकट जारी करने के बारे में निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो टिकट कितने–कितने मूल्य के होंगे और जनता को ये कब उपलब्ध होंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रो० शेरसिंह : (क) जी, हां।

(ख) यह डाक–टिकट 2 जून, 1974 को जारि करने का प्रस्ताव है। यह किस मूल्य–वर्ग का होगा, यह अभी तय नहीं हुआ है।

श्री शंकरराव सावन्त : क्या टिकट का डिझाइन निर्धारित कर लिया गया है और यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार से बात–चीत की जायेगी ?

प्रो० शेर सिंह : हम कलाकारों से तथा राज्य सरकार से परामर्श करते हैं।

श्री धामनकर : क्या इस टिकट के उद्घाटन के लिये कोई समारोह आयोजित किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री बी० के० दास चौधरी।

श्री बी० के० दासचौधरी : मैं प्रश्न संख्या 372 के बारे में प्रश्न करता हूं ।

प्रो० शेरसिंह : यह उत्सव मनाने के लिये एक समिति बनायी गई है और यह समिति उद्घाटन के समय समारोह आयोजित करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री बी० के० दास चौधरी ने अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ लिया है और उन्हे उत्तर मिल गया है ?

श्री बी० के० दासचौधरी : जी, नहीं । मैंने अगला प्रश्न पूछा था परन्तु मंत्री महोदय ने अभी पहले अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री योगेन्द्र झा देख सकते है कि कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है ।

श्री योगेंद्र झा : इस समय जो कुछ हुआ है वह दूसरी ही चीज़ है ।

औद्योगिक गैसों की मांग और उत्पादन

*372. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में औद्योगिक गैसों की मांग के बारे में कोई अध्ययन अथवा सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां , तो उसका क्या परिणाम निकला ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) पांचवीं योजना के अंत तक योजना आयोग द्वारा अनुमानित आक्सिजन की आवशकता 1100 लाख घन मी० है । पांचवीं योजना के अंत तक 'कृतिक दल' द्वारा अन्य उद्योगोपयोगी गैसों की आंकी गई आवश्यकता निम्नलिखित है :-

ऐसिलीटेन (डी/ए)	180 लाख घन मी०
आरगन	10 लाख घ० मी०
नाइट्रस आक्साइड	6000 लाख लि०

श्री बी० के० दासचौधरी : क्या सरकार ने औद्योगिक गैसों की राज्यवार मांग तथा उपलब्धता का ई अध्ययन, विशेषतथा पश्चिम बंगाल के संदर्भ में जहां बहुत से इंजिनियरिंग उद्योगों तथा भूमिगत रेल्वे और हुगली पुल तथा अन्य परियोजनाओं की अतिरिक्त मांग के कारण औद्योगिक गैसों की मांग बहुत अधिक है, किया है ? यदि हां तो क्या इस बात को ध्यान रखते हुये कि प्रतिक्रियाओं की संभावना के कारण औद्योगिक गैस 50 अथवा 60 अथवा अधिक से अधिक 80 मील से अधिक दूरी पर नहीं ले जायी जा सकती, आशयपत्र अथवा लाइसेंस दिये गये हैं ? यदि हां तो क्या मंत्री महोदय इसका ब्यौरा बतायेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : इस विषय में हमने इस बात पर ध्यान दिया है कि उस क्षेत्र में पहले से ही कितनी क्षमता उपलब्ध है । जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है इस समय वहां 800 लाख क्यूबिक मीटर के उत्पादन में लगभग

240 लाख क्यूबिक मीटर अर्थात् 25 प्रतिशत से अधिक उपलब्ध है। भविष्य में क्षमता के लिये दिए जानेवाले आशयपत्रों में क्षेत्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। परन्तु मुझे पश्चिम बंगाल सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुअे हैं जिनमें कहा गया है कि दिये गये पत्रों से पश्चिम बंगाल की आवश्यकता पूरी नही होगी। अतः हम इस मामले पर ध्यान दे रहे हैं और यदि पश्चिम बंगाल में आगे कोई कमी आयेगी तो हम और आशयपत्र जारी करेंगे।

श्री बी० के० दासचौधरी : इस तथ्य के सम्बन्ध में कि हम वैज्ञानिक अनुसंधान में शनै शनै प्रगति कर रहे है और उन आणविक तथा अन्तरिक्ष अनुसंधानों में लगे हुए हैं जिनके लिये उन दुर्लभ गैसों की आवश्यकता है जिनका हम इस समय आयात कर रहे है और उसके लिये हमें 15–20 लाख रुपया व्यय करना पड़ता है मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पांचवी योजना के अन्ततक इन गैसों की आवश्यकता के बारे में कोई अध्ययन किया गया है और क्या हीलियम, क्रिप्टन तथा जिनान गैसों के उत्पादन के लिये कोई व्यवस्था की गई है? आर्गन के बारे में मंत्री महोदय ने बताया था कि इसकी आवश्यकता 10 लाख क्यूबिक मीटर है। आत्म–निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने हीलियम, क्रिप्टन तथा ऐसी ही अन्य दुलभ गैसों के उत्पादन के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इन दुर्लभ गैसो से सम्बन्धित आकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य को रुचि है, तो वह एक अलग प्रश्न का नोटिस दें और यदि वे मुझे अलग से लिखे तो मैं उन्हे जानकारी दे सकता हूं।

श्री बी० के० दासचौधरी : यह प्रश्न औद्योगिक गैसों के बारे में है। दुर्लभ-गैसों के बारे में मंत्री महोदय जानकारी बाद में दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दीजिये। मंत्री महोदय पूरी जानकारी देंगे। आपको इस बारे में अच्छी जानकारी मालूम पड़ती है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय के उत्तर से यह बात प्रकट होती है कि उन्होंने दीर्घावधि नीति का विवरण बताया है। क्या उनका ध्यान पश्चिम बंगाल में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करनेवाले कुछ औद्योगिक कारखानों के बन्द हो जानें तथा जबरन छुट्टी की ओर दिलाया गया है? पश्चिम बंगाल में इस समय उपलब्ध गैसों में से इन कारखानों को गैस सप्लाई कराने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : पश्चिम बंगाल में कारखाने गैसों की कमी करण बन्द नहीं हुए हैं। ये कारखाने दूसरे कारणों से बन्द हुये हैं। वह अपने पास बैठे हुये साथियों से पूछे कि ये कारखानों क्यों बन्द हुये हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : हमारी सभी की रूची उत्पादन में है। मैंने अपने साक्षियों से परामर्श करके ही प्रश्न पूछा है। उदाहरण के लिये बंगाल लैम्पस कारखाना बन्द पड़ा है। क्या यह बात उनके ध्यान में लाई गई है।

अध्यक्ष महोदय : पश्चिम बंगाल अत्यधिक ज्वलनशील है।

राष्ट्रीय उत्पादन और आय में औद्योगिक उत्पादन की मात्रा और उसके मूल्य का अनुपात

*373 **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की राष्ट्रिय उत्पादन और आय में औद्योगिक उत्पादन की कुलमात्रा और उसके मूल्य का राज्यवार अनुपात क्या है और आगामी तीन वर्षों के दौरान इस अनुपात में राज्यवार किस प्रकार परिवर्तन करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

केन्द्रीय सांख्यकी संगठन द्वारा तैयार किए गए अद्यतन अनुमानों के अनुसार कुल उत्पादक उद्योगो (पंजीयित और गैर पंजीयित) दोनों प्रकार के का अंशदान 5305 करोड़ रु० अथवा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन जो वर्ष 1972-73 (प्रारंभिक अनुमान) में 389.81 करोड़ रुपए मूल्य का था के 3.8% था। राष्ट्रीय उत्पाद के राज्यवार अनुमान उपलब्ध नहीं हैं और न ही औद्योगिक उत्पादन से हुई राज्यवार आय ही उपलब्ध है। नियोजित विकास कार्यक्रम में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जाता है किन्तु इस संबंध में राज्यवार किसी विशिष्ट अनुपात का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

श्री भोगेन्द्र झा : विवरण बड़ा अजीब–गरीब है क्योंकि इसका अधिकांश भाग अत्युक्तिपूर्ण है। मुझे समझ नहीं आता उत्पादन के राज्यवार आंकडे उपलब्ध किये बिना राष्ट्रिय औसत किस प्रकार निकाला जा सकता है। जो कुछ जानकारी दी गई है उसके आधारपर मैं, 5305 करोड़ अथवा 13.6 प्रतिशत शुध्द राष्ट्रिय उत्पादन के जो आकड़े दिये गये है उन्ही के संदर्भ में यह बात जानना चाहता हूं। कुल उत्पादन में पंजीकृत उद्योगों का कितना भाग है तथा गैर पंजीकृत उद्योगों का कितना? दूसरे यह बता गया है कि यह वर्ष 1972–73 के लिये प्रारम्भिक अनुमान है। अन्तिम अनुमान हमें अथवा सरकार को कबतक प्राप्त हो जायेंगे? तीसरे, यह बताया गया है कि पिछडे क्षेत्रों को विशेष सहायता दी जा रही है। जब किसी राज्य विशेष के सम्बन्ध में कोई आंकडे, कोई जानकारी, कोई अनुमान ही उपलब्ध नहीं है तब यह निर्णय किस प्रकार किया जा सकता है कि अमुक राज्य पिछडा हुआ राज्य है अथवा नही?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : पहले प्रश्न के उत्तर में पंजीकृत उद्योगों से 8.1 प्रतिशत तथा गैर पंजीकृत से 5.5 प्रतिशत इस प्रकार कुल 13·6 प्रतिशत उत्पादन प्राप्त होता है। जहांतक दूसरे प्रश्न के उत्तर का सम्बन्ध है, दुर्भाग्यवश प्रत्येक राज्य के उत्पादन के मूल्य सम्बन्धी आंकडे उपलब्ध नहीं है। परन्तु प्रत्येक राज्य में उद्योगों में रोजगार की क्षमता के आंकडे उपलब्ध हैं। इसी आधार पर हम यह पता लगाने का प्रयास करते है कि किस सीमा तक औद्योगिकरण हुआ है। इस के आधार पिछडेपन का निर्णय किया जाता है और हम वहां अधिक से अधिक उद्योगों की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। जहां तक उनका यह प्रश्न है कि अन्तिम आंकडे कब तक उपलब्ध होंगे मेरे विचार से कुछ ही महीनों में प्राप्त हो जायेंगी और तब वास्तविक आंकडें प्राप्त हो सकेंगे और दूसरे पश्चात इन्हे आन्तिम रुप दिया जायेगा।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, I want to draw youı attention to an urgent matter. Just now a senior reporter of P.T.I., Shri Subramaniam had a heart attack. The doctor did not come to attend him for thirty five minutes and when he came there was no stretcher. Sir, what will be the fate of people when this sort of treatment is meated out to Press correspondents, who serve the Country?

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह जान कर बहुत दुःख हुआ है। मैं अभी एक अधिकारी भेज रहा हूं। मैं स्वयम् इस मामले की जांच करूंगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, it is not the first instance. In the past also, it had happened. M.P. have also been treated in this way. The doctor was not immediately available. A serious thought will have to be given to this matter.

श्री एस० एम० बनर्जी : श्रीमानजी आपको याद होगा कि श्री तेजासिंह स्वतन्त्र की मृत्यू भी ऐसी ही परिस्थितियों में हुई थी और उस समय भी हमने आपका ध्यान इस ओर दिलाया था। जबतक श्री तेजासिंह को अस्पताल ले जाया गया, तबतक वह मृत्यू के बहुत निकट पहुंच चुके थे। डा० रानेन सेन उस समय उनके साथ थे।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं इस मामले की जांच करूंगा

स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन की राशि में राज्य सरकारों द्वारा हिस्सा बटाया जाना

*374. श्री एस० सुदर्शनम+ :

श्री राम भगत पासवान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें स्वतंत्रता सेनानियों को दी जानेवाली पेंशन की राशि में केन्द्रीय सरकार के साथ हिस्सा बटाने के लिये सहमत नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां तो उन राज्य सरकारों ने इसके लिये क्या कारण बताये हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार की योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई पेंशन राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत की गई पेंशन के अतिरिक्त है। केन्द्रीय पेंशन की मात्रा, राज्य पेंशन को ध्यान में रखकर और इस शर्त पर कि केन्द्रीय पेंशन स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य पेंशन जारी रहेगी, निर्धारित की जाती है ।

केन्द्र सरकार द्वारा वास्तव में स्वीकृत की गई पेंशन में राज्य सरकारों को भागीदार होने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री एस० सुदर्शनम : श्रीमानजी, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि केंद्र द्वारा पेनशन के लिये कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है और उस पेंशन को प्राप्त करनेवाले लोगों की संख्या कितनी है ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : 15 मार्च 1974 तक कुल 73,384 व्यक्तियों को पेन्शन मंजूर की गई थी। इस समय पेन्शन सम्बन्धी 26,223 मामले हमारे पास अनिर्णीत रहे है। इसी प्रकार 38,954 मामले ऐसे है जो किसी न किसी प्रकार के स्पष्टिकरणहेतु अनिर्णीत पड़े है। पेंशन पर खर्च होने वाली धनराशि के बारे में अभी मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकी वास्तव में पेंशन का वितरण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता हैं और इसके नवीनतम आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नही है ।

Shri Sarjoo Pandey : I would like to know the total number of applications received from the freedom fighters in the whole country and the number of applications which are pending for a final decision?

Mr. Speaker : You are asking for statistics.

Shri Sarjoo Pandey : Sir, they are facing lot of hardships. Their cases are being delayed. I would like to know the time by which their pension cases will be decided by the Government.

Mr. Speaker : The scope of this questions does not cover as to whether State Governments are giving their share in the pension or not. You should send a separate question for that.

Shri Sarjoo Pandey : It is a matter of vital importance as thousands of freedom fighters are visiting Ministers and M.Ps. Kindly get an answer to it.

अध्यक्ष महोदय : आप इसके लिए अल्पसूचना प्रश्न भेज दीजिए ।

Shri R. B. Paswan : I would like to know from hon. Minister whether there are a good number of them who have submitted false documents and are getting pension? If so what steps are being taken by the Government to check it?

Mr. Speaker : Now you are asking something altogether different. Previously you have asked whether State Governments are sharing the amount of pension with Centre or not. How can I expect the Minister to answer it?

Shri F. H. Mohsin : Sir, if you permit, I can answer it.

Mr. Speaker : Now, you may decide among yourselves. It is surprising that if I judge the relevancy of a question, the Minister becomes eager to answer the same.

श्री एफ० एच० मोहसिन : पेंशन की मंजूरी के बारे में होने वाली कुछ अनियमितताओं की शिकायतें हमारे पास आई है। अब तक प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या 308 है। इनमें से 125 मामलों में जांच कार्य पूरा होने तक, पेंशन बंद कर दी गई है 15 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। जब भी हमारे पास इस प्रकार की शिकायतें आती है उनके गुणदोषों के आधार पर राज्य सरकारों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय कर लिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सरजू पांडेय, मैं अपना विनिर्णय वापिस लेता हूं। अब आप अपना प्रश्न पूछ सकते है।

Shri Sarjoo Pandey : I want to know the total number of applications received by the Central Government and the number of applications finalised for pension? The freedom figaters are facing lot of hardships. Many a time they are asked to bring one certificate or the other. A good number of formalities are there. A good number of people of U.P. were arrested under D.I.R. The requisite Jail Certificates are not being issued to them by Jail authorities as relevant records were burnt. They were asked to bring certificates from M. Ps. or M.L.As. in this regard. But even after submission of such certificates their pension cases have not been decided by the Government. I would also like to know the policy of the Government regarding I.N.A. cases.

श्री एफ० एच० मोहसिन : 15 मार्च 1974 तक निपटाये जाने वाले मामलों के आंकडे मेरे पास है अब तक हमारे पास कुल 1,81,112 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये है और उनमें से 1,54,869 प्रार्थना पत्रों का परीक्षण किया जा चुका है। इनमें से 73,384 प्रार्थनापत्रों को मंजूरी दी गयी है और 23,351 को अस्वीकृत कर दिया गया है। 15,935 प्रार्थनापत्र का निपटारा किया जा चुका है। इस समय हमारे पास 38,954 प्रार्थनापत्र अनिर्णीत पड़े है। हम शीघ्र शीघ्र इस का निपटारा करने का प्रयत्न कर रहे है। इस प्रश्न का उत्तर प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथी 31 मार्च 1974 के बाद ही दिया जा सकेगा कि प्रार्थना पत्रों का निपटारा कब तक हो पायेगा। वर्तमान स्थिती यह है कि लगभग एक महिने में हम अनिर्णीत प्रार्थनापत्रों की जांच का कार्य पूरा कर लेगें। 31 मार्च 1974 तक प्राप्त होने वाले प्रार्थनापत्रों को समय तो लगेगा फिर भी हमें आशा है कि आगामी स्वतन्त्रता दिवस मनाने से पूर्व ही हम सभी प्रार्थनापत्रों का निपटारा करने में सफल हो जायेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अपराधों की जांच के बारे में स्काटलैण्ड यार्ड के विशेषज्ञ के विचार

*365. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या गृह मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 22 फरवरी 1974 को प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि भारत में स्काटलेंड यार्ड के एक विशेषज्ञ के अनुसार अपराधों की जांच के संबंध में विभिन्न एजेंसियों के बीच कोई समन्वय दिखाई नहीं देता; और

(ख) यदि हां, तो इस टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए जांच के मामले में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) सरकार ने प्रकाशित समाचार देखा है। प्रोफेसर सिम्पसन ने अपराध जांच पड़ताल में पुलिस और चिकित्सा सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंनें यह नहीं कहा कि अपराध जांच पड़ताल से संबंधित विभिन्न एजेन्सियों के बीच कोई समन्वय नहीं है।

अपराध जांच के मामले में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए किये गये उपायों में केन्द्रीय तथा राज्य अपराध-अनुसंधान प्रयोगशालाओं, केन्द्रीय अंगुलि चिन्ह ब्यूरों, केन्द्रीय गुप्तचर स्कूलों, अपराध शास्त्र और न्याय वैधक विज्ञान संस्थान की स्थापना करना और वैज्ञानिक तरीके से अपराध जांच के लिए पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

मूल्य निर्धारण नीति का पुनर्विलोकन

***368. श्री प्रबोधचंद्र :**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने सरकार से अपनी वर्तमान मूल्य निर्धारण नीति का पुनर्विलोकन करने का अनुरोध किया है क्योंकि यह उत्पादन विरोधी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जनवरी, 1974 में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने योजना आयोग को एक नोट प्रस्तुत किया, जिसमें, वर्तमान मूल्य नियंत्रण नीति के अन्तर्गत नए औद्योगिक एककों द्वारा काफी निवेश खर्च किए जाने की समस्या की ओर ध्यान दिलाया और सुझाव दिया कि मूल्य निर्धारण नीति का उत्पादन तथा निवेशोन्मुख होना आवश्यक है।

(ख) सरकार को इस समस्या की जानकारी है। योजना में बताई गई प्राथमिकताओं के अनुसार औद्योगिक उत्पादनों के मूल्यों को लाभकारी बनाने और निवेशों में सुविधा देने के लिए कतिपय उपाय पहले ही अपनाए जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में कुछ नीति सम्बन्धी उपायों का उल्लेख किया गया है।

केरल में मरम्मत कार्यों के बारे में केन्द्रीय दल का प्रतिवेदन

***370. श्री एम० एम० जोजफ** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी केन्द्रीय दल ने केरल में मरम्मत कार्यों के अनुमान की कोई रिपोर्ट दी है;

(ख) क्या लोक निर्माण विभाग की सड़कों, पंचायती सड़कों, निगम की सड़कों की मरम्मत तथा सिंचाई कार्यों की मरम्मत के लिए 153.83 लाख रुपये के अनुमानित खर्च के लिए केन्द्रीय दल द्वारा केवल 37 लाख रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है; और

4—6 L. S. S./74

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार उस निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) बाढ तथा समुद्री कटाव से हुए नुकसान का मौके पर जाकर अनुमान लगाने और वांछित केन्द्रीय सहायता की मात्रा का निश्चय कर विभिन्न राहत कार्यों पर अधिकतम व्यय की सिफारिश करने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय दल ने 6 से 10 अगस्त 1973 तक केरल का दौरा किया। दल ने अगस्त, 1973 में ही अपनी रिपोर्ट दे दी थी।

(ख) राज्य सरकार का अनुमान था कि सडकों की मरम्मत पर 153.84 लाख रुपये और सिंचाई कार्यों पर 185.46 लाख रुपये खर्च होंगे। इसके विपरीत केन्द्रीय दल ने इन कामों के लिए क्रमशः 37 लाख रुपये और 43 लाख रुपये की सिफारिश की थी।

(ग) राज्य सरकार के अनुरोध पर यह निश्चय किया गया था कि राहत और मरम्मत के विभिन्न मदों पर व्यय की अधिकतम सीमाओं के बारे में केंद्रीय दल की सिफारिशों की समीक्षा की जाय।

भारत के योजना मंत्री तथा ओमान के विकास मंत्री के बीच हुई बातचीत

*375. श्री **यमुना प्रसाद मंडल** :

श्री राम प्रकाश :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओमान के विकास मंत्री ने भारत का दौरा किया था और उनके साथ बातचीत की थी, और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि, उद्योग और बुनयादी आधार के अनेक क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग के बारे में भारत और ओमान में बातचीत हुई। कृषि अनुसंधान क्षमताओं के नाभिकीय केन्द्र और राज्य कृषि फार्मों के विकास और सडकों के निर्माण तथा रखरखाव के लिए भारत ओमान को विशेषज्ञ उपलब्ध करने के लिए सहमत हो गया है। इसके अलावा चिकित्सा कर्मचारियों नगर आयोजकों और ओमान में अन्य जिन दक्ष कर्मचारियों की आवश्यकता हो उन्हें उपलब्ध करने के लिए ओमान सरकार के अनुरोध पर भी विचार करने के लिए भारत सहमत हो गया है।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिये कर्नाटक द्वारा बनाई गई गृह निर्माण योजना

*376. **श्री के० मालन्ना** :

श्री एस० बी० पाटील :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने चौथी योजना में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों के लिये मकानों की व्यवस्था करने हेतु कोई गृह निर्माण योजना बनाई थी और केन्द्रीय सरकार को भेजी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या झाड़ू लगाने, सफाई करने, चमडा कमाने और खाल उतारने जैसे छोटे कामों में लगे अनुसूचित जातियों/जनजातियों के भूमिहीन लोगों के लिये मकानों की व्यवस्था करने की कोई योजना है, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) तथा **(ग)** अपेक्षित सूचना का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सफाई सम्बन्धी पेशों में लगे अनुसूचित जातियों के कार्य तथा रहन सहन की दशा में सुधार करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को चौथी योजना में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार हाथ की गाडियों/एक पहियां ठेलों तथा सुरक्षात्मक यंत्र खरीदने के लिए नगरपालिकाओं/स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान देने के अतिरिक्त मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता देती है। एक मकान बनाने का व्यय 1200 रुपये निश्चित किया जा गया है जो विशिष्ट क्षेत्रों में 2000 रुपये तक बढाया जा सकता है। इस परिसीमा के अनुसार लाभान्वित होने वालों को 75 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता दी जाती है।

चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में कर्नाटक राज्य के लिए 4 लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है।

2. दूसरी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना से राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों समेत भूमिहीन मजदूरों के परिवार, जिनके पास मकान के लिए स्थान नहीं है उनको निःशुल्क मकानों के स्थान उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की जाती है। इस उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अपेक्षित समस्त व्यय भारत सरकार द्वारा सहायक-अनुदान के रूप में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मकान के स्थान के विकास के लिए औसतन अधिक से अधिक 150 रुपये का व्यय उपलब्ध कराया जाता है।

1,72,597 मकानों के स्थानों के लिए कर्नाटक सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में, 59.84 लाख रुपयों की राशि उपलब्ध कराई गई है।

3. 25 वीं स्वाधीनता जयन्ती समारोहों के संबंध में 1972–73 में जयन्ती गांवों में हरिजनों के लिए मकान बनाने की परियोजना चलाई गई थी। वह 1973–74 में जारी रखी गई। यह परियोजना, अनुसूचित जातियां जो सफाई सम्बन्धी व्यवसायों में संलग्न है अथवा भूमिहीन मजदूर है, उनके लिए है। केन्द्रीय सहायता 2000 रुपये प्रति मकान की दर से दी जाती है। इस परियोजना के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य को 24 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

डालटनगंज टेलीफोन केन्द्र

*377. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाल्टनगंज टेलीफोन केन्द्र में स्वचालित टेलीफोन व्यवस्था वर्ष 1972 में ही की जानी थी, और

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री के० ब्रम्हानंद रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्तावित आटोमेटिक एक्सचेंज 1972-73 में नहीं स्थापित किया जा सका क्योंकि (i) जिस जगह यह एक्सचेंज लगना है, वह जगह तैयार नहीं हुई थी और (ii) एक्सचेंज उपस्कर के मिलने में भी विलम्ब हुआ था। इमारत के निर्माण का काम करीब-करीब पूरा हो रहा है और एक्सचेंज स्थापित करने का काम जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा। इस एक्सचेंज के वित्तीय वर्ष 1974-75 में चालू होने की संभावना है।

पांचवीं योजना में आत्म निर्भरता

*378. **श्री पी० गंगादेव** :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के योजना आयोग के प्रयासों पर देश में तथा विदेशों में हुई कुछ घटनाओं का प्रतिकूल प्रभाव पडा है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रुपरेखा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) पांचवीं पंच-वर्षीय योजना तैयार करने के बाद, हाल के वर्षों में कृषि और औद्योगिक उत्पादन में कमी आई और तेल, उर्वरक, धातुओं आदि के आयात मूल्यों में तेजी से वृद्धि जैसे देश के अन्दर तथा बाहर कतिपय गतिविधियां घटित हुई जिनके कारण भुगतान संतुलन की संभावना पर बुरा प्रभाव पडा है। सरकार समस्या के प्रति पूरी तरह सजग है और इन गतिविधियों का बुरा प्रभाव कम से कम करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है और इस प्रकार पांचवीं योजना में निर्धारित आत्म निर्भरता के उद्देश्य की रक्षा की जा रही है। उच्चतर आर्थिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन आयात प्रतिस्थापन अदृश्यों द्वारा शुद्ध आमदनियों को बढाने के लिए कारगर और निरन्तर प्रयास करना मुख्य काम होगा।

Death of Children Due to Fire in a hut in Vasant Vihar, Delhi

*379. **Shri Chandulal Chandrakar**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether on the 19th February, 1974 five children were killed when a hut caught fire in Vasant Vihar, Delhi;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) whether Government have extended any financial help to this bereaved family on humane considerations?

The Minister of Home Affairs (Shri Uma Shankar Dikshit): (a) and (b) The Delhi Administration have informed that on the 19th February 1974, at about 7.15 A.M., wife of Dharam Singh, formerly employed in the I.I.T. Hauz Khas, 'was lighting' a 'Chulah' inside her jhuggi near village Ber Sarai when a gunny bag hanging near the Chulah caught fire. The roof made of straws was soon a flame. The lady ran out with her six months old child in her arms and a daughter who was awake also ran out. The roof then fell on the five children who were asleep and they died due to burns.

(c) Ex-gratia grant of Rs. 1000 to the bereaved family has been sanctioned.

थुम्बा स्थित विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच झगड़ा

***380. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन**
श्री वयालार रवि :

क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थुम्बा स्थित विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच किन किन मामलों पर झगडे का अभी तक निपटारा नहीं हुआ है; और

(ख) प्रबन्धकों तथा कर्मचारी यूनियनों के बीच बातचीत द्वारा इन मामलों को सुलझाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के मध्य जिन मामलों का अभी तक निपटारा नहीं हुआ है, उनका सम्बन्ध (i) सामान्य सुव्यवस्था '(ii) विभागीय पदोन्नति संबंधी प्रक्रिया और (iii) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन संबंधी मामलों के किन्हीं पहलुओं के बारे में है ।

(ख) इन बकाया मामलों को सुलझाने के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और प्रबन्धकों के मध्य विभिन्न स्तरों पर लगातार बातचीत की जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तैल की खपत को कम करने के लिए गोबर गैस संयंत्रों का लगाया जाना

***381. श्री सी० के० चंद्रप्पन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की खपत कम करने के विचार से वर्ष 1974-75 में 20,000 गोबर गैस संयंत्र लगाने लिए पहले ही एक व्यापक योजना बना ली है, यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है, और

(ख) ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में गोबर गैस संयंत्र कहां तक सफल सिद्ध होंगे ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) गोबर गैस संयंत्र लगाने की स्कीम वस्तुत: कृषि मंत्रालय ने खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से तैयार की है । इसमें पांचवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान 20,000 संयंत्र लगाने की कल्पना की गई है ताकि इन संयंत्रों की उपादेयता का प्रदर्शन किया जा सके। रासायनिक खाद की उपलब्धता बढाना और तदनुसार मिट्टी के तेल का उपभोग घटना स्कीम का मुख्य उद्देश्य है ।

(ख) अनुमान है कि 20,000 गैस संयंत्रों से वार्षिक 3.20 लाख मीटरिक टन प्रभावी रासायनिक खाद तथा 490 लाख क्यूबिक मीटर गैस जो लगभग 320 लाख लीटर मिट्टी के तेल के बराबर होगा का उत्पादन होगा।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पांचवीं योजना में उद्योगों का विस्तार कार्यक्रम

*382. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री निहार लास्कर :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पांचवीं योजना के दौरान उद्योगों के द्रुत विस्तार के लिये एक कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या है, और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किस किस्म की सहायता दी जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के पांचवीं योजना के प्रस्ताव का उद्देश्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आए, अधिकांश कारीगरों तक पहुंचना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के आधार को विस्तृत बनाने के साथ साथ निरन्तर एवं भरपूर रोजगार सुनिश्चित रखना होगा । उनकी पांचवी योजना के कार्यक्रम की प्रमुख बातें यें हैं।

(1) खादी में सुधरी प्रौद्योगिकी को अपनाना – सूती खादी में परम्परागत चर्खा के स्थान पर दो तकुओं वाला नए माडल चर्खों का उपयोग, 6 और 12 तकुओं वाले नए माडल के चर्खों को चालू करना, मलमल खादी के उत्पादन में वृद्धि पर जोर रहेगा। ऊनी खादी व रेशम खादी में सुधरी प्रौद्योगिकी अपनाना व उत्पादन में विविधता लाना ।

(2) ग्रामोद्योग में सुधरी प्रौद्योगिकी उत्पादन की सुधरी विधि को चलाना ।

(3) चुने गए स्थानों पर फैब्रिक के ग्रामीण केन्द्रों की स्थापना के जरिए लोक वस्त्र (स्टैण्डर्ड किस्म के मोटा सुती कपडे) के उत्पादन की विशेष योजना ।

(4) आयोग के क्षेत्राधीन उद्योगों की सूची को बढाने की दृष्टि से नए उद्योगों का पता लगाया जाएगा जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का आधार विस्तृत किया जा सके ।

(5) आयोग के कार्यक्रम की नई दिशा में कारीगर अथवा कारीगरों के समूह को सहायता तथा सम्यक प्रौद्योगिकी को अपनाना सम्मिलित है ।

(6) आयोग के विकास कार्यक्रम जिसके लिए कि सरकार द्वारा धनराशि दी जाएगी के अतिरिक्त ग्रामीण उद्योगों के पांचवीं योजना में विकास करने के लिए बैंकों से धनराशि प्राप्त करने का आयोग का प्रस्ताव है ।

(7) पिछड़े क्षेत्रों के शीघ्र विकास पर ध्यान केन्द्रित करना ।

खादी ग्रामोद्योग आयोग के पांचवीं योजना के कार्यक्रम के वित्तीयत के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के केन्द्रीय क्षेत्र के 180 करोड़ रु० के अनन्तिम परिव्यय का प्रस्ताव है ।

ट्यूबों और टायरों का निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाना

***383. श्री मधु लिमये :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में निर्मित विभिन्न प्रकार के ट्यूबों और टायरों को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है;

(ख) क्या सरकार ने बाजार में विभिन्न प्रकार के ट्यूबों और टायरों को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्यों पर बेचे जाने के बारे में स्वयं जांच की है ताकि यह पता लग सके कि उनका कितना अधिक मूल्य लिया जाता है, और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1974 के आरम्भ में ये निर्धारित मूल्य से कितने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे थे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) वर्ष 1973 में टायरों के ट्यूबों का उत्पादन 1972 वर्ष के उत्पादन से अधिक रहा है यद्यपि इनकी उपलब्धता मांग के बराबर नहीं रही है । यद्यपि सभी किस्मों के टायर ट्यूबों की तंगी नहीं है । यह बताया जाता है कि कुछ किस्म के टायर ट्यूब लाभ पर भी बिक रहे है तथापि कुछ श्रेणी के विशेषकर बसों व ट्रकों के टायर ट्यूबों के अधिक मूल्य पर बेचे जाने की रिपोर्ट मिली है । सरकार ने अधिक मूल्य लिए जाने की संभावना केवल विक्रेताओं के बाजार में बदलने के हेतु दी गयी मात्रा के बारे में ही है । इस गैर सामाजिक आदत को समूल उखाड़ने का एकमात्र संतोषप्रद हर मांग के अनुरूप पर्याप्त उत्पादन है। दुर्भाग्यवश उत्पादन बिजली में कटौतियों, कारखानों में हड़तालों, कच्चे माल की अपर्याप्त अनुपलब्धता इत्यादि जैसे विभिन्न अवरोधों के कारण मांग के अनुरूप नहीं रहा है ।

अतः सरकार दोषपूर्ण आदतों को बंद करने के उद्देश्य से संभव सीमा तक उत्पादन बढ़ाने और वितरण के वर्तमान तरीकों को सुप्रवाही बनाने के विभिन्न अभ्युपायों पर ध्यान केन्द्रीत करती रही है ।

टायर और ट्यूब को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया है तथा राज्य सरकारों से उनके भूभाग में टायरों और ट्यूबों के वितरण पर नियंत्रण आदेश जारी करने के लिए कहा गया है । उन्हें अनैतिक कार्य करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए आवश्यक अधिकार प्राप्त है। केन्द्रीय सरकार ने टायर और ट्यूब (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1973 भी जारी किया है तथा कमी वाले कुछ प्रकार के टायरों और ट्यूबों का मूल्य निश्चित कर दिया गया है ।

भूतपूर्व मैसूर क्षेत्र तथा कर्नाटक राज्य में उद्योग

3779. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व मैसूर क्षेत्र तथा कर्नाटक राज्य के शेष भाग में सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से उद्योग चल रहे हैं, और

(ख) भूतपूर्व मैसूर क्षेत्र और कर्नाटक राज्य के शेष भाग में एक करोड़ रुपए से अधिक प्रदत्त पुंजी-वाले कौन से उद्योग गैर सरकारी क्षेत्र में चल रहे हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Indian Engineers in Kuwait, West Germany and Australia

3780. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government propose to ascertain the number of Indian Engineers in Kuwait, West Germany and Australia at present; and

(b) if so, the action so far taken in the matter ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technoloy (Shri C. Subramaniam) : (a) There is no such proposal at present.

(b) Does not arise.

भाखड़ा बांध के निकट नहला में कागज़ का कारखाना लगाना

3781. **श्री पन्नालाल बारुपाल :**

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा–नांगल क्षेत्र का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार का कनाड़ा के सहयोग से भाखड़ा बांध के निकट नहला में एक कागज़ कारखाना लगाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क) और (ख) इस समय भाखड़ा बाँध के निकट नहला में कागज़ मिल लगाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। क्षेत्र के विकास सम्बन्धी यदि कोई प्रस्ताव होगा तो उस पर उसके गुणावगुणों के आधार पर सरकार विचार करेगी।

राज्यों में शिक्षित व्यक्तियों के लिये रोजगार

3782. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये, राज्यवार अब तक कितनी राशि खर्च की गई है और कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला है ; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये नियत धनराशि में कटौती की गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) कृषि, बड़ी, मझोली और लघु सिंचाई भूमि संरक्षण, बड़े, मध्यम और लघु उद्योग, बिजली, संचार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवायें आदि के क्षेत्रों में अन्य लोगों के साथ शिक्षित लोगों को अधिकांश रोजगार के अवसर सुलभ करने वाले विभिन्न योजना कार्यक्रमों के अलावा, शिक्षित लोगों को और रोजगार के अवसर सुलभ करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान समय समय पर अनेक विशेष काम आरम्भ किए गये। ये हैं :—

(1) शिक्षित बेरोजगारों के लिए 1971-72 में आरम्भ किया गया कार्यक्रम। अनुबन्ध-क में 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार खर्च की गई राशि तथा सर्जित रोजगार के अवसरों को बताया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–6482/74**]

(2) राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए 1972-73 में विशेष रोजगार कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सुलभ करना है। अनुबन्ध-ख में 1972-73 और 1973-74 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार खर्च की गई राशि तथा सर्जित रोजगार के अवसरों को बताया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०— 6482/73]**

(3) शिक्षित बेरोजगारों के लिए पांच लाख रोजगार के अवसर कार्यक्रम 1973-74 में आरम्भ किया गया, अनुबन्ध-ग में 1973-74 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार अद्यतन खर्च की गई राशि तथा सर्जित रोजगार के अवसरों को बताया गया है।

(ख) मितव्ययिता लाने के लिए केन्द्रीय बजट में की गई कमी के कारण शिक्षित बेरोजगारों के लिए कार्यक्रम (जारी) के अन्तर्गत 1973-74 के दौरान 63 करोड़ रुपये के मूल आवंटन को घटाकर 45.85 करोड़ रुपये करना पड़ा। जहां तक विशेष रोजगार कार्यक्रम के लिए आवंटन का प्रश्न है, यहां भी इन्हीं कारणों से 1973-74 के दौरान 27 करोड़ रु० से घटा कर 23 करोड़ रुपये करना पड़ा। पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के लिए 1973-74 के दौरान निर्धारित 100 करोड़ रुपये का आवंटन भी घटा कर 70 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस प्रकार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 करोड़ रुपये की बचत की गई।

विद्युत् वितरण में विद्युत् कंडक्टरों की भूमिका

3783. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अगस्त, 1973 में केबिल और कंडक्टर उद्योग द्वारा प्रायोजित विद्युत् वितरण में कंडक्टरों की भूमिका पर हुई गोष्ठी में सिफारिश की गई थी कि (1) केवल ऑल एलूमिनियम के बने कंडक्टरों, एलुमिनियम के कंडक्टरों तथा इस्पात मिले कंडक्टरों के लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों की क्षमता दो पालियों के आधार पर निश्चित की जाये, और (2) तकनीकी विकास महानिदेशालय और एस० एस० आई० में कारखानों को कच्चे माल का कोटा समान आधार पर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों पर सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क)(1) और (2) जी, हां।

(ख) 1973-74 के लिए खनन व धातु विभाग ने लघ इकाइयों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 20,000 मी० टन का आबंटन किया था। चूंकि लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों की ठीकठीक क्षमता आंकी नही गई है अत: इसी मात्रा तक आबंटन सीमित रखा गया। फिर भी लघु इकाइयों के उपयोग हेतु इस माल के आबंटन की मात्रा बढ़ाने के प्रश्न को विकास आयुक्त (लघु उद्योग) ने खनन तथा धातु विभाग के समक्ष रखा है। संगोष्ठी में सिफारिश किये गये लघु उद्योग क्षेत्र में क्षमता के आकलन के प्रश्न पर भी विकास आयुक्त लघु उद्योग विचार कर रहे है।

बिहार के विभिन्न खण्डों के आदिवासियों की ऋणग्रस्तता

3784. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के विभिन्न खण्डों में बसने वाले आदिवासियों की ऋणग्रस्तता के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या हैं और इस सम्बन्ध में उन्हें राहत देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) छोटा नागपुर–संथाल परगना के 6 जिलों में ग्रामीण ऋणग्रस्तता का मूल्यांकन करने के लिये 1968-69 में एक सर्वेक्षण किया गया था। क्षेत्रीय निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, पूर्वी क्षेत्र, ने भी निम्नलिखित दो सर्वेक्षण किये हैं :—

(1) रांची जिले में आदिवासी विकास खण्ड रिवजरी का मूल्यांकन अध्ययन ; और

(2) पालामाऊ जिले में 'सोंकिया' प्रथा (बन्धक श्रम) के प्रचलन पर एक अध्ययन।

(ख) छोटा नागपुर–संथाल परगना के 6 जिलों में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार 37.22 प्रतिशत परिवार ऋणग्रस्त पाये गये। सहकारी समितियों के द्वारा आदिवासियों को ऋण देने के लिये प्रयास किये गये हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये उप-योजनाएं तैयार की जा रही हैं तथा उसमें सम्मिलित किये गये आन्तरिक कार्यक्रमों में से एक ऋण तथा विपणन कार्यक्रम है जिसमें आदिवासी मार्केटों तथा रुपया उधार देने का विनियमन सम्मिलित है।

Fire in Motia Khan, Delhi

3785. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Delhi Police have found out the causes of fire in Motia Khan, Delhi on the 20th February, 1974;

(b) whether such incidents of fire took place in this area in the past also although for some time there had not been any such incident; and

(c) whether some guilty persons have been arrested in connection with this incident ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The fire was accidental caused by the negligence of a shop employee, who had thrown away a lighted match-stick.

(b) On 31-1-1970, a fire had occurred in a shop in this area, which had subsequently spread to adjoining furniture shops. It was an accidental fire caused by an electrical short-circuit and no case was registered nor any persons arrested.

(c) Does not arise.

Scenes of Villainism and Goondaism in the Film 'Raja Kaka'

3786. **Shri Chandra Bhal Mani Tewari** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether scenes of villainism and goondaism have been presented in the attractive manner in the film "Raja Kaka";

(b) whether production of such films is encouraging crime tendency; and

(c) whether any definite guidelines will be laid down for banning such films ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) No such scenes have been permitted by the Board of Film Censors in the Hindi film "Raja Kaka".

(b) Does not arise.

(c) The Cinematograph Act, 1952, and the rules thereunder provide extensive guidelines to curb display of violence, obscenity etc. in films. The Central Board of Film Censors has also been advised by the Government to strictly enforce these provisions.

Allotment of Residential Plots to S. C. Landless Labourers of M. P.

3787. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of residential plots allotted to Scheduled Caste landless labourers in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan period ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : During the Fourth Five Year Plan period 6,82,953 landless persons including members of Scheduled Castes have been allotted residential plots in Madhya Pradesh upto 19th December, 1973. Separate figures for Scheduled Castes are not available.

Allotment of land to Harijans in East Nimar District

3788. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether land is allotted for building houses to the Harijans in three Tehsils of East Nimar District in Madhya Pradesh;

(b) if so, the area thereof; and

(c) whether any register has been prepared in the District showing details about acquisition and allotment of the aforesaid land ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) ; (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

पांचवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों का विकास

3789. श्री रणबहादुर सिंह : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरगुजा (मध्य प्रदेश) के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सरगुजा (मध्य प्रदेश) के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन दिया गया है, योजना आयोग को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों का विकास

3790. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों का विकास करने हेतु सम्बन्धित राज्य योजनाओं के भीतर पृथक उपयोजनाएं बनायें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) इन उप-योजनाओं के मुख्य उद्देश्य होंगे—आदिम जातियों के लोगों की शोषण से मुक्ति, उनका तीव्रगति से सामाजिक और आर्थिक विकास, उनमें आंतरिक बल का निर्माण तथा उन लोगों की संगठनात्मक क्षमता में सुधार। आदिम जातियों के लोगों की बहुलता हो, इस मानदण्ड को मानते हुए सघन क्षेत्रों क

निर्धारण जिला, तालुक और खण्ड स्तरों पर किया जाएगा। सभी क्षेत्रीय आधार पर बनाए कार्यक्रमों जैसे कि जनजातीय विकास खण्ड, जनजातीय विकास एजेंसी तथा ऐसी ही अन्य परियोजनाओं, को उप-योजना में सम्मिलित कर दिया जाएगा इस प्रकार बनाए गए कार्यक्रमों का लक्ष्य प्रत्येक क्षेत्र में विकास के लिए अपेक्षित बुनियादी आधार-भूत सुविधाओं की व्यवस्था करना होगा। ये कार्यक्रम ऋण, बाजार और गोदाम, भूमि अभिलेख और वनों के अधिकार अभिलेखों को पूरा करना, ऋणमोचन, मध्यम तथा छोटी सिंचाई का विकास, कृषि तथा बागवानी में सुधरी कार्य-प्रणाली की व्यवस्था, झूमिंग (शिफ्टिंग) कृषि से सम्बन्धित समस्याओं का निदान, कृषि तथा वनों पर आधारित शोधक उद्योगों की स्थापना, आदिवासी हाटों और वनों से मिलते हुए प्रमुख मार्गों की व्यवस्था, परिवहन और संचार सुविधायें, प्रशासनिक ढांचे का सुदृढ़ीकरण, आदि से सम्बन्धित होंगे।

प्रत्येक विशिष्ट क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य योजना में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत अधिक धन की व्यवस्था की जाएगी। जनजातीय क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित उप-योजनाओं के लिए राज्यों के संसाधनों में कमी को केन्द्रीय वित्तीय सहायता द्वारा पूरा किया जाएगा। इस प्रकार तैयार की गई उप-योजना से जनजातियों की समस्याओं, कार्यक्रमों के उद्देश्यों तथा नीतियों और रूपरेखा, वास्तविक निवेश, वित्तीय परिव्यय, तथा अपेक्षित कानूनी और प्रशासनिक स्वरूप एकीकृत रूप में सामने आएगा।

गोबर आदि का लाभदायक उपयोग

3791. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने गोबर आदि के लाभदायक उपयोग की किसी प्रविधि का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में यदि कोई प्रयोग किए गए है तो वे क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख) निम्नलिखित कार्य किया गया है :—

(1) केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में पेपटोन के उत्पादन, आई० पी० और संघनित मांस निस्सार, बोवाइन प्लाज़मा एलबूमीन, प्रोटिओज़ पेपटोन, पेपरिन और ट्राइपसीन से संबंधित प्रविधियों के मान भी निर्धारित किये गये हैं।

(2) केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में भेषज-स्तरीय पेक्रियोटिन और इनसुलीन का उत्पादन करने के लिये बूचड़खानों के उप-उत्पादनों का उपयोग किया है।

(3) केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मदरास में बूचड़खानों के खून का चिपकावक (गोंद) के रूप में उपयोग किया गया है।

(4) भारतीय प्रायोगिक औषधि संस्थान, कलकत्ता में हेपरिन और हाई एल्यूरोनाइडेस का उत्पादन किया गया है।

(5) केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मदरास में जले हुए और घाव वाले स्थान के जानवरों में कॉलेजन शीट का प्रतिरोपण करना, सोसेज केसिंग और शल्य चिकित्सा के लिये सीमन (सूचक) में उपयोग करना।

(6) पटेल चेस्ट संस्थान, दिल्ली के जीव विज्ञान यूनिट में पेनक्रियोटिन का विश्लेषण और तैयारी को एक प्रायोगिक संयंत्र के रूप में अध्ययन करना।

(7) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला, मैसूर में बूचड़खानों की उपलब्ध आंतों को नमकीन सोसेज केसिंग के रूप में तैयार करने संबंधी प्रविधि की सुधरी तकनीकी को विकसित करने का तरीका निकालना।

भारत के ड्रग कंट्रोलर की आज्ञा से मेडिकल कालेजों में परियोजनाएं जेविक परीक्षणों, विष और असंक्राम्य कार्य औषधालय प्रयोगों पर आधारित है।

Pak Nationals Staying on long term Visas in Gujarat

3792. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani nationals staying on long term visas in Gujrat, district wise, at present; and

(b) the number of those, out of them, whose visas have been extended more than once and the number of those whose visas were extended during the last six months ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Appointment of Controllers in sick textile mills, Kerala

3793. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the number and names of sick textile mills in Kerala at present where Government have appointed Controllers; and

(b) the statements of profit and loss of these mills pertaining to 1973-74 ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana) : (a) and (b) At present, there are 5 textile undertaking in Kerala whose management has been taken over by Government under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 and the Sick Textile Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1972. The names of these undertakings and the profit (provisional figures) made by them are as follows :—

Sl. No.	Name of the undertaking	Period	Net profit (provisional) (Rs. in lakhs)
	Under Industries (Development and Regulation) Act, 1951		
1	Alagappa Textile (Cochin) Ltd., Alagappanagar	January to December, 1973	39.00
2	Parvathi Mills Ltd., Quilon	April 73 to January, 1974	8.18
	Under Sick Textile Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1972		
3	Cannanore Spg. and Wvg. Mills, Cannanore (Kerala)	April, 73 to January, 1974	24.73
4	Kerala Lakshmi Mills, Trichur, Kerala State	January to December, 1973	29.71
5	Vijaymohini Mills, Trivandrum	January to December, 1973	25.94

थोरियम और यूरेनियम निक्षेप

3794. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**
श्री वयालार रवि :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में थोरियम और यूरेनियम के कुल कितने निक्षेप होने का अनुमान है और इन निक्षेपों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन संसाधनों की जांच और विदोहन तेज करने और अन्तर्राष्ट्रीय उर्जा संकट को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के न्युक्लीयर ईंधन के बारे में अनुसंधान कार्य बढ़ाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तैयार किये गये प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) मोनाजाइट, जो कि थोरियम से युक्त प्रमुख खनिज है, के भंडारों में विद्यमान खनिज की मात्रा लगभग 3.818 मिलियन मीटरिक टन है तथा इस खनिज में विद्यमान थोरियम आक्साइड की मात्रा लगभग 343,000 मीटरिक टन है। मोनाजाइट के भंडारों का राज्यवार ब्योरा नीचे दिया जा रहा है :—

राज्य	भंडार मिलियन मीटरिक टन
तामिलनाडु . .	0.96
केरल . . .	0.60
उड़ीसा	0.72
आंध्र प्रदेश . .	0.09
पश्चिमी बंगाल	1.22
बिहार	0.22

यूरेनियम के प्रमाणित तथा अनुमानित भंडारों में विद्यमान विभिन्न ग्रेड के यूरेनियम आक्साइड (U_3O_8) की मात्रा लगभग 59,973 मीटरिक टन है, जिसमें से 13,070 मीटरिक टन धातुक तो 0.05 प्रतिशत अथवा उससे अधिक ग्रेड का है तथा शेष धातुक इससे कम ग्रेड का। यूरेनियम के मुख्य भंडार बिहार में विद्यमान हैं। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि में भी कुछ स्थानों पर यूरेनियम पाया गया है।

(ख) तथा (ग) भारत के समुद्र तट की रेत में विद्यमान मोनाजाइट की मात्रा का अनुमान लगाने के एक कार्यक्रम के अन्तर्गत परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। इस खनिज के समृद्धतम भंडारों से खनिज निकालने का काम मेसर्स इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड तथा मेसर्स केरल मिनरल्स एंड मेटल लिमिटेड द्वारा किया जाता है। बिजली के उत्पादन के लिए थोरियम को बड़े पैमाने पर प्रयुक्त करने के विभिन्न तरीकों का विकास करने के लिए उस फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर को काम में लाया जायेगा जो कि आजकाल निर्माणाधीन है।

यूरेनियम के नये भंडारों का पता लगाने का काम देश के कुछ चुने गए इलाकों में शुरू किया जा चुका है। यूरेनियम के प्रमुख भंडारों से धातुक का खनन करने का काम परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया जा रहा है। चालू किए जा चुके या निर्माणाधीन या भविष्य में बनाए जाने वाले बिजलीघरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नाभिकीय इंधनों का विकास किया जा रहा है।

परमाणु उपकरणों के लिए विदेशी मंडियां

3795. श्री वयालार रवि : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे परमाणु उपकरणों के लिए विदेशी मंडियों की खोज करने के प्रयासों में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) अन्य देशों के साथ कितने समझोते किए गए और प्रत्येक का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अब तक कितने मूल्य के उपकरणों का निर्यात किया गया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) से (ग) न्यूक्लीय उपकरणों तथा उपस्करों के निर्यात के लिए विदेशी मंडियों की खोज करने की दिशा में कुछ प्रारम्भिक कदम परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा उठाये गये हैं। इस दिशा में और आगे प्रयास जारी हैं। क्योंकि अन्य देशों से अब तक कोई आर्डर नहीं मिला है, इस लिए फिलहाल इन वस्तुओं के निर्यात के लिए उन देशों के साथ कोई करार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में टेलीफोन के बिलों में राशि को बढा चढा कर दिखाना

3797. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलिफोन बिलों में अधिक राशि दिखाये जाने के बारे में कुछ संसद सदस्यों से जुलाई-अगस्त, 1973 के दौरान दिल्ली टेलिफोन्स के अधीन टेलीफोनों के कार्यकरण के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन संसद सदस्यों के नाम क्या हैं, जिन्होंने ये शिकायतें भेजी हैं ; और

(ग) दिल्ली टेलीफोन्स के जोरबाग एक्सचेंज में फोन नं० 79879, 79894 और 79898 के टेलीफोन बिलों मे बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई राशि को ठीक करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) जुलाई और अगस्त 1973 के दौरान बढ़ी हुई रकमों के बिलों के संबंध में संसद सदस्यों 1. श्री टी० ए० पाटिल, एम० पी०, लोक-सभा, 2. श्री टी० के० पाटिल, एम० पी०, राज्य-सभा, 3. श्री अजीज़ इमाम, एम० पी०, लोक-सभा, 4. श्री डी० वी० अलगेसन, एम०पी०, लोक-सभा, 5. श्री महावीर दास, एम०पी०, राज्य-सभा—से 5 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। 1972 में इसी अवधि के दौरान शिकायतों की संख्या 23 थी।

(ग) इन तीनों टेलीफोनों में से किसी भी टलीफोन पर बढ़ी हुई रकम के बिलों के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। टेलीफोन नम्बर 79879 एक प्राइवेट क्वाइन बाक्स पी० सी० ओ० के तौर पर काम कर रहा है और इसके बिलों का निपटारा नियमित रूप से हो रहा है। टेलीफोन नंबर 79894 शुरू में एक प्राइवेट पी० सी० ओ० के तौर पर खोला गया था और बाद में इसे एक प्राइवेट अहाते में क्वाइन बाक्स पी० सी० ओ० के तौर पर बदल दिया गया था। किसी भी मामले में इस पी० सी० ओ० से हुई आय न्यूनतम गारंटी की रकम के बराबर नहीं हुई और किराये पर लने वाली पार्टी ने भी आय में होने वाली कमी पूरी

नहीं की । यह टेलीफोन नम्बर बंद कर दिया गया है । टेलीफोन नम्बर 79898 पिछलीबार एक नैमित्तिक टेलीफोन के तौर पर खोला गया था और इसकी मंजूरी की मीयाद खत्म होने पर इसे बंद कर दिया गया था ।

भट्टी तेल के अभाव के कारण उद्योगों का बंद होना

3798. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1974 को भट्टी तेल की कमी के कारण प्रत्येक राज्य में कितने उद्योग बंद हो गए हैं ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने श्रमिकों को जबरन छुट्टी दे दी गई है और अथवा छंटनी कर दी गई है; और

(ग) इससे कितने उत्पादन की हानि हुई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क) तकनीकी विकास के महानिदेशालय में सूचीबद्ध कारखानों में गुजरात के केवल एक कारखाने ने (31-1-1974 की स्थिति) भट्टी के तेल के अभाव में कारखाना बन्द करने की सूचना दी है ।

(ख) बेरोजगार हुए मजदूरों की संख्या इस कारखाने ने सूचित नहीं की है ।

(ग) उत्पादन की हानि का अनुमान लगभग 2.5 लाख रु० प्रति मास है ।

वर्ष 1970-72 में उद्योगों को हानि

3799. **श्री विश्वनाथ झुन्झुनवाला** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार ने 1970-72 के दौरान सरकारी क्षेत्र के तथा गैर सरकारी के उद्योगों को 1970-72 के दौरान तालाबंदी और हड़तालों के कारण अलग-अलग होने वाली हानि के संबंध में कोई निर्धारण किया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : 1970 वर्ष में हुई निजी व सरकारी क्षेत्रों के उत्पादन में हुई हानि के विषय में सूचना अलग अलग से संकलित नहीं की गई थी । इस उद्योग की कुल हानि 55,07,57,065 रु० की ।

1971-72 वर्ष की स्थिति निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है ।

क्रम सं०	क्षेत्र	उत्पादन हानि का मूल्य (रु०)	
		1971	1972
1	सरकारी क्षेत्र . . .	9,46,64,707	17,25,47,440
2	निजी क्षेत्र . . .	81,07,33,803	80,75,54,568

सीमेंट निर्माताओं की कठिनाइयां

3800. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 फरवरी, 1974 के एक समाचार 'सीमेंट शार्टेज व्हाई' शीर्षक विज्ञापन के माध्यम से सीमेंट के उत्पादन में कमी के लिए उत्तरदायी कठिनाइयों को सीमेंट निर्माताओं ने व्यक्त किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार को विज्ञापन में निर्दिष्ट उद्योग की समस्याओं के बारे में जानकारी है और उनको दूर करने के लिए विभिन्न अभ्युपाय भी किए जा रहे है ।

बंगलौर में घड़ी निर्माण केन्द्र का विकास

3801. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी तथा लघु उद्योग क्षेत्रों के अंतर्गत बंगलौर घड़ी निर्माण के एक बहुत बड़े केन्द्र के रूप विकसित हो रहा है,

(ख) बंगलौर में घड़ी उद्योग के विकास के लिए अवस्थापना संबंधी क्या विशिष्ट सुविधायें उपलब्ध हैं, और

(ग) इन सुविधाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए पूरा कार्यवाही करने का क्या बिचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) माध्यम मौसम की स्थिति रेत रहित वातावरण अवस्थापना सुविधाओं यथा भूमि, बिजली कुशल श्रमिक, परिवहन संचार सुविधाएं तथा परिवेश में सहायक उद्योगों के होने के कारण बंगलौर घड़ियो के उत्पादन का केन्द्र बनने योग्य है । वर्तमान हिन्दुस्तान मशीन टल्स संयंत्र के अतिरिक्त घड़ियां, इलैक्ट्रानिक्स मास्टर क्लाक तथा बाल कमानी (हेयर स्प्रिंग) बनाने के लिए दो और परियोजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है ।

घड़ी उद्योग, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता । बंगलोर या बंगलौर के आस पास से इस उद्योग के लिए सरकार के पास अनिर्णीत कोई प्रस्ताव नहीं । उस क्षत्र से प्राप्त घड़ी बनाने के प्रस्तावों पर गुणावगुण तथा समय समय पर लागू नीति के अनुसार विचार किया जाएगा ।

लघु उद्योग क्षेत्र में घड़ी उद्योग का विकास

3802. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घड़ियों के निर्माण के लिए इंजीनियर तैयार करने हेतु होरोलोजिकल इंजीनियरिंग के लिए कोई पोलिटेक्निक है,

(ख) इस पोलीटेक्निक से प्रशिक्षण प्राप्त करके निकलने वाले इंजीनियरों के लिए रोजगार संबंधी भविष्य क्या है,

5—6. L.S.S./74

(ग) क्या सरकार इस उपलब्ध कौशल का उपयोग करने तथा विदेशी मुद्रा की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लघु उद्योग क्षेत्र में घड़ी उद्योग का विकास करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने 1973-74 से होरोलेजिकल इंजीनियरी में एक डिप्लोमा कौर्स शुरू करने के लिए बंगलौर में पोलिटेक्निक स्थापित करने की स्वीकृति दी है। आशा है कि इस पोलीटेक्निक में प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों के लिए स्वरोजगार एवं सवेतन रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।

(ग) जी, हां। वास्तव में सरकार द्वारा प्रायोजित 9 योजनाओं को लघु उद्योग विकास संगठन ने स्वीकृति दे दी है।

Automatic Telephone System in M. P.

3803. **Shri Lambodar Baliyar** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state the names of the places in Madhya Pradesh where automatic telephone system has been introduced ?

The Minister of State for Communications (Prof. Sher Singh) : The names of the places in Madhya Pradesh where automatic telephone system has been introduced are given in the enclosure at Annexure I. [*Placed in the library See No. L. T.*—6483/74]

Application from M. P. for Supply of Bus Tyres

3804. **Shri Lambodar Baliyar** : Will the **Minister of Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have made an application to the Centre for the supply of bus tyres; and

(b) if so, the Action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Postal Facilities in Rural areas of M. P.

3805. **Shri Lambodar Baliyar** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the proposals included in the Fifth Five Year Plan for extending postal facilities in rural areas in Madhya Pradesh; and

(b) whether the targets set for this purpose in the Fourth Plan have been achieved in full; and if not. the reasons therefore ?

The Minister of state for Communications (Prof. Sher Singh) : (a) It is proposed to provide post offices at Gram Panchyat Villages having the nearest post office beyond two miles and at some other villages. Such villages in Madhya Pradesh which satisfy the prescribed conditions, will be considered for opening post offices.

(b) The target was not achived in full. Opening of post offices depends upon the fulfilment of certain prescribed conditions; such as distance and minimum income. Post Offices have been opened to the extent the conditions have been fulfilled. During 1973-74, the number of post offices to be opened has to be restricted due to general financial stringency.

सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कलकता द्वारा विकसित मिनी फिल्टर पम्प

3806. **श्री लम्बोदर बलियार : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिक** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा कर्मचारियों के उपयोग के लिए सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सेरामिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट कलकत्ता ने एक मिनी फिल्टर पम्प का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उक्त उपकरण की लागत कितनी होगी ।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) "के०ए०टी० ए० डी० वाई० एन०" पौकिट पम्प के लिये संस्थान ने सिरामिक मोमबत्ती का विकास किया है जिसकी रक्षा कर्मचारियों द्वारा नदियों और तालाबों से छना हुआ जीवाणु रहित जल प्राप्त करने के लिये किया गया है ।

(ख) संस्थान द्वारा विकसित सिरामिक मोमबत्ती को देश में उपलब्ध सिरामिक संबंधी कच्ची सामग्री से निर्मित किया गया है । प्रथम बैच की चार मोमबत्तियों की रिपोर्ट रक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं से प्राप्त हुओ थी, जो संतोषजनक थो । आठ फिल्टर मोमबत्तियों के दूसरे बच का परीक्षण भारतीय प्रायोगिक औषधि संस्थान, कलकता में किया गया था और संतोषजनक पाया गया था ।

(ग) एक सिरामिक मोमबत्ती की कीमत अनुमानतः प्रति तीन रुपये आंकी गई है ।

अन्तर्देशिय पत्रों के लिए कागज का प्रयोग

3807. **श्री लम्बोदर बलियार : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्तर्देशीय पत्न अत्यन्त घटिया कागज से बना जा रहे है और उन पर लिखना कठिन होता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) आजकल जिन अन्तर्देशीय पत्र-कार्डों का इस्तेमाल हो रहा है वे उम्दा किस्म के अपारदर्शक व हल्के वजन वाले कागज पर छापे जाते हैं । इनकी बिक्री 31-7-1972 से हो रही है । फिर भी अंतर्देशीय पत्र-कार्डों के लिए और भी अच्छी किस्म की कागज काम में लाने के वास्ते से ही कार्रवाई की जा रही है ।

कृषि उत्पादन का मूल्य

3808. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में प्रति वर्ष कितने मूल्य का कृषि उत्पादन हुआ; और

(ख) पाचवीं योजना के लिए इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में मुख्य फसलों के कृषि उत्पादन का मूल्य विवरण-1 में संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । दखिए संख्या एल० टी०-6484/74]**

(ख) खाद्यान्नों और चार महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों के बारे में पांचवीं योजना के लिए निर्धारित भौतिक लक्ष्य संलग्न विवरण-2 में दिए गये हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-6484/74]**

भारतीय समाचार पत्रों में विदेशी धन का प्रयोग

3809. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समाचार पत्रों में विदेशी धन के उपयोग के बारे में 5 दिसम्बर, 1973 को समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने समाचार की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) सरकार प्रेस से सम्बद्ध व्यक्तियों और एजेंसियों समेत देश में व्यक्तियों तथा संगठनों द्वारा विदेशी स्त्रोतों से अंशदान अथवा आतिथ्यसत्कार की स्वीकृति नियंत्रित तथा नियमित करने की आवश्यकता को समझती है। तद्नुसार सरकार द्वारा विदेशी अंशदान (विनियम) विधेयक, 1973 तैयार किया गया और 24 दिसम्बर, 1973 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया।

गुजरात में छात्र हिंसा के कारण

3810. **श्री बेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गुजरात में छात्रों द्वारा हिंसात्मक गतिविधियां की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने छात्रों की हिंसात्मक गतिविधियां के कारणों की काई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो वे कारण क्या हैं और सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) से (ग) गुजरात में छात्रों तथा विभिन्न राजनैतिक दलों ने खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी व मूल्य वृद्धि के विरुद्ध हाल में आन्दोलन किया था। हिंसा तथा अवैध गतिविधियों के व्यक्तिगत घटनाओं की जांच की गई थी परन्तु छात्रों की हिंसा के कारणों के संबंध में कोई जांच नहीं की गई थी।

अपराधियों को सुधारात्मक दण्ड देने का प्रस्ताव

3811. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल ही में विचार गोष्ठियों और लेखों में कानूनी राय में इस बात पर मतैक्य रहा है कि अपराधियों को दी जाने वाली सजा सुधारात्मक होनी चाहिए और इसको कठोर बनाने पर अधिक जोर नहीं दिया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इन विचारों को क्रियान्वित करने की दिशा में क्या कोई ठोस कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) यह प्रश्न, कि क्या अपराधियों का दी जाने वाली सजा सुधारात्मक होनी चाहिये और इसके कठोर रुख पर कम जोर दिया जाना चाहिये, नितान्तरुप से एक वैधानिक समस्या की अपेक्षा सामाजिक अधिक है । भारतीय दण्ड संहिता 1860, जो अपराधों तथा सजा का एक मौलिक विधान है, को संशोधित करने के लिये विधेयक के प्रावधानों को अन्तिम रूप देते समय वर्तमान दृष्टिकोण का विचार किया गया है । विधेयक पर इस समय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । जहां तक प्रशासनिक क्षेत्र का संबंध है राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जेल प्रशासन में सुधार पर निरन्तर ध्यान रखा जाता है ।

ऊर्जा स्त्रोतों के खपत ढांचे को बदलना

3812. श्री पुरुषोत्तम काकोड़कर :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऊर्जा स्त्रोतों के खपत ढांचे को धीरे-धीरे बदलने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) ऊर्जा संकट तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि और उत्पादन स्थिति को ध्यान में रखते हुए तेल के उपभोग को कम करने की विभिन्न सम्भावनाओं तथा अन्य प्रकार की ऊर्जा, जैसे कोयला, तापीय बिजली और जल विद्युत्, प्रयोग करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । तेल के स्थान पर दूसरे देशी ऊर्जा स्त्रोंतो के उपयोग की संभावनाओं पर विस्तृत रूप से विचार करने के लिए योजना आयोग ने कई कार्यकारी दलों का गठन किया है । कार्यकारी दलों की सिफारिशों पर, जिनके शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की संभावना है, अमल करने और ऐसे प्रतिस्थापनों के लिए यथासंभव उचित समझे गए उपाय अपनाने के साथ-साथ ऐसी विशिष्ट परियोजनाओं का निर्धारण करने का प्रस्ताव है जो इस प्रकार के परिवर्तन के अनुरूप हों ।

'आई० बी० एम्ज ब्रेजन बायोलेशन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3813. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **इलैक्ट्रोनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान बम्बई से प्रकाशित होने वाले एक समाचार-पत्र के दिनांक 13 दिसम्बर, 1973 के अंक में "आई० बी० एम्ज वायोलेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार को और दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) आई० बी० एम० भारत में कार्य कर रही शतप्रतिशत विदेशी साम्या कम्पनी है । इनके कार्यक्रम में कम्प्यूटरों का विपणन, विक्रय, पट्टे पर देना तथा अनुरक्षण, सेवा ब्यौरों चलाना तथा अधिकांश रूप

से निर्यात के लिए और सीमित मात्रा में आन्तरिक मांग की पूर्ति के लिए कम्प्यूटर पेरिफेरलें का निर्माण करना है। इनका भारत के कम्प्यूटर मार्किट में (स्थापित की गई मशीनों के रूप में) महत्व हैं तथा इसके द्वारा सभी प्रकार के वर्गों के उपभोक्ताओं से व्यापक सम्पर्क बनता है। आई०बी०एम० का समस्त कार्यक्रम सरकार के गहरे अध्ययन के अन्तर्गत रहे हैं तथा फिलहाल, आन्तरिक विभागीय समिति उनके विभिन्न लागत पहलुओं का अध्ययन कर रहीं है।

उपभोक्ता विभागों तथा अभिकरणों का आयात, सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शनों के आधार पर विनियमित किया जाता है। जो कम्प्यूटर स्थानीय उत्पादकों द्वारा उपलब्ध किये गये कम्प्यूटरों से भिन्न होते हैं उन्हें आयात की खर्चीली मदें समझा जाता है तथा इसका आयात इलैक्टोनिकी विभाग द्वारा विशेष रुप से अनुमति देने पर ही किया जाता है जो सर्वप्रथम आवश्यकता की तथा इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु समाकृति की जांच करता है। पुन: यह सुझाव दिया गया है कि कम्प्यूटर पद्धति का अन्तिम रुप से चयन करने के लिए सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित एक उपयुक्त समिति द्वारा किया जाय। अत: सरकार, कम्प्यूटर मार्कीट में पनप रहे एकाधिकार को समाप्त करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न कर रही है कि कम्प्यूटरों का आगे विकास एक समान आधार पर तथा राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में हो।

Small Industries in Backward Districts of M. P. during Fifth Plan

3815. **Shri Phool Chand Verma** : Will the **Minister of Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the total number of small industries proposed to be set up in backward districts in Madhya Pradesh during the Fifth Five Year Plan; and

(b) the outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) As the Fifth Plan targets for the state are yet to be finalised, it is not possible to indicate at this stage the number of small industries proposed to be set up in the backward districts in Madhya Pradesh.

(b) Does not arise.

सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के लिए 24 असैनिक रक्षा कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही

3816. **श्री एस० एम० बनर्जी : क्या गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० ओ० डी० दिल्ली कैंट के 24 असैनिक रक्षा कर्मचारियों के विरुद्ध 12 जुलाई, 1966 को हुई एक दिन की आंशिक हड़ताल में भाग लेने के लिए दण्ड संशोधन विधि, 1932 की धारा के अधीन कानूनी कार्यवाही अब भी चल रही है; और

(ख) यदि हां; तो इन कानूनी कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय की कार्यवाहियां स्थगित कर दी गई हैं तथा इस मामले को वापिस लेने के बारे में इस समय विचार न करने का निर्णय किया गया है।

डलखोला तापीय विद्युत परियोजना

3817. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने डलखोला तापीय विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उक्त योजना को स्थगित करने की कोई संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) डलखोला नामक स्थान पर पर्याप्त मात्रा में संचारी जल पूर्ति के लिए उपलब्ध न होना तथा सुपर थर्मल स्टेशन के रूप में विकसित होने में अन्तर्निहित कमियां होना जैसी कतिपय असुविधायें हैं । फरक्का बैरेज के पास के वैकल्पिक स्थान पर विचार किया जा रहा है ।

छोटे पैमाने के क्षेत्र के उद्योगों के लिए कैनेसाइजिंग एजेन्सियों के माध्यम से कच्चा माल

3818. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कलकत्ता के समाचार पत्र में प्रकाशित यह समाचार देखा है कि छोटे पैमाने के क्षेत्र के उद्योगों को कैनेलाइजिंग एजिंसियों के माध्यम से कच्चा माल प्राप्त करने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) :(क) और (ख) जी, नहीं । किन्तु कुछ लघु उद्योग एककों से कुछ प्रकार के कच्चे माल के मिलने में विलम्ब के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और उन पर कार्यवाही की गई है ।

विदेशों के सहयोग के साथ चलने वाली परियोजनाएं

3819. श्री वसन्त साठे : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में दिसम्बर, 1973 तक कितनी सहयोग योजनायें स्वीकार की गई थीं और उनका तत्यात्मक ब्यौरा क्या है जसे परियोजनाओं का स्वरूप, परियोजनाओं की अनुमानित लागत, एसे उद्योग जिनमें, विदेशी भाग ले रहे हैं और तिथि वार कहां कहां स्थापित किए गए ह,

(ख) चालू वर्ष में स्वीकार की गई परियोजनाओं में से कितनी देश के पिछड़े भागों में स्थापित की गई और कितनी महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में की गई हैं, और

(ग) तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी):(क) से (ग) सरकार द्वारा 1973 में स्वीकृत किए गए विदेशी सहयोग प्रस्तावों की कुल संख्या 265 थी जिनमें से 34 मामलों में विदेशी पुंजी में अंशदान भी सम्मिलित था । बड़े उद्योगों तथा लघु उद्योगों के अधीन आने वाली परियोजनाओं की संख्या क्रमशः 241 तथा 24 थी । 1973 वर्ष में स्वीकृत किए गए विदेशी सहयोग के प्रस्तावों का एक विवरण संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है, इस विवरण में भारतीय पार्टी का नाम, विदेशी सहयोगी का नाम बनाई जाने वाली वस्तु, प्रस्ताव में विदेशी पुंजी लगेगी या नहीं तथा परियोजना के स्थापना स्थल (पार्टी द्वारा अपने आवेदन में यथा उल्लिखित) का उल्लेख किया गया है ।

पश्चिम बंगाल में विदेशी सहयोग योजनाएं

3820. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में वर्ष 1972–73 में स्वीकृत विदेशी सहयोग प्राप्त उन योजनाओं के नाम क्या हैं जो अब तक क्रियान्वित की गई हैं और उनके नाम क्या हैं जिन्हें अभी क्रियान्वित किया जाना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : पश्चिम बंगाल औद्योगिक कारखाने लगाने के लिए 1972–73 (अप्रैल, 1972 से मार्च, 1973 तक) में सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए विदेशी सहयोग के प्रस्तावों का विवरण भारतीय पार्टी के नाम, विदेशी सहयोगी का नाम/बनाई जाने वाली वस्तु का नाम तथा कारखाने का स्थापना स्थल (जो विदेशी सहयोग हेतु पार्टी द्वारा अपने आवेदन में लिखा गया है) सहित संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–6485/74**] सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए विदेशी सहयोग की शर्तों और उपबन्धों के आधार पर पार्टियों को सहयोग के करार करने होते हैं। चूंकि विदेशी सहयोग के आवेदन की स्वीकृति तथा उस योजना के क्रियान्वयन में कुछ समय लगता है अत: यह कहना संभव नहीं है कि कितने प्रस्ताव क्रियान्वित किए जा चुके हैं तथा कितने प्रस्ताव क्रियान्वित किए जाने की संभावना है।

Alleged Fraud in Purchase of Cotton for Silk Cloth Mills of Indore

3821. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether complaints have been received about the fraud in the purchase of cotton in 1973-74 for the sick cloth mills of Indore (Madhya Pradesh) being run by the National Textile Corporation; and

(b) if so, the quantity of cotton purchased during the above year for Swadesi Cotton Mills, Indore and Indore Malwa United Mills, Indore and the agency through which it was purchased ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana) : (a) No complaint has been received about the fraud in purchase of cotton in 1973-74 for the sick cloth mills of Indore either by the Central Government or by the National Textile Corporation.

(b) Does not arise.

Demonstration before P. M's. House by All India Federation of Central Government Officers Association

3822. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether about two thousand officers of the All India Federation of Central Government officers Association held a demonstration on 13th February, 1974 in front of her house demanding equal pay for equal work.

(b) whether the demonstrators submitted a memorandum to hear; and

(c) if so, the decision taken by Government on their demands ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Nivas Mirdha) : (a) to (c) A deputation of officers from the All India Confederation of Central Government Officers' Association handed over a memorandum at the gate of the Prime Minister's house on February 13, 1974. The memorandum urges uniformity of pay scales for the Indian Administrative Service and other Class I Services. This question has been examined by the Third Pay Commission whose recommendations on the subject are still under consideration of the Government.

Residential Houses for Harijans, Tribal People and Backward Class in M. P.

3823. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of residential houses proposed to be constructed for Harijans, Tribal people and backward classes in Madhya Pradesh during Fifth Five Year Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : Information is being collected and will be laid on the table of the House.

Restrictions on Consumption of Cement

3824. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme to impose restriction on the consumption of cement;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) how it will benefit Government ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

सूर्य की गर्मी से बिजली पैदा करना

3825. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जैसलमेर जिले में कुछ समय पूर्व लगाये गये संयंत्र में सूर्य की गर्मी से बिजली पैदा करने में भारत सरकार को कितनी सफलता मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) यह विभाग इस बात से अवगत नहीं है कि जैसलमेर जिले में सौर विकिरण से विद्युत उत्पन्न करने संबंधी कोई अनुसंधान कार्य किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र सर्किल में डाक, तार और टेलिफोन सेवाओं का कार्यकरण

3826. श्री अण्णासाहेब गोटखिंडे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोस्टमास्टर जनरल, महाराष्ट्र सर्किल, बम्बई को इस आशय का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि डाक, तार और टेलीफोन सेवाओं के कार्यकरण के बारे में मिरज, जिला सांगली के निर्वाचित प्रतिनिधियों में काफी गलतफहमियों है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) मिरज में एक मुख्य डाकघर खोलने की मांग को लेकर करीब एक महीने पहले मिरज का एक प्रतिनिधि मंडल बम्बई के अपर पोस्ट-मास्टर जनरल से मिला था । उनकी यह मांग भी थी कि बम्बई से मिरज के लिए सीधी तार/टेलीफोन

लाइनें लगाई जाएं जो कि फिलहाल सांगली होकर काम कर रही हैं। प्रशासनिक कारणों से ये प्रस्ताव मंजूर नहीं किए जा सके थे और प्रतिनिधि मंडल को तदनुसार सूचित कर दिया गया था। तथापि, लिखित रूप में कोई प्रतिवेदनप्राप्त नहीं हुआ।

केसिंगों (प्रयुक्त टायरों) का आयात

3827. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जापान, श्रीलंका और इटली से उन केसिंगों अर्थात् प्रयुक्त टायरों के आयात के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें दुबारा डाल कर प्रयोग में लाया जा सकता है,

(ख) क्या ऐसे आयात से ट्रक टायरों की कमी से उत्पन्न स्थिति में सुधार करने में सहायता मिलेगी,

(ग) उक्त अभ्यावेदन में क्या क्या मुख्य बातें उठाई गई हैं, और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) :(क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

बहु राष्ट्रीय फर्मों का औद्योगिक प्रगति पर प्रभाव

3828. **श्री सोमचन्द सोलंकी :**

श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहु राष्ट्रीय बड़ी फर्मों के विदेशी इक्विटी शेयर कम किए जाने के बावजूद वे भारी लाभ कमा रही हैं जिसे वे अपने देशों को भेजती हैं और हमारे देश में आस्तियां बनाती हैं और भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति में बाधक सिद्ध हो रही हैं, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बहूमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत करने और ऐसे मामलों में विदेशी फर्मों को औद्योगिक लाइसेंस देने से इंकार करने पर विचार कर रही हैं जिनमें गैर सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र को एक से अधिक फर्म के पास, चाहे वह लाइसेंस प्राप्त है या उन्हें लाइसेंस दिया जाने वाला है, तकनीकी जानकारी उपलब्ध है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) :(क) और (ख) विदेशी कंपनियों सम्बन्धी लाइसेंस नीति 2 फरवरी, 1973 के लाइसेंस नीति सम्बन्धी वक्तव्य द्वारा प्रशासित होती है। इस नीति के अनुसार विदेशी कम्पनी प्राथमिकता क्षेत्र के केवल 19 विशिष्ट उद्योगों में ही सहभागी बन सकती है जब तक कि उत्पादन प्रमुख रूप से निर्यात के लिये न हो। उनका निवेश भी सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विदेशी इक्विटी कम करने की शर्तों के अधीन है तथा इसकी टेक्नोलोजीकल दृष्टि से निर्यात सम्भावनाओं तथा शेष की भुगतान के कुल प्रभाव के संदर्भ में अग्रेसर जांच की जाती है। इन कम्पनियों द्वारा स्वदेश भेजा जाने वाला लाभ और लाभांश भी भारतीय कराधान के अन्तर्गत आता है।

2. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अधीन 40% से अधिक विदेशी इक्विटी वाली सभी कम्पनियों के लिये अपने कार्य जारी करने के लिये सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। इससे सरकार को अर्थव्यवस्था में इन कम्पनियों के योगदान के संदर्भ में इन कम्पनियों के कार्यों की संवीक्षा करने का अवसर सुलभ हो सकेगा।

बंगाल में सागर द्वीप का विकास

3829. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक डच एजेंसी ने बंगाल के सागर द्वीप का विकास करने के लिए बंगाल सरकार से अनुरोध किया है और उसने संपूर्ण वित्तीय दायित्व भी वहन करने का प्रस्ताव किया है, और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

1946 के रायल इंडियन नैवी विद्रोह में भाग लेने वाले व्यक्तियों को ताम्रपत्र प्रदान करना

3830. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1946 के रायल इंडियन नेवी विद्रोह में भाग लेने वाले कितने व्यक्तियों को अब तक ताम्र पत्र प्रदान किये गये ; और

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार सर्वश्री इन्दर राज तथा राजा सिंह नामक केवल ऐसे दो व्यक्तियों को ताम्रपत्र दिये गये हैं।

बम्बई में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन पत्र

3831. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1974 को बम्बई सिटी (थाने समेत) में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन पत्र विचाराधीन थे; और

(ख) उक्त आवेदन-पत्रों के विचाराधीन होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) बम्बई शहर (जिसमें थाना भी शामिल है) में 31-1-74 को अनिर्णीत पड़ी हुई अर्जियों की संख्या इस प्रकार थी :—

ओ० वाई० टी०	97,303
विशेष	9,804
सामान्य	38,423
योग	1,45,530

(ख) ये अर्जियां टेलीफोन एक्सचेंज में क्षमता न होने और आवश्यक साज-सामान की कमी के कारण अनिर्णीत पड़ी हुई हैं। नये टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए उपयुक्त जगह अर्जित करते समय पैदा हुई कठिनाइयों की वजह से भी नए टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना में विलम्ब हुआ है। उपस्कर और साज-सामान के सीमित साधनों को जुटाते हुए टेलीफोन प्रणाली के विस्तार की हर कोशिश की जा रही है ताकि और अधिक टेलीफोन कनेक्शन दिए जा सकें।

टेलीफोन उपकरणों का निर्माण और आयात

3832. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन टेलीफोन उपकरणों का भारत में निर्माण होता है और किन-किन उपकरणों का आयात किया जाता है तथा कितनी मात्रा में आयात किया जाता है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : भारत में बन रहे टेलीफोन उपस्कर हैं—विभिन्न प्रकार के टेलीफोन उपकरण, करचल एक्सचेंज उपस्कर, स्ट्रोजर किस्म के स्वचल एक्सचेंज उपस्कर, क्रासवार किस्म के स्वचल एक्सचेंज उपस्कर और अन्तरसंचार उपस्कर। पिछले वर्ष टेलीफोन उपस्करों के आयात से सम्बद्ध क्रासवार उपस्कर की 10,000 लाइनों के आयात के लिए एक आदेश दिया गया था।

सर्चलाइट के सम्पादक द्वारा शिकायत

3833. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्चलाइट के सम्पादक द्वारा प्रेस परिषद् से यह शिकायत की गई है कि बिहार के मुख्य मंत्री ने दो पत्रकारों को राज्य खाद्य समिति में नाम निर्देशित करके और उन्हें पूर्ण-रूपेण मंत्री का दर्जा देकर समाचार पत्र की स्वतन्त्रता का हनन किया है ;

(ख) क्या ये पत्रकार अपने व्यवसाय के प्रति सोद्देश्यपूर्ण रवैया बनाये रख सकते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) शिकायत भारतीय प्रेस परिषद् के न्याय-निर्णयाधीन है। जब तक इस विषय पर परिषद् के निष्कर्ष उपलब्ध नहीं हो जाते तब तक सरकार के लिए कोई राय व्यक्त करना उपयुक्त नहीं होगा।

उत्तर बंगाल में कागज परियोजना

3834. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कागज निगम के अधीन उत्तर बंगाल में कागज परियोजना स्थापित करने की जो परियोजना काफी समय से सरकार के विचाराधीन है, उस पर सरकार ने निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है और किस तारीख तक परियोजना का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) हिन्दुस्तान कागज निगम ने इस सम्बन्ध में किसी प्रस्ताव पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नही लिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक गैसों की कमी

3835. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औद्योगिक गैसों के उत्पादन की कुल कितनी क्षमता है और वर्ष 1971, 1972 तथा 1973 में राज्यवार इसके लिये कितने आशय पत्र तथा लाइसेंस जारी किये गये तथा जिनको ये जारी किये गये उनके नाम क्या है तथा कितनी क्षमता के लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में औद्योगिक गैसों की अत्यधिक कमी है और इस कमी को दूर करने और वहां औद्योगिक विकास की प्रगति में वृद्धि के अनुरूप वहां की आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क) देश में औद्योगिक गैसों की कुल उत्पादन क्षमता निम्नलिखित है :—

उत्पादन का नाम	युनिट	अधिष्ठापित वार्षिक उत्पादन क्षमता	वार्षिक उत्पादन क्षमता (कार्या-वयन अधीन)
1. आक्सीजन . .	मिलियन क्यू० मी०	81.1	101.5
2. धुली हुई एसिटिलिन . .	'वही'	14.3	11.8
3. एरगन .	'वही'	0.59	3.9
4. नाइट्रस आक्साइड	मिलियन लिटर	300.00	525.5

1971, 1972 तथा 1973 में जारी किए गए आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंसों के सम्बन्ध में सूचना पार्टियों के नाम सहित "जर्नल आफ इन्डस्ट्री एंड ट्रेड" में उपलब्ध है। इस जर्नल की पतियाँ सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध ह।

(ख) आक्सीजन तथा धुली हुई एसिटिलिन गैस के उत्पादन के लिए पश्चिम बंगाल में आठ कारखाने लगाए गए है जिनकी कुल वार्षिक क्षमता 283 लाख क्यु० मी० तथा 41 लाख क्यु० मी० क्रमशः हैं। 1973 में इनका उत्पादन लगभग 170 लाख क्यु० मी० आक्सीजन तथा 70 लाख धुली हुई एसिटिलिन का रहा, उपयोग की क्षमता लगभग 71% आक्सीजन तथा लगभग 41% धुली हुई एसिटिलिन गैस थी। पश्चिम बंगाल में इन गैसों के उत्पादन के लिए दो और प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है। फिर भी पश्चिम बंगाल में औद्योगिक गैसों की सप्लाई बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।

जनसंख्या के अनुपात में डाकखानों की संख्या

3836. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे देश की जनसंख्या के अनुपात में डाकघरों की राज्यवार संख्या क्या है और बिहार में जिलावार यह अनुपात क्या है और अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों और जिलों में डाकघरों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, समस्तीपुर, पूर्वी और पश्चिमी चम्पारन सारन, सिवान, पुरने और बेगूसराय जिलों में कितने शाखा डाकघरों, सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और, तारघरों को खोलने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) देश में राज्यवार और बिहार राज्य में जिलेवार प्रति डाकघर औसत जनसंख्या सम्बन्धी सूचना अनुबन्ध I में दे दी गई है । [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० –6486/74**]

किसी इलाके में डाकघर कुछ निर्धारित शर्तें पूरी होने पर ही खोले जाते हैं । ये शर्तें हैं; मौजूदा डाकघर से उस स्थान की दूरी, प्रस्तावित डाकघर से अनुमानित न्यूनतम आय, सरकार द्वारा उठाया जाने वाला घाटा आदि । बहुत पिछड़े और पहाड़ी इलाकों के मामले में नए डाकघर से अनुमानित आय की सीमा कम रखी गई है और सरकार वहां दूसरे आम इलाकों को बनिस्बत जादा घाटा उठा कर डाकघर खोलती है ।

(ख) **डाकघर** : कुछ निर्धारित शर्तें पूरी होने पर ही डाकघर खोले जाते हैं । हर प्रस्ताव को जांच करने के बाद ही यह निश्चित किया जाता है कि किन स्थानों में डाकघर खोले जा सकते हैं ।

सार्वजनिक टेलिफोन घर और तारघर : इस सम्बन्ध में सूचना अनुबन्ध 11 में दे दी गई है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–6486/74**]

नैशनल कैमिकल लैबोरेटरी द्वारा विटामिन बी–6 बनाने का तरीका निकाला जाना

3838. **श्री बी० गंगादेव** :
श्री के० मालन्ना :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल केमिकल लैबोरेटरी पूना ने विटामिन बी-छे बनाने का तरीका निकाला है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ; और

(ख) क्या इस समय देश में विटामिन बी-छे नहीं बनाया जाता है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) जी, हां । डेल-अलामाइन, ईथल-एन-फोरमाइलअलानी नेट, चार-मीथल-पांच-एथोक्सी ओक्साजोल के माध्यमिक उपायों द्वारा पेरालडी हाइड को विटामिन-छै में परिवर्तन करना इस प्रविधि में शामिल हैं ।

यह प्रविधि मेसर्स इंडियन ड्रगस और फारम्युटिकल्स लि० नई दिल्ली को लाइसेंस करके दिनांक 1–12–73 को दी गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

पांच दिन का सप्ताह

3839. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पांच दिन का सप्ताह लागू करने का है ;

(ख) क्या यह कार्यवाही ऊर्जा संरक्षण में सरकार के लिये सहायक सिद्ध होगी ; और

(ग) यदि हां, तो निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) सरकार को पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू करने के बारे में एक सुझाव प्राप्त हुआ है। किन्तु इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस सुझाव के बारे में किसी निर्णय पर पहुंचने के लिये, विभिन्न पहुलओं जसे कार्य तथा उत्पादन की उपलब्धि, पेट्रोल-तेल आदि की खपत में सम्भव बचत की मात्रा के संबंध में सम्भावित उलझनों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष द्वारा "फास्ट ब्रीडर रिऐक्टरों" की भारत को आवश्यकता के संबंध में दिया गया वक्तव्य

3840. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस प्रेस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष ने कहा है कि भारत को फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) तेल तथा कोयले की उपलब्धता की स्थिति एवं इनकी बढ़ती हुई मांग तथा यूरेनियम के सीमित भंडारों को ध्यान में रखते हुए, प्लूटोनियम पर आधारित तथा थोरियम को यूरेनियम-233 में बदलने वाले रिऐक्टर भविष्य में बिजली की बढ़ती हुई सम्भावित मांग की पूर्ति करने के कार्यक्रम का सम्भवतः एक आशाजनक भाग बनेंगे।

श्री नागभूषण पटनायक को मृत्यु दंड से माफी देना

3841. **श्री राम प्रकाश :** क्या **गृह** मंत्री 21 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4139 उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के नक्सलवादी नेता नागभूषण पटनायक का मृत्यु दंड माफ कर दिया है; और

(ख) दोषी व्यक्तियों का मृत्यु दंड माफ करने के लिये क्या सिद्धान्त निर्धारित है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) चूंकि यह मामला 25 वीं स्वतंत्रता जयंती के सम्बन्ध में मृत्यु-दण्ड प्राप्त बन्दियों को राज्यक्षमा सम्बन्धी सामान्य आदेशों के अधिकार क्षेत्र में आता था अत: नागभूषणम् पटनायक का मृत्युदण्ड माफ करके आजीवन कारावास कर दिया गया है।

(ख) प्रत्येक मामले पर उसके अपने तथ्यों और गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

Missing of a Girl From Shantinagar Delhi

3842. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news-item appearing in a local Hindi daily dated 23 rd February, 1974 that a 20 year old young woman, Sushma of Shantinagar (Delhi) has been missing since the 24th January; and

(b) if so, the factual position about the situation and the action taken by the police so far in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs : (Shri F. H. Mohsin) (a) yes, Sir.

(b) On 24-1-74 Smt. Prem Lata resident of C-7/237-A, D. D. A. Colony, Lawrance Road, informed that her sister Sushma aged about 20 years and who is mentally retarded was missing from the house. A thorough search for the girl was made in Delhi and Bahadur Garh (Haryana) till 9-2-74, but she could not be traced. Subsequently, the complainant suspected that her sister has been abducted. A case of abduction was registered on 9-2-74 and investigated. Missing persons squad of the CID (Crime) Branch was informed and wireless messages were issued to all Superintendents of Police and all S.H. Os. in Delhi and to all Superintendents of Police in States of Haryana and Uttar Pradesh. Hand bills with photograph giving the description of Miss Sushma and the reward declared by complain nant have also been distributed among the public. From the efforts made so far, no clue has been found. Efforts to locate the girl are continuing and the investigation of the case is in progress.

आक्सीजन बनाने वाली कंपनीयाँ

3843. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**

श्री वयलार रवि :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आक्सीजन बनाने वाली कंपनियों की कुल संख्या तथा उनके नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक की उत्पादन क्षमता एवम् वास्तविक उत्पादन कितना कितना है और उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिनका स्थापना-कार्य विभिन्न चरणों में हैं, और

(ख) देश में आक्सीजन की मांग की तुलना में उसका वास्तविक उत्पादन कितना न्यूनाधिक है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) देश में आक्सीजन उत्पादन करने वाली कम्पनियों के नाम व संख्या तथा प्रत्येक कम्पनी की उत्पादन क्षमता व वास्तविक उत्पादन दिखलाने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध) जिन आशय पत्रों को क्रियाविन्त किया जा रहा है कारखानों के नामों वाला विवरण संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6487/74]**

(ख) अनुमानित मांग 670 लाख क्यू० मी० आक्सीजन गैस की थी। उसकी तुलना में 1973 में अनुमानित उत्पादन 601.04 लाख क्यू० मी० रहा।

केन्द्रीय जांच ब्यूरों में सिपाहियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान किया जाना

3844. **श्री पी० वेंकटसुब्बया :** क्या **प्रधान मंत्री** केन्द्रीय जांच ब्यूरों में पुलिस अधिकारियों को दैनिक भत्ता दिये जाने के बारे में 12 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4365 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तरह 8 घण्टे की ड्यूटी के बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो में काम करने वाले सिपाहियों को समयोपरि भत्ता न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : सरकार के विद्यमान आदेशों के अधीन, समयोपरि भत्ता (i) कार्यालय स्टाफ तथा (ii) ऐसे स्टाफ को देय होता है, जिनको ड्यूटी के निर्धारित घंटे तथा जिनके कार्य का स्वरुप, कार्यालय के स्टाफ के समान होता है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सिपाही जो निश्चय ही पुलिसमेन हैं, उपर्युक्त दोनों श्रेणियों के स्टाफ में से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरों में डाक ड्यूटी पर नियुक्त सिपाहियों को दैनिक भत्ते का भुगतान

3845. **श्री पी० वेंकटसुब्बया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों में काम करने वाले सिपाहियों को पुलिस अधिनियम के अनुसार समन-नोटिस, वारंट, डाक तथा गुप्त पत्र देने की ड्यूटी और जिम्मेदारी दी जाती है जो केन्द्रीय सरकार के चपरासियों की ड्यूटी से बिल्कुल भिन्न है; और

(ख) यदि हां, तो इन सिपाहियों को दैनिक भत्ता दिये जाने के बजाय चपरासियों की तरह बस का वास्तविक किराया ही क्यों दिया जाता है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरों के सिपाही पुलिस अधिनियम, 1861 के साथ पठित, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। उन्हें वारन्ट, समन, तथा नोटिस देने और साथ ही डाक बांटने से सम्बन्धित ड्यूटियां भी सौंपी जाती हैं। किन्तु जब वे समन आदि देने अथवा डाक बांटने के लिये बाहर जाते हैं, तो उनके द्वारा की गई ड्यूटियां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा की गई डाक ड्यूटियों के समान ही होती हैं। अतः उन्हें इस सम्बन्ध में सरकार के सामान्य अनुदेशों के अधीन, वास्तविक किराया दिया जाता है।

पुनप्पा वयालार संघर्ष और तेलंगना संघर्ष में भाग लेने वालों को पेन्शन देना।

3846. **श्री सी० के० चन्द्रापन :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के बारे में कोई निर्णय किया है जिन्होंने पुनप्पा वयालार संघर्ष (केरल) और तेलंगाना संघर्ष (आन्ध्र) में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

6—6 L. S. S./74

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐसे मामलों में, विभिन्न सरकारी अभिलेखों, विषय संबंधी पुस्तकों, संबंधित राज्य सरकार द्वारा व्यक्त किये गये विचार तथा अन्य उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने के बाद ही निर्णय किया जा सकता है । इसमें समय लगता है ।

दिल्ली में एक विभाग के लिये पांचवीं योजना में नियतन

3847. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री निहार लास्कर :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 फरवरी, 1974 के प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में एक अनावश्यक विभाग के लिये पांचवीं योजना के अन्तर्गत 35 लाख रुपये की राशि का निपटान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस समाचार की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो यह समाचार कहां तक सत्य है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) रिपोर्ट सही नहीं है ।

गुजरात राज्य में लोक पाल की नियुक्ति

3848. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के विभिन्न संगठनों तथा अन्य बड़े नेताओं ने राज्य में लोकपाल को शीघ्र नियुक्त करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात के भूतपूर्व मंत्रियों के खिलाफ कोई जांच करने से पूर्व, नव निर्माण युवक समिति को, जिन्होंने लोकपाल की नियुक्ति की मांग की है, ठोस आरोप बताने के लिए कहा है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) ऐसी रिपोर्ट मिली है कि गुजरात के कुछ संगठनों द्वारा राज्य में एक लोकपाल/लोकायुक्त की नियुक्ति किए जाने की मांग की गई है । लोकपाल/लोकायुक्त की नियुक्ति उपयुक्त कानून के अधिनियमित किए जाने के बाद ही संभव हो सकती है । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था ।

जैसा कि सरकार की ओर से पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि यदि गुजरात के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप प्राप्त होंगे, तो सामान्य कार्य विधि के अनुसार मामले की जांच की जाएगी ।

बड़े और छोटे समाचार पत्रों द्वारा अपनी अधिकृत बिक्री के बारे में जाली प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना

3849. श्री मधु लिमये : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि अनेक तथाकथित छोटे समाचार पत्र और कुछ बड़े समाचार पत्र अपनी अधिकृत बिक्री के बारे में जाली प्रमाण-पत्र प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ये समाचार-पत्र सीमित संख्या में कुछ प्रतियां छापते हैं और अखबारी कागज का शेष कोटा अत्यधिक मूल्य पर चोरबाजार में बच देते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बुराई को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) कुछ समाचारपत्रों द्वारा बड़ा-चढ़ा कर बताई गई खपत संख्या के मामले सरकार के यान में आये हैं।

(ख) तथा (ग) प्रेस रजिस्ट्रार की सर्कुलेशन टीमे समाचार पत्रों की वास्तविक खपत संख्या को आंकने और बढ़ा चढ़ा कर बताई गई खपत संख्या का पता लगाने के लिए उनकी समय-समय पर जांच करती हैं। अखबारी कागज के दुरुपयोग के कुछ मामले हुए हैं और उनकी रिपोर्ट उपयुक्त प्राधिकारियों के पास आवश्यक कार्रवाई हेतु कर दी गई है।

भागलपुर और मुंगेर में टेलीफोन व्यवस्था और टेलीफोन अेक्सचेंजो का कार्यकरण

3850. श्री मधु लिमये : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर और मुंगेर (बिहार) में टेलीफोन व्यवस्था और टेलीफोन एक्सचेंज के कार्य-करण के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दो नगरों में टेलीफोन उपकरणों और सुविधाओं के आधुनिकीकरण का काम आरम्भ किया जा रहा है और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) भागलपुर इलाके में टेलीफोन व्यवस्था के बारे में प्राप्त शिकायत में यह उल्लेख किया गया है कि ट्रंक लाइनों के कार्य-चालन में सुधार किया जाय, भागलपुर के मैनुअल एक्सचेंज की जगह आटोमेटिक एक्सचेंज लगाया जाय, प्रतीक्षा सूची में दर्ज अर्जियां पर जल्दी टेलीफोन कनेक्शन दिए जाय, भागलपुर में टेलीफोन सलाहकार समिति बनाई जाय और कटिहार या सिंहारसी के लिए एक माइक्रोवेव या वी० एच० एफ० लिंक की व्यवस्था की जाय।

(ग) और (घ) तांबे के तार वाली ट्रंक लाइनों को उत्तरोत्तर तांबा मढ़े स्टील संबलित तार लाइनों और अल्युमिनियम ढके स्टील संबलित तार लाइनों से बदला जा रहा है ताकि तार की चोरियां कम हों। अगले वर्ष के दौरान भागलपुर मैनुअल एक्सचेंज (1320 लाइनों) का विस्तार कर उसकी क्षमता 1800 लाइनों की कर दी जाएगी और उसके बाद प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को कनेक्शन दे दिए जाएगे। ऐसा प्रस्ताव है कि वर्ष 1977-78 तक मैनुअल एक्सचेंज की जगह 2400 लाइनों की क्षमता-वाला एक आटोमैटिक एक्सचेंज लगा दिया जाय। जब भागलपूर में टेलिफोन प्रणाली 1500 लाईनों से अधिक की हो जाएगी, तो वहां टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन कर दिया जाएगा।

भागलपुर एक 8 चैनल कैरियर प्रणाली के जरिए पटना से जुड़ा हुआ है और एक दूसरी 8 चैनल करियर प्रणाली की स्थापना की जा रही है। 1974-75 में मुंगेर और पटना के बीच एक नई 8 चैनल कैरियर प्रणाली की व्यवस्था करने का भी कार्यक्रम बनाया गया है। जब ये प्रणालीयां चालू हो जाएगी तो भागलपूर और मुंगेर की ट्रंक सेवाओं मे आगे और सुधार हो जायेगा।

एक ऐसी यू० एच० एफ० प्रणाली स्थापित करने के प्रस्ताव की भी जांच की जा रही है जिसके जरिए भागलपुर, मुंगेर और पटना का परस्पर सम्पर्क स्थापित हो जाएगा।

मनीपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि की समीक्षा

3851. **श्री मधु लिमये** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1973-74 में मनीपुर मे राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की उस राज्य में उपलब्धियों और असफलताओं के बारे में समीक्षा तैयार की है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसी समीक्षा तैयार की जायेगी और उसे संसद के वर्तमान सत्र में संसद के समक्ष रखा जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) से (ग) राष्ट्रपति के शासन के अधीन राज्य प्रशासन की एक समीक्षा तैयार की गई थी और अगस्त, 1973 में जब कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा को जारी रखने के लिए सदन का अनुमोदन लिया गया था, सदस्यों में वितरित की गई थी। सरकार के विचार में आगे और कोई समीक्षा करना आवश्यक नहीं है।

नई परिमाणु परियोजनाओं की स्थापना

3852. **श्री मधु लिमये** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की अत्याधिक कमी को तथा कच्चे तेल के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए सरकार का विचार ऊर्जा सम्बन्धी अपनी नीति का पुनर्विलोकन करने का है;

(ख) क्या प्राथमिकता के आधार पर नई परमाणु शक्ति परियोजनाओं की स्थापना करना इस नई नीति का एक अत्यावश्यक पहलू होगा; और

(ग) यदि हां, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी नई परमाणु परियोजनायें आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) आवश्यक नहीं है।

(ग) प्राथमिकता के आधार पर नई परमाणु बिजली परियोजनायें आरम्भ करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

Working of Telephones in the Country

3853. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether telephone system throughout the country particularly in Bihar has deteriorated very much from the year 1973 ; and

(b) if so, the measures proposed to be taken to improve it?

The Minister of State for Communications (Prof. Sher Singh) : (a) and (b) There has been no deterioration in the telephone system either throughout the country or in Bihar from 1973. Observation of the performance of the local and trunk exchanges has on the contrary shown improvement. Various measures are being taken on a continuing basis to further improve the performance. The efficiency of the major systems is being evaluated with a view to pin-point weak spots and eliminate them. Special action is also in progress to improve the performance of crossbar exchanges. Other measures already inhand to improve the overall efficiecy of the telephone systems are listed below:—

1. Laying on underground cables in ducts.
2. Reduction of the overhead alignments.
3. Pressurisation of underground cables.
4. Provision of more vehicles for faster movement of maintenance personnel and equipment.
5. Improving the availability of spares in adequate quantity.
6. Providing traffic relief equipment for exchanges where the traffic has increased beyond the capacity.
7. Improvements in complaint and fault procedure.
8. Refresher training to the staff with a view to improve their efficiency.
9. Extension of S.T.D. Schemes : Plans are to commission 50 trunk automatic exchanges linking 300 stations for national S.T.D. during the 5th Plan.
10. Speeding up manual operation by introduction of demand service, operator dialling circuits etc.
11. Provision of stable high grade circuits like microwave and coaxial channels.
12. Constant review and rationalisation of trunk routing plan.
13. Improvement in operating practices as required from time to time.

दिल्ली में भारत रक्षा नियमों के अधिन की गई गिरफ्तारियां

3854. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 में दिल्ली में चोर बाजारी और जमाखोरी करने के अपराध में कुछ व्यक्तियों को भारत रक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने व्यक्तियों पर मुकदमें चलायें गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) वर्ष 1973 के दौरान 72 व्यक्तियों को चोर बाजारी करने और जमाखोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था । उनमें से 69 पर मुकदमें चलाये गये ।

बड़े व्यापार गृहों को लायसेंस/आशय पत्र जारी करना

3855. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 दिसम्बर, 1973 से 31 जनवरी, 1974 तक की अवधि के दौरान बड़े व्यापार गृहों को कुल कितने औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र जारी किए गए हैं; और

(ख) उन व्यापार गृहों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) 1-12-73 से 31-1-74 तक की अवधि में औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्ट में वर्गीकृत किया गया है, 20 बृहत्तर गृहों से संबंधित अथवा नियन्त्रित फर्मों को 8 औद्योगिक लाइसस और 22 आशय-पत्र जारी किये गये थे जिनका ब्यौरा निम्नप्रकार है :—

गृहों के नाम	जारी किये गये आशय-पत्रों की संख्या	जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या
ए० सी० सी०	1	..
एन्ड युले	..	1
बिरला	5	..
गोयन्का	1	..
जे० के० सिहानिया . . .	4	..
मफतलाल		1
साहुजन . . .	1	1
साराभाई	2	
टाटा		2
थापर	4	1
वालचन्द	1	
श्री राम	3	2

जनगणना विभाग के फालतू हुए कर्मचारियों को खपाना

3856. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में जनगणना विभाग के फालतू हुए कर्मचारियों को खपालिया गया है; और यदि नहीं, तो उनको वैकल्पिक नौकरियां उपलब्ध कराने के लिय क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) कितने कर्मचारी फालतू हुए हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जनगणना विभाग के छटनी किये गये सभी कर्मचारियों को राज्यों में नहीं खपाया गया है। राज्य सरकारों, राज्यों में केन्द्रीय सरकार के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से वैकल्पिक नियोजन के लिए छटनी किये गये अस्थाई कर्मचारियों की सहायता करने को कहा गया है। जनगणना विभाग के छटनी किये उन अस्थाई कर्मचारियों, जिनकी छः महीने की सेवा है, का रोजगार कार्यालयों में तृतीय प्राथमिकता दी गई है।

(ख) इस वर्ष के दौरान जनगणना विभाग के लगभग दो हजार अस्थाई कर्मचारियों की छटनी किये जाने की सम्भावना है।

स्वर्गीय प्रो० सत्येन बोस, स्वर्गीय श्री अमीर खां और श्री एस० एन० रत्नजंकर के सम्बन्ध में स्मारक टिकटें जारी करना

3857. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय प्रो० सत्येन बोस, वैज्ञानिक तथा स्वर्गीय श्री अमीर खां और श्री एस० एन० रत्नजंकर महान संगीतज्ञों के सम्बन्ध में इस वर्ष के दौरान स्मारक टिकटें जारी की जाएंगी; और

(ख) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) इस तरह के कोई भी प्रस्ताव विचारार्थ प्राप्त नहीं हुए। स्मारक डाक टिकट जारी करने का इस वर्ष का कार्यक्रम पहले ही बन चुका है और 1974 में महापुरुषों पर ग्यारह डाक-टिकट जारी करने का प्रस्ताव है। महापुरुषों पर 1974 के दौरान और अधिक डाक-टिकट जारी करना संभव न होगा।

पांचवीं योजना में उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में पूंजी निवेश

3858. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमों में अधिकांश पुंजी निवेश उच्च प्राथमिकता वाले उद्यागों में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या औद्योगिक विकास निगम तथा राज्य वित्त निगम के क्रिया-कलापों का समर्थन करने के बारे में कोई उपबन्ध किया गया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) पांचवीं योजना प्रारुप में केन्द्रीय औद्योगिक और खनिज कार्यक्रमों के लिए परिकल्पित कुल 7029 करोड़ रुपये के निवेश में से लगभग 80 प्रतिशत उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिए है, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

उद्योग	(करोड़ रु०) पांचवीं योजना प्रारूप में निवेश
इस्पात	1622
उर्वरक	1149
कोयला	737
तेल परिशोधन तथा वितरण	500
अलौहीय धातुयें	443
तेल का पूर्वेक्षण	436
पेट्रो-रसायन	284
कागज और अखबारी कागज	174
कच्चा लोहा	133
सीमेंट	124
सूती कपड़ा	55
जोड़	5657

(ग) और (घ) राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के पांचवीं योजनाओं में प्रारूप में बड़े उद्योगों तथा खनिजों के लिए रखे गये 499 करोड़ रुपय के निवेश में से लगभग एक-तिहाई राज्य औद्योगिक विकास निगमों और राज्य वित्तीय निगमों के लिए है।

पश्चिम बंगाल तथा आसाम में आदिवासियों को आवास सुविधायें

3859. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल तथा आसाम में आदिवासी लोगों को आवास सुविधाय प्रदान करने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) पश्चिम बंगाल और असम के आदिवासियों के आवास के लिए केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन कोई विशेष योजना नहीं हैं। फिर भी राज्य सरकारों से उन आदिवासी क्षत्रों की उप-योजनायें तैयार करने के लिए कहा गया है जिनके अन्तर्गत इन आदिवासियों के विकास के सभी पहलू आ जायेंगे जिसमें आवास के प्रस्ताव भी शामिल होंगे।

आगरा और नागपुर लाइनों के बीच तांबे के तार की चोरी

3860. **श्रीमती रोजा देशपांडे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा और नागपुर लाइनों के बीच डाक तार विभाग के तांबे के तार को चोरी होने से राष्ट्रीय राजकोष को भारी हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) इसे रोकने के लिये क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को कितनी हानि हुई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) आगरा और नागपुर के बीच विभिन्न सैक्शनों में 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के वर्षों में तांबे के तार का जो नुकसान हुआ है उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) नागपुर–इटारसी	93,600 रुपये
(2) इटारसी–भोपाल	42,408 रुपये
(3) भोपाल–बिऔरा	44,214 रुपये
(4) बिऔरा–आगरा	5,05,761 रुपये

(इनमें बिऔरा–इन्दौर सेक्शन शामिल है)

(ख) तांबे की तारों की चोरी की घटनाए देश व्यापी तौर पर होती हैं और ये किसी खास राज्य तक ही सीमित नहीं हैं।

(ग) (i) तांबे के तार को बदल कर उसकी जगह उत्तरोत्तर तांबा झले तार और अल्युमिनियम के तार लगाये जा रहे हैं ।

(ii) अपराधियों के लिये और भी कड़े दंड की व्यवस्था करने के उद्देश्य से टेलीग्राफ वायर्स (गैर कानूनी कब्जा) अधिनियम 1950 में संशोधन करने के बाद में विचार किया जा रहा है । इस मामले को चालू वर्ष के दौरान उठाये जाने का प्रस्ताव है ।

(iii) राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिख दिया गया है कि पुलिस के महानिरीक्षकों को यह निर्देश जारी कर दें कि वे इस समस्या पर विशेष ध्यान दें और तांबे के तार की चोरियों को रोकने के लिये कारगर कदम उठायें ।

(iv) विभागीय अधिकारी पुलिस अधिकारियों के साथ सम्पर्क बनाये हुए हैं ताकि मामलों की छानबीन करने और अपराधियों पर मुकदमा चलाने में शीघ्रता की जा सके ।

(घ) वर्ष 1970–71, 1971–72 और 1972–73 के दौरान पूरे देश में जितना नुकसान हुआ उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	1970–71	1971–72	1972–73
मामलों की संख्या	38,817	31,940	23,369
नुकसान रुपयों में	2.97 करोड़	2.09 करोड़	1.43 करोड़

Names of Newspapers from Rajasthan which take Advertisements from Government

3861. **Shri Panna Lal Barupal :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of daily and weekly newspapers published from Rajasthan ;

(b) the names of the newspapers which are given Government advertisements and the value of advertisements released this year to each of these newspapers ; and

(c) the names of the newspapers published from Rajasthan which have been allotted newsprint quota indicating the quantity thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) According to the records of the Press Registrar, 33 dailies and 306 weeklies were being published from Rajasthan on 31st December 1972.

(b) Information regarding the details of advertisements released to individual newspapers and the amount paid to them is treated as confidential as between the Directorate of Advertising and Visual Publicity and the individual publishers.

(c) A statement is attached. [*Placed in the Library. See No. L.T.* 6488/74].

कर्नाटक के लिए वार्षिक योजना परिव्यय

3862. **श्री० डी० बी० चंद्रगौडा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कर्नाटक सरकार तथा योजना आयोग के बीच राज्य के वार्षिक परिव्यय और योजना परिव्यय को बढ़ाने के लिये संसाधन जुटाने सम्बन्धी लक्ष्य में वृद्धि करने के लिये सम्बन्ध में बातचीत हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिये गये हैं ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार काली नदी परियोजना के लिये पृथक रूप से धन देने के लिये सहमत हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त परियोजना के लिये कितना धन दिया जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) कर्नाटक के लिये 1974-75 की वार्षिक योजना पर, योजना आयोग तथा कर्नाटक सरकार के बीच 12 फरवरी 1974 को विचार–विमर्श हुआ था। राज्य योजना के महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों के लिये पर्याप्त व्यवस्था करने हेतु, यह तय किया गया था कि, अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए 15 करोड़ रुपये की पहले रखी गई राशि को 20 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाय।

(ग) तथा (घ) मामला विचाराधीन है।

नए औद्योगिक एककों के लिए औद्योगिक लाइसेन्स जारी न किया जाना

3864. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने ऐसे नये औद्योगिक एकक की यदि अत्यावश्यक न हो तो मंजूरी न देने का निर्णय किया है जिन में भट्टी तेल की आवश्यकता होती है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : कच्चा तेल तथा अन्य पेट्रोल उत्पादों की बढ़ती हुई कीमतों तथा अपर्याप्त उपलब्धता से उत्पन्न स्थिति के कारण सरकार फर्नेस ऑयल पर आधारित प्रस्तावों की सावधानी से जांच पड़ताल करती है तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि वॉयलर, भट्टियां व अन्य उपकरणों का डिजाईन प्रारम्भतः ही इस प्रकार का हो कि उनमें फर्नेस ऑयल के स्थान पर कोयले का अधिकतम प्रयोग किया जा सके।

मिदनापुर जिले में इ० डी० बी० ओ० का दर्जा बढाया जाना

3866. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में (एक) अरंगकिआरना और (दो) खांची में ई० डी० बी० ओ० का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र को बहुसंख्यक जनता अनुसूचित जाति के लोगों की है ;

(ग) दो ई० डी० बी० ओ० का एस० ओ० अथवा सी० ओ० के रूप में किस तारीख तक दर्जा बढ़ा दिये जाने का सम्भावना है ; और

(घ) क्या उक्त क्षेत्रों से वापस न की जाने वाली अंशदान की राशि को वसूली की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) अरंगकीआरना को 4–3–1974 से उप डाकघर बना दिया गया है। खांची शाखा डाकघर को उप डाकघर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। उपयुक्त इमारत मिलने पर ही इसका दर्जा बढ़ाया जाएगा।

(घ) अरंगकीआरना शाखा डाकघर को उपडाकघर बनाने के लिए 3748.05 रुपये की रकम वसूल की गई थी।

खांची शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने के लिये किसी अंशदान की आवश्यकता नहीं पड़ी।

विभिन्न कम्पनियों द्वारा निर्मित टेलीवीजन सेट

3867. श्री अरविन्द एम० पटेल :
श्री डी० पी० जडेजा :

क्या **इलैक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिये अब तक कौन कौन सी कम्पनियों को लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) वर्ष 1973 में प्रत्येक कम्पनी ने कितने टैलीविजन सैटों का निर्माण किया; और

(ग) प्रत्येक कम्पनी ने अपने टेलीविजन सैट का कितना मूल्य निर्धारित किया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) संगठित तथा लघु उद्योग क्षेत्र में टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिये लाइसेंस प्राप्त, अनुमोदित एककों को सूची परिशिष्ट I में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्य एल० टी० 6489/74]**

(ख) 1973 के केलेण्डर वर्ष के दौरान 26 एककों ने व्यापारिक उत्पादन किया उनके नाम तथा उनके द्वारा निर्मित सैटों की संख्या परिशिष्ट दो में दी गई है।

(ग) प्रत्येक उत्पादक विभिन्न प्रकार के नमूनों को बनाते हैं जिनका मूल्य भिन्न भिन्न होता है। पुन: एक सट का रिटेल मूल्य बिक्री कर तथा अन्य स्थानीय प्रभारों पर निर्भर करता है, जो कि सम्भवत: भिन्न भिन्न होते हैं। एक 19" टी० वी० सैट (डीलर को कमीशन, उत्पादन शुल्क, बिक्रीकर आदि सहित) को एक्स फैक्टरी मूल्य 1850 रुपये से 1950 रुपये के बीच है।

पांचवी योजना में स्थापित किये जाने वाले रेडियो स्टेशन

3868. श्री अरविन्द एम० पटेल :
श्री बेकारिया :

क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पांचवीं योजना में कुल कितने रेडियो स्टेशन स्थापित किये जायेंगे : और

(ख) ये रेडियो स्टेशन कहां कहां स्थापित किये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्म वीर सिंह) : (क) तथा (ख) ध्वनि प्रसारण के विकास के लिये पांचवी योजना में अनन्तीम रूप से 50 करोड़ रुपये का आवण्टन किया गया है। आवण्टन के अन्दर अन्दर जो परियोजनायें हाथ में ली जा सकती हैं, उन पर विचार किया जा रहा है।

जल और वायु के दूषण को रोकना

3870. श्री भान सिंह भौरा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल और वायु के दूषण को रोकने के लिये सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यन्) : (क) जल और वायु के दूषण को रोकने के लिये भारत सरकार ने निम्न कदम उठाये है :

(1) जल और वायु के दूषण सम्बन्धी विषयों पर सरकार, सरकारी प्राधिकरणों तथा उद्योगों को साथ-साथ परामर्श देने के लिये एक उच्च स्तरीय पर्यावरणीय आयोजन एवं समन्वय समिति की स्थापना की गई है। (2) जल दूषण निवारण अधिनियम (1974) लागू कर दिया गया है। केन्द्र ने इसी प्रकार के प्रयासों को प्रारम्भ करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में राज्यों को भी सूचित किया गया है। (3) वायु दूषण नियंत्रण बिल अभी निर्माणाधीन है। (4) नये उद्योगों के लिये दूषण नियंत्रण सम्बन्धी उपायों को अनिवार्य बना दिया गया है। मल–निस्त्राव के निकास के सम्बन्ध में औद्योगिक अनुज्ञप्ति के लिये आवे–दन प्रपत्र में एक नयी धारा को जोड़ दिया गया है। (5) कीटनाशी अधिनियम (1968) तथा इसके साथ परमाणु ऊर्जा अधिनियम (1962) जल और वायू ढ़षण के कुछ विशेष पहलुओं के निवारण का प्रयत्न करते है।

पांचवी योजना में पोत प्रांगणों (शिप बिल्डिंग यार्डस) का निर्माण

3871. श्री एन० शिवप्पा :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवीं योजना में नये पोत-प्रांगणों (शिप बिल्डिंग यार्डों) के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए के परिव्यय की स्वीकृति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने पांचवीं योजना में नई योजनाओं के लिए 115 करोड़ रुपए की राशि सहित पोत निर्माण के लिए कुल 160 करोड़ रुपए के परिव्यय की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) पांचवीं योजना के दौरान पोत निर्माण के लिए अस्थायी रूप से 160 करोड़ रुपये का आवंटन करने के प्रस्ताव हैं। वर्तमान पोत प्रांगणों (शिप यार्डस्) के विस्तार और नये पोत प्रांगणों के गठन में आवंटन के बंटवारे के बारे में पांचवीं योजना को अंतिम रूप देने के बाद ही निश्चय किया जायेगा।

चौथी पंचवर्षीय योजना में तारघरों का खोला जाना

3872. श्री वीरभद्र सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान नए तारघरों को खोलने सम्बन्धी लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश में कितने तार घर खोले गए ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) हिमाचल प्रदेश में चौथी योजना की अवधि के दौरान जो तारघर खोले गए, उनकी संख्या 27 है ।

चौथी योजना के दौरान डाकघरों का खोला जाना

3873. श्री वीरभद्र सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के दौरान नए डाकघरों को खोलने संबंधी लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 16,700 डाकघर खोलने का लक्ष्य था किन्तु अभी तक 15,250 डाकघर ही खोले गए हैं । अंतिम आंकड़े मार्च 74 के बाद ही मिल सकेंगे ।

(ख) 1973-74 के दौरान सामान्य आर्थिक तंगी के कारण खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या सीमित रखनी पड़ी है ।

हवाई डाक रात्रि सेवाएं

3874. श्री वसंत साठे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 दिसम्बर, 1973 को बन्द की गई दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता से नागपुर की हवाई डाक रात्रि सेवाओं से (i) विदर्भ और मध्य क्षेत्र में, संपूर्ण डाक यातायात पर प्रभाव पड़ा है, (ii) नागपुर का महत्व कम हुआ है, और (iii) लगभग 100 कर्मचारी फालतू हो गए हैं ;

(ख) क्या सरकार को जनता तथा अन्य संगठनों से हवाई सवाएं पुनः चालू करने के लिए अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) (i) जी नही । लेकिन डाक के पहुंचने मे अब कुछ ज्यादा समय लगता है । (ii) क (i) में दिए गए उत्तर के आधार पर इसका प्रश्न हीं नहीं उठता । (iii) रात की हवाई डाक सेवा अस्थायी रूप से स्थगित करने की वजह से, इस काम पर लगे कुछ कर्मचारी फालतू हो गए हैं और स्थानीय कार्यालय में उनकी सेवाओं का लाभ उठाया जा रहा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) रात्रि की हवाई डाक सेवा अस्थायी तौर पर स्थगित की गई है । इस दौरान डाक वैकल्पिक मार्गों से भेजी जा रही है । रात की हवाई डाक सेवाएं फिरसे चालू करने के बारे में इंडियन एयर लाइन्स के अधिकारियों के साथ बराबर सम्पर्क रखा जा रहा है ।

अखबारी कागज का अकाल दूर करने के लिये वन रक्षकों, वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों का देहरादून में हुआ सम्मेलन

75. श्री वसंत साठे : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून में हाल में वनरक्षकों, वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों के हुए सम्मेलन में संचार के अभाव को बिकट बनाने वाले अखाबारी कागज के अभतपूर्व वर्तमान अकाल को दूर करने के लिए अनेक अल्पावधि एवं दीर्घावधि उपाय सुझाए गए है;

(ख) यदि हां, तो सुझाए गए उपायों की रूपरेखा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क) तथा (ख) दिसम्बर, 1973 में वन अधिकारियों, वैज्ञानिकों तथा उद्यमियों के सम्मेलन में औद्योगिक माल के लिए उपलब्ध भाण्डारगारों के सामान्य प्रश्न पर चर्चा हुई तथा कतिपय अभ्युपायों की सिफारिशें की गई थीं । केवल अखबारी कागज उद्योग से इनका कोई विशेष संबंध नहीं है ।

Complaints about working of Kota Telephones

3876. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Chairman of the Kota Chamber of Commerce has lodged a complaint about working of Kota Telephones ;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the time by which the grievance will be redressed ?

The Minister of State for Communications (Prof. Sher Singh) : (a) to (c) The Chamber of Commerce, Kota forwarded a complaint from one of its members to the Director of Telegraphs, Jaipur, alleging use of abusive language by an operator on 24-7-1973. The case was enquired into. Detailed enquiries did not substantiate the allegation. The operator concerned however, is no longer at the exchange having been transferred to another exchange for administrative reasons.

नरोरा परमाणु बिजली संयंत्र के लिए परम्परागत उपकरणों की सप्लाई

3877. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री नया परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के बारे में 14 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 508 के उत्तर के सबंध- में यह बताने की कृपा करेंगे कि नरोरा परमाणु बिजली संयंत्र के लिए सरकारी अथवा गैर-सरकारी, कौन सा क्षेत्र 500 मैगावाट वाले टरबाईन जैनरेटरों जैसे परम्परागत उपकरणों की सप्लाई करेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): नरौरा परमाणु बिजलीघर के लिए जरुरी परम्परागत किस्म के उपकरणों की सप्लाई सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षत्रों की फर्मो द्वारा की जायेगी । इस बिजलीघर के टर्बो जनित्र; जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 235 मैगावाट होगी सरकारी क्षेत्र की एक फर्म मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा सप्लाई किए जायेंगे ।

आसाम, पश्चिम बंगाल, उडीसा तथा त्रिपुरा में उद्योगों की स्थापना के लिये आवेदन पत्र

3879. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1973 से फरवरी, 1974 तक उनके मंत्रालय को आसाम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और त्रिपुरा से वहां उद्योगों की स्थापना के लिये कितने-कितने नये आवेदन-पत्र दिये गये थे ;

(ख) इन आवेदन-पत्रों पर उन राज्यों को कितने कितने लाइसेन्स जारी किये गये हैं ; और

(ग) पिछले आवेदनपत्रों में से दिसम्बर, 1973 तक उन राज्यों को कितने लाइसेन्स जारी किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) तथा (ख) जनवरी 1973 से फरवरी, 1974 तक की अवधि में आसाम, प० बंगाल, उड़ीसा तथा त्रिपुरा से 404 आवेदन पत्र प्राप्त हुए उनमें से 12 औद्योगिक लाइसेन्स तथा 27 आशयपत्र जारी किए गए । निम्नलिखित सारणी में प्राप्त आवेदनों तथा जारी किए गए लाइसेन्सों का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है :

राज्य	प्राप्त आवेदनों की संख्या	जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या	आशयपत्रों की संख्या
असम . . .	42	1	5
पश्चिमी बंगाल. .	321	9	17
उड़ीसा .	37	2	5
त्रिपुरा	4		..

(ग) वर्ष 1970-1973 तक असम, प० बंगाल, उड़ीसा तथा त्रिपुरा में उद्योगों की स्थापना के लिए 260 औद्योगिक लाइसेंसो तथा 239 आशयपत्र जारी किए गए थे ।

नैशनल इंस्ट्रुमेंट आफ इंडिया (कलकत्ता) लिमिटेड में कैमरा परि-योजना का विस्तार

3880. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पता है कि नैशनल इन्स्ट्रुमैंट आफ इंडिया (कलकत्ता) लिमिटेड में उसके पिछले आंकड़ों की तुलना में निर्धारित लक्ष्य से अधिक उत्पादन हो चुका हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस उद्योग में कैमरा परियोजना के विस्तार का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इसे कब से क्रियान्वित किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क) जी, हां । नैशनल इंस्ट्रुमेंट आफ इंडिया कलकत्ता ने वर्ष 1973-74 के लिए उत्पादन लक्ष्य 250.00 लाख निर्धारित किया था । 1 फरवरी 1971 के अंत तक 264.85 लाख रुपये का उत्पादन हुआ ।

पिछले पांच वर्षों के उत्पादन आंकड़े नीचे दिये गये है ।

वर्ष	उत्पादन (लाख रुपयों में)
1968-69 . . .	39.73
1969-70	41.41
1970-71 . . .	65.22
1971-72 . . .	107.77
1972-73	111.55

(ख) और (ग) सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना की योजनाओं/परियोजनाओं में ट्विन लैंस रिफलेक्स कैमरे बनाने के लिए नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, कलकत्ता की विस्तार योजना को शामिल करना सिद्धान्त रूप में मान लिया है । किन्तु योजना आयोग ने आर्थिक व्यवस्था के मुख्य क्षेत्र (कोर सेक्टर) को दी गई प्राथमिकता और समस्त संसाधनों की स्थिति की समीक्षा करने के उपरान्त, पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के प्रथम दो वर्षों के लिये केमरा परियोजना के कार्यान्वियन को स्थगित करने का निर्णय किया है ।

गृह मंत्रालय में हरिजन कल्याण विभाग

3881. **श्री प्रिय रंजनदास मुंशी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में हरिजन कल्याण के लिए कोई विभाग काम कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस विभाग में कितने हरिजन काम कर रहे है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) गृह मंत्रालय का पिछडी जाति कल्याण प्रभाग और अनुसूचित जातिया तथा अनुसूचित आदिम जातियां के आयुक्त का कार्यालय, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण और अन्य सम्बन्धित मामला को निपटाता है । मौजूदा 251 कर्मचारियों में से, 55 अनुसूचित जातियों और 20 अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास विभाग का कागज परियोजना स्थापित करने के लिये सायमन इन्टरनेशनल के साथ करार

3882. **डॉ० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बास से कागज बनाने के लिए परियोजनाए स्थापित करने हेतु प्रौद्योगिकी उपलब्ध करने के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने सायमन इण्टरनेशनल के साथ कोई करार किया हैं ;

(ख) करार की मुख्य बाते क्या है; और

(ग) करारके अनुसार स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित कागज परियोजनाओं की रूपरेखा क्या है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क) से (ग) करार के अनुसार कनाडा के मे० एच० ए० साइमन्स, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की कागज और अखबारी कागज उद्योग के क्षेत्र में प्रमुख रूप से प्रक्रिया, औद्योगिकी, परियोजना डिजाइन सिद्धान्त आदि के बारे में तकनीकि क्षमता के विकास में सहायता करेंगे । करार का क्षेत्र केवल उन परियोजनाओं तक सीमित नही है जिसमें बांस का कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है । वे राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की भी निर्माण

काल में मुल परियोजना इंजीनियरी अधीक्षक के रूप में, शुरु करने और अलग-अलग परियोजनाओं को चालू करने में सहायता प्रदान करेंगे। इस प्रकार राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लुध्दी कागज परियोजना के लिये सूक्ष्म तकनीकी परामर्शदायी अभिकरण के रूप में प्रतिष्ठित हो सकेगा।

उक्त सेवा के लिये कैनेडा की कम्पनी को पाँच वर्षों की अवधि में 155,000 कनाडियन डालर करीब 10.85 लाख रूपये के बराबर होगा, दिया जाना है ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम और साइमन्स के बीच करार में किन्ही विशिष्ट परियोजनाओं को समविन्त नहीं किया गया है। पहली कुछ योजनाओं के लिए मूल डिजाइन और इंजीनियरी सहायता प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगन वास्तविक कार्य के अनुसार प्रतिशत के आधार पर साइमन्स को भुगतान करेगा ।

लाटरी टिकटों की बिक्री से आय

3883. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में लाटरी के टिकटों की बिक्री से प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को कितनी आय हुई; और

(ख) क्या सरकार का विचार नीति के तौर पर लाटरी योजनाओं को समाप्त करने का है क्योंकि इसमे जुआ खेलने की आदत बढ़ती है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) अभी तक किसी भी संघ शासित क्षेत्र प्रशासन की लाटरी चलाने की अनुमति नहीं दी गई है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

बिहार में कच्चे माल का उपलब्ध न होना

3884. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को व्यवस्थित एजेन्सियों द्वारा आयातित कच्चे माल के बिहार में उपलब्ध न होने के बारे में पता है ;और

(ख) यदि हां, तो बिहार राज्य की माँग-पूर्ति के लिये सरकार ने क्या आवश्यक कदम उठाये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क) और (ख) सरकार को पता है कि मार्गीकरण अभिकरणों के जरिये आयातित कुछ औद्योगिक कच्चे माल देश में पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध नहीं हैं। अत: यह कठिनाई केवल बिहार राज्य तक समिति नही है अन्य राज्यों के उद्योग भी इसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सरकार ने कम सप्लाई वाले कच्चे माल का समान वितरण करने के लिए कदम उठाये है और जहांकहीं संभव हो सका, भारतीय उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिणाम का आयात करने की अनुमति दे दी है। विश्वव्यापी उंचे मूल्यों और विदेशी मुद्रा की अडचनों से सरकार सभी उद्योगों की कच्चे माल की सम्पूर्ण आवश्यकता पूरी करने के लिय उनका आयात नहीं कर सकी ।

7—6 LSS./74

त्रिपुरा से आसाम में जनजातियों का प्रव्रजन

3885. श्री दशरथ देव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा राज्य की रिअंग और चकमा समुदायों की बहुत सी जनजातियां वहां से आसाम चली गयी थीं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में त्रिपुरा से आसाम में प्रव्रजन करने वाले कितने परिवार हैं ; और यदि हां, तो उनके प्रव्रजन के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

Post Offices in rented Buildings in Bihar

3886. **Shri G. P. Yadav** ; Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Post Offices housed in rented buildings in Bihar State ;

(b) the total amount paid as their rent during the period from April 1972 to April 1973 ;

(c) the number of new office buildings proposed to be constructed in Bihar State for Post Offices during 1973-74; and

(d) the estimated outlay involved thereon?

The Minister of State for Communications (Prof. Sher Singh) : (a) 1067

(b) Rs. 15,04,867.00

(c) 19

(d) Rs. 55,83,694.00. The execution of works is, however, likely to be delayed due to present ban, on account of financial stringency, on consrtuction of non-functional buildings which include postal buildings.

मन्त्रालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में काम कर रहे सलाहकार परामर्शदात्री निकाय

3887. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में काम कर रहे सलाहकार/परामर्शदात्री निकायों की संख्या क्या है ;

(ख) एसे निकायों तथा चयन बोर्ड में शामिल व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या इसमें संसद सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है ; और यदि हां, तो उसका तरीका क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6490/74]**

विद्रोही नागाओं द्वारा मारे गये व्यक्तियों की संख्या

3888. **श्री शशि भूषण :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में और 28 फरवरी, 1974 तक विद्रोही नागाओं द्वारा कुल कितने व्यक्तियों की हत्या की गई ; और

(ख) क्या मृतकों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया है ; और यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) इस अवधि के दौरान विद्रोही नागाओं द्वारा सुरक्षा बलों के 68 कार्मिक और 43 असैनिक मारे गय थे ।

(ख) सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को पेंशन और असैनिकों के आश्रितों को नकद सहायता, ऐसे मामलों को विनियमित करने वाले नियमों के अनुसार दी जाती है । दी गई राशि के ब्यौरे का पता लगाया जा रहा है और वह सदन के सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

कर्नाटक में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु स्वनियोजन (सैल्फ एम्पलायमेंट) योजनाएं

3889. **श्री के० मालन्ना :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु कुछ स्व-नियोजन योजनायें बनायी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति ली गयी है, और यदि हां, तो चालू वर्ष के लिए इस प्रयोजन हेतु कितनी राशि मंजर की गई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) कर्नाटक सरकार शिक्षित बरोजगारों को रोजगार देने के लिए कतिपय स्वरोजगार स्कीमें तयार कर कार्यान्वित कर रही है । य इन तीन विशष रोजगार कायक्रमों के अन्तगत है ; (1) शिक्षित बरोजगारों के कार्यक्रम के अन्तर्गत छोट उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने की स्कीम, (2) राज्यों और संघ शासित क्षत्रों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम और (3) शिक्षित बरोजगारों के लिए पांच लाख रोजगार कार्यक्रम ।

छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता स्कीम के अन्तर्गत, कर्नाटक सरकार ने 38·25 लाख रूपये की राशि आवंटित की है — इसमें से 25·50 लाख रूपये ऋणों के रूप में होंगे और 12·75 लाख रूपये अनदान के रूप में होंगे । यह राशि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनेक प्रकार की (पैकेज) परामर्शदाती, सवाओं, वाणिज्यिक और औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिये राज्य निगमों को सीमान्त धन और किराया इमदाद और औद्योगिक सहकारी समितियों आदि को इक्वीटी अंशदान की व्यवस्था का खर्च पूरा करने के लिए दी जायेगी । विशेष रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत दो स्व–रोजगार कार्यक्रम जिनके लिए कुल 0·88 लाख रूपये रखे गये है, चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे है । पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत, योजना आयोग द्वारा स्वीकृत 381·30 लाख रूपये परिव्यय की 20 स्वरोजगार स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है ।

कर्नाटक के विभिन्न खण्डों में आदिवासियों की ऋणग्रस्तता

3890. **श्री के० मालन्ना : क्या गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक राज्य के विभिन्न खण्डों में बसने वाले आदिवासियों की ऋणग्रस्तता स्वरूप की सीमा के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है और इस संबंध में उन्हें राहत देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा कैलेण्डरों तथा डायरियों का मुद्रण

3892. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी सूचना और प्रसारण मन्त्रालय (विज्ञापन और दृश्य प्रचार) ने कागज संकट को ध्यान में न रखते हुए अधिकारियों तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को निःशुल्क वितरण करने के लिए भारी धनराशि खर्च करके बड़े पैमाने पर कैलेंडर तथा डायरियां छपाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यय का औचित्य क्या है और क्या सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विशाल हित के लिए इस सामन्ती प्रथा को सदा के लिये बन्द करने पर निर्णय करेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) पिछले वर्षों की तरह 1974 के लिये भी विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के डायरियां और कैलेन्डर छपवाएं । प्रिंट आर्डरं कागज की किफायत करने और निर्माण लागत में कमी करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पूरी की जाने वाली जरूरी आवश्यकताओं के अनुरूप ही निश्चित किए गए ।

इनके उपयोग मूल्य के अलावा, डायरियां और कैलेन्डर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय गतिविधियों पर सूचना के प्रसार के एक उपयोगी माध्यम के रूप में भी काम करते है। इसलिए इनका प्रकाशन जारी रखना आवश्यक समझा जाता है।

Retrenchment of employees working in Census Department

3893. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the State-wise number of employees working in the Census Department of the Government of India ;

(b) the number of such employees who have come on deputation in Census Department from States, State-wise ;

(c) whether some of the employees after having served for years in Census Department are proposed to be retrenched; and

(d) if so, the State-wise number thereof and the justification for their retrenchment?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The number of sanctioned posts in each of the offices of the Directors of Census operations is as follows :

1. Andhra Pradesh	190
2. Assam	123
3. Bihar	336
4. Gujarat	78
5. Haryana	91
6. Himachal Pradesh	76
7. Jammu and Kashmir	188
8. Karnataka	158
9. Kerala	169
10. Madhya Pradesh	231
11. Maharashtra	158
12. Meghalaya	57
13. Nagaland	34
14. Manipur	52
15. Orissa	199
16. Punjab	135
17. Rajasthan	121
18. Tamil Nadu and Pondicherry	221
19. Uttar Pradesh	702
20. West Bengal	297
21. Andaman & Nicobar Islands	31
22. Arunachal Pradesh	68
23. Chandigarh	19
24. Delhi	84
25. Goa, Daman & Diu	36
26. Lakshadweep	14
27. Tripura	54
TOTAL	3,922

The number of posts at present lying vacant has to be ascertained from the State offices These keep on changing as employees who get jobs elsewhere are allowed to leave and the vacancies are not usually filled.

(b) The number of employees on deputation from the States as on February, 1974 was as follows :—

1. Andhra Pradesh	4
2. Assam	5
3. Bihar	19
4. Gujarat	1
5. Haryana	2
6. Himachal Pradesh	6
7. Jammu & Kashmir	..
8. Karnataka	4
9. Kerala	13
10. Madhya Pradesh	6
11. Maharashtra	9
12. Meghalaya	2
13. Manipur	1
14. Nagaland	..
15. Orissa	9
16. Punjab	1
17. Rajasthan	2
18. Tamil Nadu and Pondicherry	6
19. Uttar Pradesh	33
20. West Bengal	5
21. Andaman & Nicobar Islands	4
22. Arunachal Pradesh	2
23. Chandigarh	1
24. Delhi	3
25. Goa, Daman and Diu	5
26. Lakshadweep	1
27. Tripura	2
TOTAL	146

(c) Yes, Sir.

(d) Statewise details of the temporary staff proposed to be retrenched have yet to be worked out. It may involve about 2,000 persons in the course of this year. Completion of projects for which the staff was temporarily recruited and budgetary constraints lead to retrenchment.

डाकतार विभाग में लेखा अधिकारी के खाली पडे पद

3894. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों से समस्त देश में डाक-तार विभाग की विभिन्न शाखाओं में लेखा अधिकारी के अनेक पद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक न होने के कारण खाली पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो विभागिय पदोन्नति समिति की बैठकें निर्धारित तिथियों पर न होने के क्या कारण है और देश में लेखा अधिकारी के कितने पद खाली पड़े है और उनके कब तक भरे जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। यह सही नहीं है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें न होने के कारण विभाग में लेखा अधिकारियों के बहुत से पद पिछले कुछ वर्षों से रिक्त पड़े है। असलियत तो यह है कि अधिकांश मामलों में ये पद अस्थायी आधार पर स्थानीय प्रबन्ध द्वारा भरे गए हैं। अप्रैल 69, अगस्त 69, मार्च 70, अगस्त 70, अप्रैल 72 और अक्तूबर 72 में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठके हुई थीं, लेकिन उनके द्वारा तैयार की गई चयन सूचियों के आधार पर नियुक्तियां तदर्थ आधार पर ही की जा सकीं, क्योंकि डाक-तार विभाग के लेखाकारों, और महालेखाकार डाक-तार से दूर संचार लेखा सम्बन्धी कार्य ले लेने के बाद जो लेखाकार स्थानान्तरित होकर आए उनके बीच आपसी वरिष्ठता को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ था। इस सूची को अभी हाल ही में अंतिम रुप दिया गया है और जो पदोन्नतियां तदर्थ आधार पर पहले की जा चुकी हैं उनका पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसके बाद बाकी पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए नई विभागीय पदोन्नति समिति बैठेगी।

वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में छापे गये कैलेंडरों तथा डायरियों की संख्या

3895. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में कुल कितने कैलेंडर और डायरियां छापी गयीं ;

(ख) उपरोक्त दो वस्तुओं की छपाई पर प्रतिवर्ष कितना-कितना व्यय किया गया ;

(ग) वे ऐसे व्यक्ति किन-किन वर्गों के हैं जिन्हें उपरोक्त दो वस्तुएं मुख्यतया निःशुल्क वितरित की जाती हैं ; और

(घ) इन दो वस्तुओं की बिक्री के जरिए प्रति वर्ष कितनी राशि अर्जित की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—6491/74]**

(ग) डायरियां तथा कैलेन्डर राज्यपालों, केन्द्रीय तथा राज्यों के मंत्रियों, संसद सदस्यों, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों, भारत में स्थित विदेशी दूतावासों, प्रत्याशित प्रेस संवाददाताओं, विज्ञापन एजेन्सियों, केन्द्रीय मन्त्रालयों, इनके संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा सरकारी उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों, इत्यादि को निःशुल्क वितरित किए जाते हैं ।

(घ) केवल सचित्र डायरियां ही बेची जाती है । वर्ष 1971-72 से 1973-74 तक के दौरान इन डायरियों की बिक्री से अर्जित राशि इस प्रकार है ।

1971—72	2,56,702 रुपये 50 पैसे
1972—73	2,28,960 रुपये
1973—74	2,07,690 रुपये

सी० ओ० बी० लाइसेन्स जारी करने से पूर्व प्रत्यक्ष निरीक्षण

3897. श्री के० एस० चावड़ा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री विदेशी फर्मों की गत तीन वर्षों में सी० ओ० बी० लाइसेन्स जारी किये जाने के बारे में 5 दिसम्बर, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 343 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी० ओ० बी० लाइसेन्स जारी करने से पूर्व कितने मामलों में वास्तविक प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया था ;

(ख) उन फर्मों के नाम क्या हैं ; और

(ग) प्रत्यक्ष निरीक्षण करने का कार्य किस एजेन्सी को सौंपा गया था ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) प्रशासी मंत्रालयों को अनुदेश जारी किए गए थे कि विदेशी बहुसंख्यक फर्मों से सी० ओ० बी० को लाइसेंसों के आवेदनों का, पार्टी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले तत्सम्बन्धी लिखित साक्ष्य के प्रकाश में पूरी तरह से जांच पड़ताल की जानी चाहिए तथा यदि आवश्यकता हो तो वास्तविक स्थिति निश्चित करने के लिये कारखाने आदि का निरीक्षण भी किया जाना चाहिए । बहरहाल, उन मामलों के बारे में कोई केन्द्रवर्ती आंकड़े नहीं रखे जाते हैं जिन में स्थानीय निरीक्षण की आवश्यकता पड़ी थी ।

पश्चिम बंगाल के पिछड़े इलाकों में उद्योग

3898. श्री एस० एन० सिंह देव : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने कि विशेषकर पश्चिम बंगाल के पिछड़े इलाकों में उद्योग स्थापित करने हेतु लाइसेन्सों को कार्यरुप नहीं किया हैं ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने नये उद्योग खोले गये तथा कहां खोले गये और उनकी क्षमता क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल राज्य के औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए जारी किए गये औद्योगिक लाइसेंसों की कुल संख्या निम्नलिखित है । उनमें से ऐसे लाइसेंस जो राज्य के पिछड़े क्षेत्रों से सम्बन्धित है वे अलग से उल्लिखित है :—

वर्ष	कुल	पिछड़े क्षेत्र
1971 .	84	12
1972	54	14
1973	41	9

इनमें से तीन लाइसेंसों को रद्द कर दिया गया । वापिस कर दिये गये उन पार्टियों के नाम जिन्हें लाइसेन्स जारी किये गये अनुबन्ध I में किये गये हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—6492/74**]

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बताया गया है कि शेष लाइसेन्सों में से नयी वस्तुओं के निर्माण/नये उपक्रमों की स्थापना के निर्माण से सम्बन्धित 17 लाइसेंसों का कार्यान्वियन हो चुका है । ऐसे लाइसेन्सों का स्थापना स्थल व क्षमता अनुबन्ध 2 में दी गयी है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—6492/74**]

पश्चिम बंगाल में 'रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करना' कार्यक्रम में बाधा

3900. **श्री एस० एन० सिंह देव :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में 'रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करना' कार्यक्रम के अधीन तैयार की गई योजनाओं में बाधा उत्पन्न हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में शिक्षित बेरोजगारों के लिये कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार के लिये त्वरित स्कीम, राज्यों तथा संघ-शासित क्षेत्रों के लिये विशेष रोजगार कार्यक्रम तथा सुखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जैसी विभिन्न चालू स्कीमें संतोषजनक रूप से कार्यान्वित की जा रही हैं । राज्य में आवश्यक प्रारम्भिक कार्य किए जाने के कारण चालू वित्त वर्ष में प्रारंभ किए गए पांच लाख रोजगार कार्यक्रम की गति

आरम्भ में कुछ धीमी थी । फिर भी, अब इस कार्यक्रम में तेजी आ गई है । 1973-74 में विभिन्न स्कीमों से संबंधित सुलभ रोजगार निम्नांकित सारणी में दर्शाये गये हैं :—

	अर्जित रोजगार	
	लाख श्रम दिवस	व्यक्ति
1. ग्रामीण रोजगार के लिये त्वरित स्कीम (दिसम्बर 1973 तक)	46.53	
2. †मार्गदर्शी सघन ग्रामीण रोजगार परियोजना (1-1-1974 तक).	0.10	
3. सुखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (अक्तूबर, 1973 तक)	5.96	
4. लघु कृषक विकास अभिकरण तथा सीमान्तक कृषक और कृषि श्रमिक (जनवरी, 1974 तक)		23,423
5. शिक्षित बेरोजगारों के लिए कार्यक्रम (आंकड़े मार्च, 1973 से संबंधित हैं और 1973-74 में यही स्तर बनाए रखने की आशा की जाती है)		4,455
6. विशेष रोजगार कार्यक्रम (सितम्बर, 1973 तक)		24,275
7. पांच लाख रोजगार कार्यक्रम (28 फरवरी, 1974 तक)	..	37,353
जोड़	52·59	89,506

†इस स्कीम का वर्ष नवम्बर, 1973 से अक्तबर, 1974 हैं ।

पूर्णकालिक अध्यक्ष को नियुक्त करके राष्ट्रीय सूती कपड़ा निगम का पुनर्गठन

3902. **श्री त्रिदिब चौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सुती कपड़ा निगम के नियंत्रण में इस समय चल रही 100 बीमार कपड़ा मिलों के प्रस्तावित राष्ट्रीयकरण को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति कर निगम के ढांचे का पुनर्गठन करने के लिये कोई योजना तैयार की हैं; और

(ख) यदि हां, तो नई योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सूती कपड़ा उपक्रम की भावी प्रबंध व्यवस्था तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम के गठन पर सरकार के द्वारा विचार किया जा राहा है।

विभागेतर डाकघरों (एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल आफिसिज) के कर्मचारियों की ओर से उनको परिलब्धियों में वृद्धि के लिए अभ्यावेदन

3903. **श्री त्रिदिव चौधरी : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यों तथा जीवन निर्वाह की लागत में वृद्धि को देखते हुए विभागेतर डाकघरों के कर्मचारियों की ओर से उनको परिलब्धियों में वृद्धि किये जाने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) विभागेतर एजेंटों के मेहनताने में संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

केरल में सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सेरामिक इंस्टिट्यूट का विस्तार केन्द्र

3904. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :**

श्री एम० एम० जोज़फ :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मुख्य मंत्री ने राज्य में सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक इंस्टिट्यूट का विस्तार केन्द्र स्थापित करने के बारे में अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) 3 फरवरी, 1974 को त्रिवेंद्रम में हुई एक बैठक में केंद्रीय कांच और सिरामिक अनुसंधान संस्थान का एक विस्तार केन्द्र केरल में स्थापित करने से संबंधित एक प्रस्ताव पर केरल के मुख्य मंत्री, राज्य सरकार के अधिकारियों और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर) के बीच बातचीत की गई थी । प्रस्ताव के विस्तृत विवरणों का अध्ययन जारी है ।

गेहूं के उत्पादों के निर्माण के लिये लाइसेन्सों का जारी किया जाना

3905. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में गेंहूं के उत्पादों के निर्माण के लिये लाइसेंस हेतु कितने आवेदन विचाराधीन हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी तारीख को आवेदन पत्र प्राप्त हुआ ; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) तथा (ख) गेहूं के उत्पादों के उत्पादन के लिये लाइसेंस हेतु 32 आवेदन इस मंत्रालय में अनिर्णीत है इन आवेदनों की प्राप्ति-तिथियां निम्नलिखित हैं :

क्रम संख्या	प्राप्त करने की तिथि
1	29-12-71
2	19-1-1973
3	5-4-1973
4	6-6-1973
5	27-9-73
6	29-10-73
7	13-11-73
8	9-11-73
9	9-11-73
10	5-12-73
11	14-12-73
12	31-12-73
13	31-12-73
14	31-12-73
15	31-12-73
16	31-12-73
17	4-1-74
18	11-1-74
19	9-1-74
20	16-1-74
21	16-1-74
22	17-1-74
23	22-1-74
24	22-1-74
25	22-1-74

क्रम संख्या	प्राप्त करने की तिथी
26	11-2-74
27	16-2-74
28 . . .	23-2-74
29 . . .	23-2-74
30 . . .	23-2-74
31	23-2-74
32	13-3-74

(ग) ये आवेदन प्रक्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है तथा शीघ्र ही इन पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

केरल के क्विलोन जिले में उप डाकघर तथा मुख्य डाकघर

3906. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के क्विलोन जिले में कस्नागपल्ली, कन्नाटूर, कोल्लारकारा, पठानपुरम और पठनमटिट्टा में उप-डाकघरों तथा मुख्य डाकघरों की संख्या कितनी है; और

(ख) उन क्षेत्रों के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए डाकघरों की संख्या में वृद्धि करने तथा अन्य संचार साधनों में संवर्धन करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) यह जानकारी नीचे दी जा रही है :—

क्षेत्र	मुख्य डाकघर	उप डाकघर	शाखा डाकघर
कारुंगपल्ली	..	13	30
कन्नाथूर	..	11	26
कोट्टारकारा	..	17	70
पथान पुरम	1	11	34
पथानामथिट्टा	..	30	56

(ख) डाकघर : कुछ और डाकघरों का खोला जाना निर्धारित शर्तों पर निर्भर करता है जैसे दूरी और अनुमानित न्यूनतम आय आदि । जहां भी ये शर्तें पूरी होंगी वहां नया डाकघर खोलने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

तार/सार्वजनिक टेलीफोन घर

क्षेत्र	तारघर		सार्वजनिक टेलीफोन घर	
	स्वीकृत प्रस्ताव	विचाराधीन प्रस्ताव	स्वीकृत प्रस्ताव	विचाराधीन प्रस्ताव
कारुंगपल्ली . . .	3	..	1	7
कन्नाथुर	2	1	..	4
पथानपुरम	1	1	1	5
पथानमथिट्टा . .	1	2	5	10
कोट्टारकारा .	2		1	10

केरल में हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों का उत्थान

3907. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने राज्य में हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिये केन्द्रीय सरकार को कितनी योजनायें भेजी हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने कितनी योजनायें स्वीकार की हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) हरिजनों सहित पिछड़े वर्गों के विकास के लिये केरल सरकार द्वारा 45 स्कीमों का प्रस्ताव किया गया है। सभी स्कीमें पांचवीं योजना में शामिल करने के लिये स्वीकृत कर ली गई हैं ।

पांचवीं योजना में केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सम्बन्धी सुविधाएं

3908. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिये क्या प्रस्ताव रखे गए हैं ; और

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त हो गए हैं और यदि नहीं, तो कितनी कमी रही तथा उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसा प्रस्ताव है कि जिन गांवों में ग्रामपंचायतें हैं और जहां नजदीक का डाकघर 2 मील से अधिक दूर है वहां और अन्य गांवों में विशेष रूप से बहुत पिछड़े हुए और पहाड़ी इलाकों में

जहां निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं, डाकघर खोले जाएं। केरल राज्य में भी पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जहां कहीं भी डाकघर खोलने का औचित्य पाया जाएगा और अधिक डाकघर खोले जाएंगे।

(ख) जी हां। निर्धारित लक्ष्य पूरे कर दिए गए हैं।

स्वेच्छा से आत्म समर्पण करने वाले डाकुओं पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा व्यय किया गया धन

3909. श्री रामसहाय पांडे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने वाले 531 डाकुओं पर 30 लाख रु० के लगभग व्यय किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा कितना धन जुटाया गया ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) स्वेच्छा से आत्म-समर्पण करने वाले डाकुओं पर व्यय किये जाने के लिये राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई धन नहीं दिया गया है।

मध्य प्रदेश में पांचवीं योजना में कागज संयंत्र की स्थापना

3910. श्री राम सहाय पांडे : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में पांचवीं योजना के दौरान कागज संयंत्र और अन्य सरकारी संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संयंत्रों के नाम क्या है और उक्त स्थापना किन-किन स्थानों पर की जायेंगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र में पांचवीं योजनावधि के दौरान मध्य प्रदेश में कागज संयंत्र लगाने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है। मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में पांचवीं योजना में स्थापित किये जाने वाली केन्द्रीय औद्योगिक और खनिज परियोजनाएं पांचवी योजना के प्रलेख प्रारूप के अनुबंध 11 (भाग 2 के पृ० 151—155) में दी गई हैं।

मध्य प्रदेश के लिये बृहद वार्षिक योजना

3911. श्री राम सहाय पांडे : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य ने केन्द्र सरकार से राज्य की वार्षिक योजना के आकार को बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) यह विषय विचाराधीन है।

Increase in Prices of Commodities due to rise in Oil Price

3912. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state ;

(a) whether due to increase in the prices of fuel-oil, the prices of manufactured commodities in industry will go up; and

(b) if so, by what percent ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana) : (a) and (b) Due to increase in the price of fuel oil, prices of a number of manufactured commodities are likely to go up. The extent of increase in prices of the manufactured commodities due to increase in fuel oil prices will differ from commodity to commodity and it is not possible to indicate a percentage by which the price will increase. The price situation of imported fuel oil is, also, fluid and in the circumstances it is not possible to determine the precise impact of higher fuel oil prices on the cost structure of the different manufacturing industries.

Unauthorised use of Telephones

3913. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Communications** be pleased to states :

(a) the number of telephone employees found guilty in the country in 1971, 1972 and 1973 on charges of allowing unauthoriesed use of telephones by the public for making trunk calls; and

(b) the action taken against them ?

The Minister of State for Communications (Prof. Sher Singh) : (a) and (b) The information is being collected and will be placed on the table of the House when received.

National Industrial Development Corporation Ltd.

3914. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the total administrative expenditure incurred on the National Industrial Development Corporation Limited during 1970, 1971, 1972 separately; and

(b) the functions of the Corporation and its achievements so far ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri Subramaniam) : (a) The total administrative expenditure incurred on N. I. D. C. Ltd., during the years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 is given below :—

	Rs. (in lakhs)
1970–71	64.56
1971–72	71.23
1972–73	75.95

(b) The functions of the Corporation are set out below :—

(i) To provide consultancy services for a variety of industries, particularly those in the fields of engineering, pulp and paper, mining electronics, aluminium etc.

(ii) Servicing of loans already granted to cotton textile, jute and machine-tool industries for rehabilitation and modernisation. (Fresh applications for loans are not being entertained after 25-2-1963).

In so far as consultancy services are concerned, the Corporation has gradually built up its cadres of technical personnel and is today in a position to provide complete range of consultancy services from market studies through techno-economic investigations to complete engineering and construction managament of projects. It has rendered these services to a number of important projects in the country, such as, Bharat Heavy Plates and Vessels plant at Visakhapatnam, Marine Engine Plant, Ranchi, Machine Tool Plant at Ajmer, Korba Aluminium Project, Pumps & Compressors Plant at Naini etc. It is also providing consultancy services in a number of foreign countries and to UNIDO. It has rendered such services in the past in countries such as Iran, Libya, Tanzania, Nepal etc.

Detailed information in this regard is contained in the Annual Report of the Corporation for the year 1972-73, copies of which have been laid on the Table of the House on the, 6th March, 1974.

देश में खोले गए डाक तथा तार डिवीजन

3916. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 28 फरवरी, 1974 तक विभिन्न सर्किलों में कितने तथा कौन-कौन से डाक डिवीजन तथा तार डिवीजन खोले जाने की मंजूरी दी गई तथा खोले गए; और

(ख) क्या इन नये डिवीजनों का क्षेत्राधिकार निर्धारित करते समय स्थानीय संसद् सदस्यों (लोक-सभा) अथवा प्रांतीय डाक तथा तार सलाहकार समितियों से परामर्श किया गया था?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) विभिन्न सर्किलों में कितने तथा कौन-कौन से डाक और तार डिवीजनों के खोले जाने की मंजूरी दी गई तथा खोले गए, उनका एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—6493/74**]

(ख) उनसे परामर्श नहीं किया जाता, लेकिन जब कोई सुझाव प्राप्त होते हैं तब उन पर बाकायदा विचार किया जाता है।

नये डाकघर खोलना

3917. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में 28 फरवरी, 1974 तक देश में सर्किलवार कितने डाकघरों की (1) मंजूरी दी गई और (2) कितने खोले गये; और

(ख) इन में से ऐसे डाकघरों की संख्या कितनी है जिन्हें अलाभप्रद पाया गया तथा जिनके लिये स्थानीय जनता राज्य सरकारों ने वापिस न की जाने वाली अंशदान की राशि दी थी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) जानकारी नीचे दी जा रही है :—

सर्किल	28-2-1974 तक मंजूर किए गए और खोले गए डाकघरों की संख्या	उन डाकघरों की संख्या जिनके लिये स्थानीय जनता/राज्य सरकारों ने ना-वापसी अंशदान दिया
आन्ध्र	56	10
बिहार	92	30
दिल्ली	6	..
गुजरात	89	11
जम्मू और कश्मीर	73	2
कर्नाटक	53	4
केरल	8	..
मध्य प्रदेश	82	36
महाराष्ट्र	59	12
उत्तर पूर्वी सर्किल	94	19
उड़ीसा	116	13
पंजाब	92	54
राजस्थान	70	..
तमिल नाडु	97	..
उत्तर प्रदेश	162	27
पश्चिम बंगाल	73	22

डाक तथा तार सलाहकार समितियां

3918. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/सर्किल को डाक तथा तार सलाहकार समितियों के अधिकार तथा कार्य ा हैं;

(ख) क्या सर्किल/राज्य में नए डाक/तार/डिवीजन बनाये जाते समय इन समितियों में परा- र्श किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) इस समिति का एक मात्र काय सलाह देना, लेकिन यह समिति जो सुझाव देती है, सर्किल अध्यक्ष उन सभी सुझावों और फारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार करते हैं और जहां तक संभव होता है उन्हें अमल में लाते , बशर्ते कि वे सरकार की सामान्य नीति के खिलाफ न हों ।

(ii) समिति में आमतौर पर नीचे लिखे विषयों पर चर्चा होती है :—

(क) शहरों और देहातों दोनों इलाकों के डाक, तार और टेलीफोन की सुविधाओं का विस्तार या उनमें सुधार करने से संबंधित सभी मामले जिसमें नीति का प्रश्न भी शामिल है ।

(ख) डाकघर, तारघर, संयुक्त डाक-तार घर और टेलीफोन खोलना, दुबारा खोलना या उनका विस्तार करना ।

(ग) सेवाओं की खराबियों की बाबत खास शिकायतें ।

(घ) नये प्रोजेक्ट और विस्तार योजनायें ।

(ङ) डाक भेजने और बांटने का समय तथा परिवहन के साधन ।

(च) जनहित संबंधी अन्य मामले ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह विषय सलाहकार समितियों के कार्य-क्षेत्र और विषय-क्षेत्र में नहीं आता ।

भारत के औषध नियंत्रक द्वारा लाइसेंसिंग समिति के सलाहकार के रूप में कार्य करना

3919. श्री भालजी भाई परमार : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाइसेंसिंग समिति की रचना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत का औषध नियंत्रक डी० जी० टी० डी० और लाइसेंसिंग समिति के सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा है ;

(ग) क्या उन्हें या उनके मनोनीत व्यक्ति को लाइसंसिंग समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए निमंत्रित किया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) लाइसेंसिंग समिति की वर्तमान रचना निम्नप्रकार है :—

1	सचिव, औद्योगिक विकास मंत्रालय	अध्यक्ष
2	सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय अथवा उसके द्वारा नामित . .	सदस्य
3	सचिव, इस्पात विभाग अथवा उसके द्वारा नामित . . .	सदस्य
4	सचिव, खनन विभाग अथवा उनके द्वारा नामित . . .	सदस्य
5	सचिव, पैट्रोलियम एवं रसायन मंत्रालय अथवा उनके द्वारा नामित	सदस्य
6	सचिव, वित्त मंत्रालय अथवा उसके द्वारा नामित (आर्थिक कार्य विभाग)	सदस्य
7	सचिव, वाणिज्य मंत्रालय अथवा उनके द्वारा नामित . . .	सदस्य
8	सचिव, प्रतिरक्षा सप्लाई विभाग अथवा उनके द्वारा नामित . .	सदस्य
9	सचिव, कंपनी कार्य विभाग अथवा उनके द्वारा नामित . . .	सदस्य
10	सचिव, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, रेलवे मंत्रालय अथवा उनके द्वारा नामित	सदस्य
11	सचिव, महानिदेशक सी० एस० आई० आर० अथवा उनके द्वारा नामित	सदस्य
12	सचिव, सलाहकार, योजना आयोग अथवा उनके द्वारा नामित .	सदस्य

लाइसेंसिंग समिति जहां कहां आवश्यक हो वहां भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों अथवा संबंधित राज्य सरकार के एक या एक से अधिक प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकती है।

(ख) स्वास्थ्य मंत्रालय (स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय) में भारत के औषध नियंत्रक तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पदेन औद्योगिक सलाहकार (औषध) हैं ।

(ग) और (घ) तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा भारत के औषध नियंत्रक से संबंधित सभी मामलों पर पट्रोलियम व रसायन मंत्रालय के जरिए इनकी सलाह लेता है । जहां आवश्यक समझा जाता है उन्हें लाइसेंसिंग समिति में निमंत्रित किया जाता है ।

लाइसेंसिंग समिति द्वारा मदों का अनुमोदन

3920. श्री भालजीभाई परमार : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ विशेष मदों के निर्माण हेतु अनुमोदन के लिये लाइसेंसिंग समिति की प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या वही अधिकारी जो कि प्रस्ताव को पहले स्वीकार या अस्वीकार कर चुके होते हैं लाइसेंसिंग समिति की बैठकों में भाग लेते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार लाइसेंसिंग समिति में शत प्रतिशत उन भारतीय फर्मों को, जिनके प्रार्थनापत्र किसी न किसी कारणवश अस्वीकृत कर दिए गए हों, अपना मामला प्रस्तुत करने के लिये बुलाने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) से (ग) उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 के अधीन अनुसूचित वस्तुओं के उत्पादन के लिये दिये गये आवेदन पत्रों को पहले विभिन्न जांच अभिकरणों को आवेदन प्रस्ताव पर लिखित सम्मति देने के लिये भेजा जाता है उनके लिए 30 दिन की अवधि विहित है किन्तु प्रशासनिक मंत्रालयों को संमति प्रदान करने के लिये 15 दिन और अधिक दिये गये है क्योंकि उन्हें तकनीकी प्राधिकारियों की सम्मति भी प्राप्त करनी होती है । तत्पश्चात् उस पर (तकनीकी प्राधिकरण की संमति अनिवार्य है) प्राप्त सम्मतियों के आधार पर सरकार के विचारार्थ उपयुक्त सिफारिशें करने के लिये लाइसेंसिंग समिति विचार करती है । तकनीकी प्राधिकरणों और प्रशासनिक मंत्रालयों के प्रतिनिधि लाइसेंसिंग समिति की बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हैं। औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पत्र पर अन्तिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है ।

सरकार 100% भारतीय फर्मों के प्रतिनिधियों को लाइसेंस समिति की बैठक में सम्मिलित होने के लिये आमंत्रित नहीं करती । किन्तु उन आवेदकों को जिनके लाइसेंस आवेदन रद्द कर दिये गये है चाहे वे 100% भारतीय फर्मों के हो अथवा अन्य के रद्द किये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन करने की अनुमति दी जाती है । आवश्यक होने पर अभ्यावेदनों की प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा तकनीकी प्राधिकरण के परामर्श से जांच की जाती है और तत्पश्चात् सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाता है ।

कोचीन में भारतीय संविधान की प्रतियों का जलाया जाना

3921. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 फरवरी, 1974 की कोचीन से प्राप्त यू० एन० आई० की इस आशय की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि "एक पृथक केरल के लिये आन्दोलन का सूत्रपात करते हुए" 19 फरवरी को कोचीन में हुए एक सार्वजनिक सभा में मलयाली देशीय मानहानी (मलयाली राष्ट्रीय मोर्चा) द्वारा भारतीय संविधान की प्रतियां जला दी गई; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) राज्यसरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मलयाली देशीय मुन्नानी ने बम्बई में शिव सेना स्वयंसेवकों द्वारा मलयालियों पर किये गये तथाकथित अत्याचारों के विरोध में 19 फरवरी, 1974 को एर्नाकुलम् में बोट जेट्टी मैदान में 75 व्यक्तियों की एक सभा का आयोजन किया था ? सभा में वक्ताओं ने संविधान की निन्दा की और सभा के अन्त में उन्होंने संविधान की एक प्रति जलाई । स्थानीय पुलिस ने इस संबंध में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोक अधिनियम, 1971 की धारा 2 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया है और इसकी जांच-पड़ताल

Bhagwati Committee on Unemployment

3922. Shri Jagannathrao Joshi : Will the Minister of **Planning** be pleased to state the action taken so far by the Inter-Ministry Committee appointed to go into the recommendations of the Bhagwati Committee on Unemployment ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : The report of the Inter-Ministerial Working Group has been recently finalised.

Savings Effected in Prime Minister's Secretariat due to Economy Drive

3923. Shri Jagannathrao Joshi : Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) the monthly average savings effected in her Secretariat after August, 1973 under economy drive; and

(b) the monthly comparative figures of expenditure on Petrol, Overtime Allowance, Telephones and Electricity from August last todate and the previous year ?

Prime Minister, Minister of Automic Energy, Minister of Electronics and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The monthly average savings during the period from August 1973 to February 1974 in relation to the expenditure incurred during the corresponding period in the preceding year, come to Rs. 5,297-00.

(b) A statement is laid on the Table of the House. The figures of expenditure on electricity are not known as there are no separate meters installed for the Prime Minister's Secretariat.

STATEMENT

Montly comparative figures of expenditure on Petrol, Overtime Allowance and Telephones from 1-8-72 to 28-2-73 and from 1-8-73 to 28-2-74 in answer to Lok Sabha Unstarred Question No. 3923 dated 20-3-74.

Sl. No.	Item	August		September		October	
		1972	1973	1972	1973	1972	1973
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Petrol	2028	2025	2499	2240	2148	1831
2.	Overtime Allowance	11,374	12,332	12,252	11,765	11,836	11,721
3.	Telephones	10,760	7,378	11,342	9,085	13,082	14,011

November		December		January		February	
1972	1973	1972	1973	1973	1974	1973	1974
9	10	11	12	13	14	15	16
1877	2013	2103	2126	2021	2257	2070	2254
11,923	12,321	12,502	14,124	12,745	13,479	11,753	14,834
12,393	10,799	8,564	9,289	10,414	12,701	12,310	11,078

दूर संचार उपकरणों का उत्पादन

3924. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर स्थित इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने दूर संचार उपकरणों के उत्पादन के सभी पहलुओं की जांच कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो लम्बी दूरी तक संचार के लिये ट्रांसमीशन उपकरणों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) इस समय इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की वार्षिक उत्पादन क्षमता इस प्रकार है :—

1. टेलीफोन उपकरण . .	2,50,000 अदद
2. स्ट्रोजर किस्म की टेलीफोन एक्सचेंज लाइनें .	1,50,000 लाइनें
3. क्रासबार किस्म की टेलीफोन एक्सचेंज लाइनें	1,00,000 लाइनें
4. पारेषण उपस्कर .	7.5 करोड़ रुपए की कीमत के।
5. मापन तथा परीक्षण उपस्कर .	1.5 करोड़ रूपए की कीमत के।

(ख) देश में दूरसंचार उपस्करों के निर्माण से संबंधित सभी पहलूओं पर विचार करने के लिए, सरकार ने योजना आयोग के सदस्य, श्री एम० एस० पाठक की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। सरकार ने पाठक समिति की अधिकतर सिफारिशों पर निर्णय ले लिये है। इन निर्णयों से संबंधित एक विवरण, 28 नवम्बर, 1973 को लोक-सभा के पटल पर रखा गया था। बाकी सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) मौजूदा पारेषण उत्पादक एककों के विस्तार के अलावा दूरवर्ती पारेषण उपस्कर के निर्माण के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में दो नए कारखाने खोलने के वास्ते व्यवस्था है।

देवनागरी लिपि में संदेश प्राप्त करने तथा भेजने की सुविधा वाले तारघर

3925. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे तारघरों की राज्यवार संख्या क्या है जिनमें कि अब देवनागरी लिपि में संदेश भेजने तथा प्राप्त करने की सुविधाएं उपलब्ध है, और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार कितने तारघरों में हिन्दी देवनागरी लिपी को प्रारम्भ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) विभाग ने अपना क्षेत्रीय बंटवारा सर्किलों के रूप में किया है, जिनके अन्तर्गत एक या अधिक राज्य आतें है।

31 दिसम्बर, 1973 को जिन तारघरों म देवनागरी लिपि में लिखें भारतीय भाषा के तार भेजने और मंजूर करने की सुविधाएं उपलब्ध थीं, उनकी सर्किलवार संख्या इस प्रकार है :—

डाक-तार सर्किल	उक्त सुविधाओं से युक्त तारघरों की संख्या
आन्ध्र . . .	153
उत्तरपूर्वी सर्किल	24
बिहार	1003
दिल्ली	105
गुजरात	383
जम्मू और कश्मीर	16
केरल	25
मध्य प्रदेश	700
महाराष्ट्र	908
कर्नाटक	116
उड़ीसा	13
पंजाब	660
राजस्थान . .	795
तमिलनाडु .	130
उत्तर प्रदेश . . .	1354
पश्चिम बंगाल . . .	140

(ख) लक्ष्य यह था कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित सभी तारघरों में देवनागरी तार सेवा सुलभ कर दी जाये । दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सर्किलों में यह लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया गया है । मध्य प्रदेश और बिहार में क्रमश: 34 और 52 तारघरों को छोड़कर बाकी सभी तारघरों में यह सुविधा दे दी गई है । आशा है कि 30-9-1974 तक इन तारघरों में भी देवनागरी तार सेवा देकर लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा ।

देश के निम्नतम वर्ग के व्यक्तियों की आय तथा उपभोग के स्तर

3926. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कई वर्षों से समाज के निम्नतम वर्गों के व्यक्तियों की आय तथा उपभोग के स्तरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) समाज के विभिन्न वर्गों की आय स्तरों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है । किन्तु वर्ष 1960-61 और 1967-68 में किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार इन वर्षों के दौरान समाज के सबसे निचले स्तर के 30 प्रतिशत व्यक्तियों के प्रति-व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय में मामूली सुधार हुआ । वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 से संबंधित इसी प्रकार के आंकड़े अभी सारणीबद्ध किए जा रहे है ।

(ग) हाल ही के वर्षों में समाज के निर्धनतर वर्ग के लोगों के उपभोग स्तर को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में ये बातें सम्मिलित हैं : (1) वर्ष-प्रति-वर्ष योजना परिव्यय को बढ़ाना; (2) समाज के निर्धनतर वर्गों के लाभ के लिये कृषि, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग और पशुपालन, दुग्धोद्योग, मत्स्योद्योग, आदि कार्यों के विकास पर बल देना; (3) लघु तथा नाममात्र के कृषकों, कम वर्षा वाले क्षेत्रों के कृषकों और भूमिहीन श्रमिकों तथा सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र से संबंधित विशेष कार्यक्रमों को अपनाना; (4) भूमि सुधार उपायों को क्रियान्वित करना; (5) त्वरित ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ करना; (6) समाज सेवा तथा कल्याण से संबंधित व्यापक कार्यक्रम और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए स्कीमें आरम्भ करना; तथा (7) सार्वजनिक वसूली तथा वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार करना ।

नेपाल के साथ सहयोग से कागज़ का उत्पादन

3927. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री वेकारिया :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने नेपाल के नेशनल प्लानिंग कमीशन के वाइस चैयरमैन से हाल में विचार-विमर्श किया था ;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर विचार-विमर्श किया ;

(ग) क्या कागज़ उत्पादन के क्षेत्र में नेपाल के सहयोग करने के तरीके पर भी विचार-विमर्श किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (घ) भारत सरकार एवं नेपाल के राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष के प्रतिनिधियों में हाल में हुई बातचीत में सामान्य अभिरुचि के बिजली परिवहन कृषि, उद्योग आदि जैसे अनेक क्षेत्र शामिल

थे कागज की परियोजना के विषय में यह सहमति हुई कि इस प्रस्ताव का और आगे अध्ययन किया जाये । इस संबंध में दोनों पक्षों ने देखा कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने हाल ही में नेपाल में सेल्युलोसिक कच्चे माल का सर्वेक्षण किया था ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण पर लगाये गये प्रतिबन्ध का राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की गतिविधियों पर प्रभाव

3928. **श्री गजाधर माझी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक ऋण पर लगे नियंत्रण में उदारता नहीं बरतता है, तो देश में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की गतिविधियां अस्त-व्यस्त हो सकती हैं क्योंकि इसके परिणामस्वरूप निगम द्वारा देय ब्याज दरों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या ब्याज दरों में हुई भारी वृद्धि के भार अतिरिक्त, औद्योगिक विकास के भावी कार्यक्रमों में बाधा आ सकती है; यदि कुछ उचित कार्यवाहो नहीं की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की गतिविधियों में सूती वस्त्र जूट और मशीनी औजारों के उद्योगों की उनके पुनर्स्थापन तथा आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों के लिये दिए गए ऋणों की शोधन तथा उन्हें परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करना है ।

जहां तक परामर्शदात्री सेवाओं का संबंध है रिजर्व बैंक आफ इंडिया के ऋण नियंत्रण (क्रेडिट स्कीम) का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है ।

जहां तक सूती वस्त्र, जूट और मशीनी औजारों के उद्योगों को पुराने ऋण शोधन की सेवा का संबंध है ऐसे ऋणों के लिये प्राप्त अग्रिम ऋणों धनराशि पर सरकार को देय ब्याज दर को क्रेडिट स्क्वीज होने के पश्चात् सरकार ने नहीं बदला है । इसी प्रकार क्रेडिट स्क्वीज होने से देय ब्याज दर को ऋण लेने वाली कम्पनियों ने भी नहीं बदला है ।

(ख) और (ग) औद्योगिक बस्ती कार्यक्रम की सफलता स्थापना स्थल के ठीक चयन करने रचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करने और उद्यमियों की प्रेरणा पर निर्भर करती है । इसी के अनुसरण में राज्य सरकारों से औद्योगिक बस्तियों के स्थान का निर्णय करते समय और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करते समय आर्थिक सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया है ।

Small Scale Industries in Fourth Plan

3929. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state the number of small scale industrial units at the end of the Fourth Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : The number of small industrial units registered with the Industries Directorates of the States and Union Territories till the 31st December, 1973 was 4.05 lakhs

दिल्ली बीकानेर टेलीफोन लाइन

3930. डा० कर्णी सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों के दौरान किए गए आश्वासनों के बावजूद दिल्ली से बीकानेर को टेलीफोन करना लगभग असम्भव है क्योंकि 24 घंटे में 12 घन्टे लाइन खराब रहती है, और

(ख) इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं। बीकानेर को कोएक्सिएल केबिल प्रणाली के जरिए दिल्ली से जोड़ दिया गया है। दिल्ली बीकानेर के पूरे मार्ग पर दिए गए ट्रंक सर्किटों की औसत कार्य-कुशलता करीब 70 से 80 प्रतिशत है। विभागीय कारणों से, जिनमें ट्रंक सर्किटों का बन्द हो जाना भी शामिल है, रद्द की जाने वाली कालों की औसत लगभग 20 प्रतिशत है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई में टेलीफोनों का कार्यकरण

3931. डा० कर्णी सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में टेलीफोन धारियों की आधी रात तथा 6 बजे म० पू० के बीच 198, 199 जैसे टेलीफोन नम्बरों पर बातचीत करने में कठिनाईयां हो रही हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) कर्मचारियों की अप्रत्याशित गैरहाजिरी के कारण इस समय के दौरान यदा कदा कुछ कठिनाइयां अनुभव की जाती है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, जहां तक संभव होता है, अल्पकालिक ड्यूटी वाले टेलीफोन आपरेटर काम पर लगाए जाते हैं।

ऊर्जा संकट का सामना करने के लिये अनुसन्धान केन्द्रों की स्थापना करना

3932. श्री वाई ईश्वर रेड्डी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा संकट का सामना करने के लिये अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि व्यय की जानी है, और

(ग) इन केन्द्रों की स्थापना के लिये किन वैज्ञानिकों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जी नहीं। ऊर्जा संकट का सामना करने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने

हेतु नये अनुसंधान केन्द्रों के बारे में इस समय कोई विचार नहीं है। ऊर्जा अनुसंधान संबंधी सभी कार्यक्रम वर्तमान केन्द्रों एवं संस्थानों द्वारा ही कार्यान्वित किये जायेंगे। ऊर्जा-शोषण एवं उसके उपयोग संबंधी सभी कार्यक्रमों को संगठित एवं समन्वित करने के लिये एक राष्ट्रीय ऊर्जा मंडल की स्थापना करने का सुझाव दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 180 करोड़ रुपए लागत के ऊर्जा कार्यक्रमों का निर्धारण किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मूल्यों को स्थिर रखने में केन्द्र की विफलता पर आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फैडरेशन द्वारा प्रस्तावित सांकेतिक हड़ताल

3933. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मूल्यों को स्थिर रखने में केन्द्र की विफलता के विरोध में 9 अप्रैल को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किये जाने के बारे में आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाईज फैडरेशन के निर्णय की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार ने इस संबंध में कुछ प्रैस रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 11 की प्रविष्टि संख्या 41 के अनुसार, राज्यों की सरकारी सेवाओं से संबंधित मामलों का संबंध तत्संबंधी राज्य सरकारों से है। तदनुसार, उनके कर्मचारियों द्वारा दी गई हड़ताल की धमकी से उत्पन्न किसी भी स्थिति से उन राज्यों की सरकारों को ही निपटना होगा।

कलकत्ता टेलीफोन केन्द्र में टेलीफोन के फालतू पुर्जों की कमी

3934. **श्री आर० एन० बर्मन : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन के फालतू पूर्जों की कमी के कारण कलकत्ता टेलीफोन केन्द्र सन्कट का सामना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो फालतू पुर्जों को सप्लाई करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। कलकत्ते के टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर के लिए जिन फालतू पूर्जों की जरूरत है, उनमें से अधिकांश पूर्जे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज बंगलूर ने बनाकर भेज दिए हैं। बाकी फालतू पुर्जे भी यह कंपनी उत्तरोत्तर सप्लाई कर देगी।

विलास सामग्री के उत्पादन पर प्रतिबन्ध

3935. **श्री आर० एन० बर्मन : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विलास सामग्री के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाये जाने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो किन वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगाए जाने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) यद्यपि विलास सामग्री के उत्पादन पर रोक लगाने का इरादा नहीं है, फिर भी पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सुझाव दिया गया है कि निर्यात की आवश्यकताओं को छोड़कर अनावश्यक सामान के उत्पादन पर सख्ती से नियंत्रण रखा जाय ।

Organisation of "Singh Sena" in Delhi

3936. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the organisation of "Singh Sena" in Delhi.

(b) if so, the objectives of the said organisation; and

(c) whether Government consider such organisations to be anti-social ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) According to information received from the Delhi Administration, the avowed objectives of the Singh Sena are to deal with the goonda elements in society, to perform volenteer duties during religious functions, to help the Government/Administration at the time of national emergency, etc. No anti-social activity of the organisation has come to notice.

Religions and Sects in India

3937. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of religions and sects in India at present as also the number of following of different religious and sects; and

(b) the percentage of increase in the number of these religions or sects between the last two consuses ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The number of religions and persuasions, which included sects also, returned at this census was 486. In Census of India 1971, Paper 2 of 1972- Religion, a copy of which has been supplied to the Parliament Library, figures of the six major religious communities have already been published. They are reproduced below :—

Hindus	453,292,086
Muslims	61,417,934
Christians	14,223,382
Sikhs	10,378,797
Buddhists	3,812,325
Jains	2,604,646
Other religions and persuasions	2,184,556
Religion not stated	36,083

The break-up of "other religions and persuasions" will be published in Census of India 1971 Series I—India [Part II C (i)—Social and Cultural tables]. This volume is still being compiled.

(b) The percentages of increase in the population between 1961 and 1971 of the religious groups mentioned under (a) above have also been published in the Paper 2 of 1972 referred to above. They are as under :—

Hindus	+ 23.69
Muslims	+ 30.85
Christians	+ 32.60
Sikhs	+ 32.28
Buddhists	+ 17.20
Jains	+ 28.48
Other religions and persuasions and religion not stated	+ 26.10

NOTE —This percentage table excludes Arunachal Pradesh for which comparable figures of 1961 are not available. Only an abridged Schedule for 297,853 persons was canvassed in Arunachal Pradesh at the 1961 census instead of the general all-India schedule and distribution by religion of this population is not available.

आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के नगरों तथा उनकी राजधानियों के बीच डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा

3938. **श्री वी० एस० मूर्ति :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ऐसे नगरों की संख्या क्या है जिन्हें उनकी राजधानियों के साथ सम्पर्क स्थापित करने हेतु डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा नहीं दी गई है; और

(ख) इस सुविधा की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) आन्ध्र प्रदेश में विजयवाड़ा और तमिलनाडु में कोयम्बतूर, तिरुचिरापल्ली, मदुराई, चिंगलपुट और कांचीपुरम शहर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के जरिए अपने अपने राज्य की राजधानियों से जुड़े हुए हैं।

(ख) उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा के लिये कोएक्सियल, माइक्रोवेव या यू० एच० एफ० प्रणालियों पर अच्छे किस्म क विश्वसनीय और टिकाऊ अनेक टेलीफोन सर्किटों की जरूरत होती है। ट्रंक यातायात और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखत हुए उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा देने की योजनाएं उत्तरोत्तर कार्यान्वित की जा रही हैं।

सिंगापुर से आजाद हिन्द फौज के शहीदों के स्मारक के भागों का स्वतन्त्रता पूर्व भारत में लाया जाना

3939. **श्री समर गुह :** क्या **गृह** मंत्री 19 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5497 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री शाहनवाज खां द्वारा सिंगापुर से भारत लाए गए आजाद हिंद फौज के शहीदों के स्मारक के भागों का विवरण क्या है; वे किस स्थान पर रख गए हैं और सरकार ने उनके

परिरक्षण और उन भागों के साथ आजाद हिंद फौज का स्मारक पुनः बनाने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या सरकार ने उक्त पवित्र स्मारक के भागों को बहाल करने और उन्हें समुचित ढंग से एवं विधिवत् राष्ट्रीय सम्मान के साथ परिरक्षण के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) श्री शाह नवाज खां ने सूचित किया है कि आजाद हिंदी फौज के शहीद स्मारक के स्मृति पट्टे का एक छोटा टुकड़ा, जिसकी 1945 में किसी समय नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा आधार शिला रखी गई थी, 1946 में उनके अधिकार में आया था और उन्होंने रावलपिंडी में अपन परिवार के सदस्यों के पास स्मृति पट्टे का यह भाग छोड़ दिया था। बाद में उनके परिवार के सदस्यों को भारत जाना पड़ा। स्मृति-शेष की तलाश करने तथा इसे भारत वापिस लाने क प्रयास पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध होने के बाद ही किये जायेंगे।

साल्ट लेक कलकत्ता में एक साइक्लोट्रोन इन्स्टीटयूट की स्थापना

3940. **श्री समर गुह :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परमाणु ऊर्जा आयोग के अधीन कलकत्ता के साल्ट लेक सिटी में एक साइक्लोट्रोन इन्स्टीटयूट की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या स्वर्गीय प्रोफ़ेसर सत्येंद्र नाथ बोस के मूल विज्ञान के क्षेत्र में योगदान की स्मृति में उक्त इंस्टीटयूट का नाम उनके नाम पर रखा जायेगा;

(घ) क्या मूल विज्ञान के क्षेत्र में स्वर्गीय प्रो० बोस के अद्वितीय योगदान के सम्मान में मूल भौतिक विज्ञान संबंधी शोध कार्य के लिये प्रस्तावित परमाणु अनुसंधान केन्द्र के साथ एक अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) जी, हां,। भारत सरकार द्वारा कलकत्ता में एक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रोन की स्थापना की जा रही है। किरण पुंज (60 मेगा इलैक्ट्रोन वोल्ट शक्ति तक के प्रोटोनों की परिवर्ती ऊर्जा) के इस वर्ष के अन्त के लगभग प्राप्त हो जाने की संभावना है।

(ग) तथा (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नही है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Fire in Jama Masjid Bazar, Delhi

3941. **Maulana Ishaque Sambhali :**

Shri Lambodar Baliyar :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a large number of shops were gutted in a fire in Jama Masjid Bazar, Delhi on the 27th February, 1974;

(b) if so, the number of shops destroyed and the loss suffered as a result thereof;

(c) whether the Fire Brigade reached there late; and

(d) if not, the time by which Fire Brigade reached there?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) Out of 201 shops 101 shops are said to have been burnt in a fire in the Commercial Market, Jama Masjid on the night of 26th and 27th February, 1974. The Total loss of property claimed to have been sustained by the shopkeepers amounts to Rs. 15,47,900.

(c) and (d) A magisterial inquiry is being conducted to ascertain the facts.

Setting up of Small Scale Industries in backward areas of Rajasthan

3942. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the number of industries actually set up in backward areas of Rajasthan, District-wise during 1971-72 and 1972-73; and

(b) the number of units registered under the small scale sector ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) Information regarding number of industries actually set up in backward areas of Rajasthan is not available. However, the progress in regard to registration of small units in the backward districts of the State is as under :—

	Name of Backward Districts	No. of Regd. Units as on 31-12-71	31-12-72	31-12-73
1	Alwar	364	434	965
2	Banswar	185	242	760
3	Barmer	151	235	301
4	Bhilwara	222	337	860
5	Churu	612	836	1379
6	Durgapur	22	22	42
7	Jaisalmer	27	32	40
8	Jalore	121	137	221
9	Jhunjhunu	25	39	106
10	Jhalawar	146	165	212
11	Jodhpur	784	936	1242
12	Nagaur	1066	1247	1899
13	Sikar	154	190	430
14	Sirohi	198	228	331
15	Tonk	58	202	599
16	Udaipur	439	517	431
	TOTAL	4574	5799	9818

(b) 18,628 (as on 31-12-1973).

Employees of Sale Depots in K. V. I. C.

3943. **Shri Hiralal Doda** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the number of sale depots of the Khadi and Village Industries Commission together with their locations ;

(b) whether the employees working at these depots are treated as regular employees of the Commission;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) how the grades and other amenities enjoyed by the employees of the commission differ from those of the employees working at sale depots ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) The Khadi Gramodyog Bhavans directly run by the Khadi & Village Industries Commission are four, located at Bhopal, Calcutta, Goa and New Delhi.

(b) to (d) The Khadi and Village Industries Commission has decided to remove disparity in the scales of pay between staff engaged in the Bhavans and regular staff with effect from 1st January 1973. The staff of the Bhavans are being paid additional amenities in the shape of appreciation allowance, over time allowance and washing allowance.

Implementation of Chandiwalla Award in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi

3944. **Shri Hiralal Doda** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the demands of the employees of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi which were accepted by the management in the Chandiwalla agreement have not been implemented fully so far : and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) The Chandiwalla Award has been mostly implemented by the management of the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi.

(b) Does not arise.

त्रिपुरा के भूमिहीन आदिवासियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को रिहायशी प्लाट देना

3945. **श्री बीरेन दत्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में भूमिहीन आदिवासियों और अनुसूचित जाति के लोगों को मकान बनाने के लिये कितने प्लाट दिये गए हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार

3946. **श्री बीरेन दत्त** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने राज्य में 40 हजार शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कोई योजना केन्द्र सरकार के पास भेजी है;

(ख) यह योजना केन्द्र की ओर से प्रायोजित की गई है अथवा राज्य की ओर से ; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस पर कोई निर्णय ले लिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

पश्चिमी घाटों का विकास

3947. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी घाटों के विकास के लिये केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय किये गये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) पश्चिमी घाटों के विकास के लिये केरल सरकार ने अब तक कोई ठोस प्रस्ताव तैयार नहीं किया है । उन्होंने सूचित किया कि इस कार्य के लिये एक विशेष क्षेत्रीय समिति नियुक्त की गयी है । पश्चिमी घाटों के विकास-कार्यक्रमों का वास्तविक स्वरूप तभी स्पष्ट होगा जबकि उक्त समिति द्वारा इस बारे में विस्तार से विचार-विमर्श कर लिया जाय ।

पश्चिमी घाट क्षेत्र के त्वरित विकास के लिये केन्द्रीय सरकार भी वचनबद्ध है । इस संबंध में भावी कार्य की रूपरेखा तैयार करने के वास्ते एक समिति स्थापित की गयी है, जिसमें संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्री, केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्री और योजना आयोग का एक सदस्य शामिल हैं ।

केन्द्रीय सरकारी उपभोक्ता सहकारी भंडार, नई दिल्ली के अंशधारियों की आम बैठक

3948. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी उपभोक्ता सहकारी भांडार , नई दिल्ली की प्रबंधकारिणी के चुनाव के लिये कोई प्रक्रिया अपनाई गई है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिये इसके अंशधारियों की एक आम सभा बुलाने का है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां श्रीमन् । समिति के उपनियमों में कार्यविधि का निर्धारण किया गया है ।

केन्द्रीय सरकारी उपभोक्ता सहकारी समिति, लिमिटेड, नई दिल्ली की 'प्रबंध समिति'को निदेशक बोर्ड कहा जाता है । इस बोर्ड में सोलह निदेश तथा एक अध्यक्ष शामिल हैं । अध्यक्ष तथा आठ निदेशकों का नामांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है और शेष आठ का चुनाव समिति की आम सभा द्वारा किया जाता है । समिति के उप नियमों के अनुसार आम सभा अंशधारियों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है । प्रतिनिधियों में से चार निदेशकों का चुनाव प्रतिवर्ष, दो वर्ष तक की अवधि के लिये किया जाता है । चुनावों की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है कि प्रतिवर्ष बोर्ड के चार निदेशक बदले जा सकें । वर्तमान निदेशकों में से, चार का चुनाव दिनांक 28 फरवरी, 1972 तथा अन्य चार का चुनाव दिनांक 10 अक्टूबर, 1973 को किया गया ।

(ख) इस समिति की प्रबन्ध समिति का विचार है कि चार निदेशकों का चुनाव करने के लिए आम सभा की अगली बैठक दिनांक 30 जून , 1974 से पूर्व बुलाई जाए ।

चूंकि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति एक स्वायत्तशासी निकाय है जो रजिस्ट्रार कोआपरेटीव सोसाइटीज, दिल्ली से सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है, इसलिये भारत सरकार इसकी आम सभा की बैठकें आयोजित करने से सीधे रूप में संबंधित नहीं है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी स्टोर, नई दिल्ली

3949. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी स्टोर, नई दिल्ली की स्थापना किस तिथि को की गई थी;

(ख) इसके अंशधारियों की संख्या क्या है;

(ग) इसके प्रवंध निदेशक एवं निदेशकों के नाम क्या-क्या हैं; और

(घ) क्या इसके गठन से लेकर अब तक इसकी आम सभा की कोई बैठक की गई है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली की स्थापना जून, 1963 में की गई थी ।

(ख) इसके अंशधारियों की वर्तमान संख्या 41,151 है ।

(ग) इसके निदेशकों के नाम नीचे दिये गए हैं :—

भारत सरकार द्वारा नामांकित किए गए :

1. श्री एम० गोपाल मैनन . . . . अध्यक्ष, निदेशक-बोर्ड
2. श्री पी० एस० महादेवन . . . . निदेशक
3. श्री एम० जी० अव्रोल . . . . निदेशक
4. श्री ए० के० सैन . . . निदेशक
5. श्री एस० चौधरी . . . . निदेशक
6. श्री डी० एस० निम . . . . निदेशक
7. श्री आर० के० तलवार . . . . निदेशक
8. श्री के० जी० माथुर . . . . निदेशक
9. श्री एस० वी० आयर . . . . निदेशक

आम सभा द्वारा चुने गए :

1. डा० जे० एस० सक्सेना राज . . .	निदेशक
2. श्री आर० एन० सरकार	निदेशक
3. श्री विजय शंकर	निदेशक
4. श्री ए० एस० ठाकुर	निदेशक
5. श्री आर० बी० गुप्ता	निदेशक
6. श्री छज्जू राम . . .	निदेशक
7. श्री के० डी० शर्मा	निदेशक
8. श्री ओ० पी० शर्मा	निदेशक

इस समय कोई प्रबंध निदेशक नहीं है ।

(घ) जी हां, श्रीमान् । समिति की स्थापना होने के समय से आम सभा की आठ बैठकें हो चुकी हैं ।

समिति के उपनियमों के आधार पर, पहले पांच वर्षों के दौरान, अर्थात् 1963 से 1968 तक प्रति वर्ष निदेशक बोर्ड का नामांकन भारत सरकार द्वारा किया जाना आवश्यक था और इस अवधि के दौरान, आम सभा की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी । केवल सहकारी वर्ष 1968-69 से ही उपनियमों के अनुसार आम सभा का गठन किया गया था और तब से आम सभा की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं ।

भूमिगत नागाओं एवं विद्रोही मिजो की राज्य विरोधी कार्यवाहियां

3950. श्री एच० एम० पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 दिसम्बर, 1973 के अनुसार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि देश निकाला दिये गये विद्रोही मिजो, मिजो नेशनल फ्रंट, बर्मा के विद्रोही पहाड़ी कबिलों तथा स्वायत्तशासी चटगांव पहाड़ी क्षेत्रों की मांग करने वाले भूमिगत आन्दोलनकारियों ने बंगलादेश और बर्मा के अतिरिक्त भारत की पूर्वोत्तर पट्टी में व्यापक राष्ट्रविरोधी गठबंधन बना लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समाचार की पेचीदगियों का अध्ययन किया है; और

(ग) भूमिगत नागाओं और विद्रोही मिजो द्वारा इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियों को रोकने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सरकार ने संबंधित रिपोर्ट देखी है। फिर भी संयुक्त विद्रोह के लिये किसी गठबंधन की निश्चित पुष्टि नहीं है।

(ग) भारत सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्रोह से कारगर ढंग से निपटने के लिये बर्मा तथा बंगला देश की सरकारों के सहयोग की सभी संभावनाओं का निरन्तर पता लगाती है। मणिपुर तथा नागालैंड की सरकारें, मिजोरम प्रशासन और सुरक्षा बल इस मामले में कड़ी निगरानी रख रहे हैं। सुरक्षा प्रबंध भी उपयुक्त रूप से मजबूत कर दिये गये हैं।

कच्छ जिले (गुजरात) के भुज ताल्लुका में यूरेनियम निक्षेपों का विदोहन

3951. श्री डी० डी० देसाई : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ जिले में भुज ताल्लुका के फुतदी ग्राम में यूरेनियम के निक्षेपों का पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन निक्षेपों के विदोहन के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जिला कच्छ के भुज ताल्लुका में स्थित गांव फोताडी (फोत की) में यूरेनियम की विद्यमानता के सूचक कुछ संकेत मिले हैं।

(ख) पाए गए निक्षेपों से यूरेनियम निकालने का काम आजकल किए जा रहे सर्वेक्षण से प्राप्त परिणामों पर निर्भर करेगा।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों द्वारा सतनाला (त्रिपुरा) में आदिवासी महिला के अपहरण का प्रयास

3952. श्री दशरथ देव : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों ने दिसम्बर, 1973 में सतनाला (त्रिपुरा) में बन्दुक की नोक पर कुछ आदिवासी महिलाओं के अपहरण का प्रयास किया था;

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) भविष्य में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों के हाथों से त्रिपुरा के आदिवासियों के बचाव के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जब कभी सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो संबंधित प्राधिकारियों के द्वारा उनकी जांच की जाती है और जो अपराधी पाये जाते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

पश्चिम बंगाल में अप्रयुक्त आशयपत्र और लाइसेंस

3953. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पश्चिम बंगाल के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा 10 दिसम्बर, 1973 को दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में पूंजी निवेश करने वाले लोग उद्योग स्थापित नहीं कर रहे हैं और आशयपत्र तथा लाइसेंस अप्रयुक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में कुल कितने औद्योगिक लाइसेंस तथा आशय-पत्र जारी किये गये;

(घ) अब तक कितने लाइसेंस तथा आशयपत्र अप्रयुक्त पड़े हैं; और

(ङ) इस राज्य में लाइसेंसों और आशयपत्रों के अप्रयुक्त पड़े रहने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क) तथा (ख) यद्यपि पश्चिम बंगाल के वाणिज्य व उद्योग मंत्री के दिनांक 10 दिसंबर, 1973 को दिय गय/ बताये गय वक्तव्य विशेष का हवाला दे सकना सम्भव नहीं है, परन्तु आशयपत्रों तथा लाइसेंसों का उपयोग करने के प्रश्न पर पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से सरकार विचार कर रही है ।

(ग) से (ङ) पश्चिम बंगाल में औद्योगिक कारखाने लगाने के लिये पिछले तीन वर्षों में जारी किये गये आशयपत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या निम्नप्रकार है :—

वर्ष	आशयपत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1971 . .	58	84
1972 . . .	48	54
1973	62	41

इनमें से निम्नलिखित आशयपत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार ने वापस ले लिए जाने/लौटा देने/रद्द किये जाने/निरासित किए जाने की सूचना दी है :—

आशयपत्र	औद्योगिक लाइसेंस
9	3

आशयपत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों का उपयोग किये जाने के संबंध में राज्य सरकार से निम्नलिखित के बारे में क्रियान्वित किए जाने की सूचना दी गई है :—

आशयपत्र		औद्योगिक लाइसेंस
34	. . . . . .	71

शेष आशयपत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस क्रियान्वयन के विविध चरणों में है क्योंकि किसी भी औद्योगिक एकक में उत्पादन शुरू करने के लिये सामान्य रूप से तीन से चार वर्षों का समय लगता है ।

छोटे समाचारपत्रों को वित्तीय सहायता देने संबंधी योजना

3954. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे समाचार पत्रों को वित्तीय सहायता देने संबंधी सरकारी योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(ख) लघु समाचार पत्र वित्त निगम कब स्थापित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) समाचार पत्र वित्त निगम की स्थापना संबंधी विधेयक को लोक सभा में शीघ्र ही प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। इसके बारे में ब्यौरा विचाराधीन है ।

राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की मांग

3955. श्री पी० जी० मावलंकर :
श्री राम सहाय पांडे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने अपने हाल के एक प्रमुख राजनीतिक भाषण में भारत संघ के राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की मांग ठुकरा दी है;

(ख) यदि हां, तो उनके उक्त भाषण की मुख्य बातें क्या है ;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अधिक अधिकार दिये जाने की मांग की है और साथ ही केन्द्र से अधिक आर्थिक सहायता का अनुरोध भी किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) प्रधान मंत्री ने प्राय: कहा है कि संविधान केन्द्र राज्य संबंधों के नियमन के लिए ठीक तथा पर्याप्त मार्गदर्शक है ।

(ग) तथा (घ) केवल तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने राज्यों के लिये अधिक स्वायत्तता की मांग की है । कुछ राज्य सरकारें केन्द्रीय राजस्व प्राप्ति में भागीदार होने, ऋणों के लौटाने,

राज्य योजनाओं के लिये योजना सहायता के आबंटन आदि जैसे मामलों समेत केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में केन्द्रीय सरकार को समय-समय लिखती रही है। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नियुक्त अध्ययन दल द्वारा केन्द्र राज्य संबंधों से संबंधित प्रश्नों का गहराई से अध्ययन किया गया है। प्रशासनिक सुधार आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि केन्द्र-राज्य संबंधों को नियंत्रित करने वाले संविधान के उपबन्ध इस क्षेत्र में उत्पन्न किसी स्थिति का मुकाबला करने अथवा किन्हीं समस्याओं के समाधान के लिये पर्याप्त है। केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की जांच की जा रही है। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकारों के विचार तथा प्रतिक्रियाएं भी मांगी गई हैं। अब तक कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के विचार प्राप्त हुए हैं।

भारतीय लाइसेंस तथा परमिट नीति

3956. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक लाइसेंस तथा परमिट संबंधी अपनी नीति का परित्याग कर देने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब और कैसे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों में उत्तर प्रदेश के कार्यकलापों और परिस्थितियों के उल्लेख संबंधी प्रसारण

3957. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी-फरवरी, 1974 के महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश के कार्यकलापों तथा गतिविधियों के उल्लेख के बारे में आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों तथा अन्य सामान्य अथवा नियमित कार्यक्रमों आदि के प्रसारण का सही-सही और पूरा विवरण क्या है ;

(ख) क्या उक्त उल्लेख उत्तर प्रदेश में विधान सभा के चुनावों के अवसर पर किये गये थे और ये उल्लेख सत्ताधारी कांग्रेस के प्रति लोगों की निष्ठा बढ़ाने की दृष्टि से किये गये थे; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश चुनावों के अवसर पर कांग्रेस दल की गतिविधियों पर लोगों का ध्यान केन्द्रित करने के लिये आकाशवाणी पर किसी रूप में दबाव डाला गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) आकाशवाणी के सभी केन्द्रों के सामान्य और नियमित दोनों प्रकार के कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश के बारे में जो भी उल्लेख किया गया है उससे संबंधित सूचना का संकलन करना बहुत कठिन है और उपलब्ध नहीं है। तथापि, समाचार सेवा प्रभाग तथा दिल्ली और लखनऊ के अन्य महत्वपूर्ण प्रसारण अपने कर्मचारियों को सेवा शर्तों, विश्वविद्यालयों की स्थापना, ऊर्जा के उपयोग पर नियंत्रण, खाद्यान्न वसूली गतिविधियां, जूनियर बिजली इंजीनियरों की हड़ताल, विभिन्न प्रकार की परि-

योजनाओं के उद्घाटन आदि के बारे में सरकारी घोषणाओं से संबंधित थे। यदि उत्तर प्रदेश राज्य में चुनाव न भी होते तो भी इनको बुलेटिनों में स्थान मिलता। समाचार बुलेटिनों के अलावा, अंग्रेजी में प्रसारित एक 'स्पाटलाइट' फीचर उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड प्रभाग के राजनैतिक तनावों से संबंधित था। सामयिकी में रुहेलखंड की गतिविधियों पर दो कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित किये गये। उर्दू में 'तबसरा' कार्यक्रम के अन्तर्गत चार समीक्षाएं प्रसारित की गई थीं जिनमें उत्तर प्रदेश की आर्थिक समस्याओं और लोकतांत्रिक चुनाव की आवश्यकताओं सहित विभिन्न पहलुओं की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला गया था।

'न्यूजरील्ज' के अन्तर्गत, निम्नलिखित तीन मुद्दे कवर किये गये थे :—

(1) प्रधान मंत्री द्वारा गाज़ियाबाद में भारत इलैक्ट्रानिक्स का उद्घाटन;

(2) मथुरा संग्रहालय का शताब्दी समारोह; और

(3) उत्तर प्रदेश में चुनाव दृश्य पर एक संवाद।

(ख) और (ग) जी नहीं।

पड़ोसी देशों के साथ फिल्मी मेलों का आयोजन

3958. श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने हेतु पड़ौसी देशों के साथ आदान-प्रदान के आधार पर फिल्मी मेले आयोजित करने की वांछनीयता पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) फिल्म समारोहों का सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक देशों से आदान-प्रदान किया जाता है। जहां तक पड़ौसी देशों में समारोहों के आयोजन का संबंध है, भारतीय फिल्मों का एक समारोह 'ढाका' बंगला देश में 5 अप्रैल, 1974 को शुरू होना है। बंगलादेश की फिल्मों का एक समारोह अप्रैल के तीसरे सप्ताह के आसपास भारत में आयोजित किया जायेगा। भारतीय फिल्मों का एक समारोह अफगानिस्तान के गणतंत्र दिवस समारोहों के एक अंग के रूप में वहां जुलाई में आयोजित किए जाने की संभावना है। इस प्रकार के समारोहों का लक्ष्य विभिन्न देशों से मैत्री और उनके साथ सांस्कृतिक सहयोग को और बढ़ावा देना रहा है और है।

Framing of Statutory Rules for Central Services

3959. Shri M. C. Daga : Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3488 on 5th December, 1973 regarding framing of statutory rules and state :

(a) whether a certified copy of the Supreme Court judgment on framing of statutory rules governing the recruitment, promotion and conditions of service of public servants in Government of India has been received; and

(b) if so, the action taken by Government in pursuance of the observations made by the Supreme Court on the subject?

The Minister of State in the Ministry of Home (Department of Personnel) (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Yes, Sir.

(b) The observations made by the Supreme Court of India on the subject are under examination.

Trailors of Films marked 'For Adults Only'

3960. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the trailers of films marked 'for adults only' are shown in other films and if so, the reasons therefor;

(b) whether advertisements and posters of such films are displayed everywhere; and

(c) if so, the steps taken by Government to check it?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) The trailers of feature films are not granted 'Adult' certificate by the Board of Film Censors. After deleting portions unsuitable for children, the trailers are granted only 'U' certificates so that these could be shown along with any film.

(b) & (c) Control of posters vests with the State Governments and the Municipal authorities who have been, on more than one occasion, advised to take suitable steps to stop the display of objectionable film posters, etc.

कर्नाटक में लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक कार्य कर रहे औद्योगिक एकक

3961. **श्री ए० के० कोत्रा शेट्टी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में ऐसे गैर-सरकारी औद्योगिक एककों की संख्या कितनी है जिनमें लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक कार्य हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों के विरुद्ध भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : कर्नाटक में स्थित उपक्रमों द्वारा लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक अनधिकृत उत्पादन करने के तीन मामलों की जांच बड़े औद्योगिक घरानों का जांच आयोग कर रहा है जिसके अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिश श्री ए० के० सरकार हैं ।

आयोजना संगठनों का पुनर्गठन करने के लिए राज्यों के आयोजना बोर्डों को दी गई सहायता

3962. **श्री ए० के० कोत्रा शेट्टी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य आयोजना बोर्डों को आयोजना संगठन का पुनर्गठन करने के लिये क्या सहायता दी गई है; और

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं कि राज्य योजनाएं तैयार करने में विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त किया जाय ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राज्य आयोजन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिये केन्द्रीय सहायता की स्कीम के अन्तर्गत इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा किए

गए अतिरिक्त खर्च के दो-तिहाई का भार वहन केन्द्र करता है। अब तक राज्य आयोजन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिये राज्यों को 67.15 लाख रुपए की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

(ख) राज्यों को केन्द्रीय सहायता राज्य आयोजन बोर्ड/आयोगों में विशेषज्ञ और तकनीकी व्यक्ति सहयोजित किए जाने पर निर्भर करती है। ये बोर्ड/आयोग, योजना विभागों के साथ राज्य योजनाएं बनाने के लिये जिम्मेदार हैं।

Action taken by Police Department against Persons involved in Onkar Singh's Murder Case

3963. Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether as a result of the strictures passed by the Magistrate against the Police in Onkar Singh's murder case in Delhi, the Police Department has taken any action against any person; and

(b) if so, the number thereof and the nature of action taken ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) The strictures were passed by the court of Additional Sessions Judge, Delhi. No action has been taken on these strictures as the case continues to be sub-judice.

सरकारी कर्मचारियों को भारतीय प्रशासन सेवा की परीक्षा में बैठने के लिए अवसर देना

3964. **श्री कमल मिश्र मधुकर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन सुधार आयोग की इस सिफारिश पर कोई निर्णय किया गया है कि उन सरकारी कर्मचारियों को जो श्रेणी एक की सेवा में नहीं है तथा जिन्होंने छह वर्ष का सेवाकाल समाप्त कर लिया है तथा जो 35 वर्ष से कम आयु के हैं, भारतीय प्रशासन सेवा आदि की नियमित परीक्षाओं में बैठने का अवसर दिया जाये; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1974 में भारतीय प्रशासन सेवा आदि की नियमित परीक्षाओं के लिये विज्ञापन देने से पूर्व ही सरकार इस मामले में अंतिम निर्णय ले लेगी ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) इस सिफारिश पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

तृतीय वेतन आयोग ने सभी स्तरों पर सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिये विभिन्न खुली भर्ती की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिये आयु सीमा में छूट देने की व्यवस्था से संबंधित विषयों पर भी कुछ सिफारिशें की हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त की गई एक समिति भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षा की पद्धति के बारे में ही विचार कर रही है। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं और उसके साथ ही उक्त विषय के संबंध में वेतन आयोग की सामान्य सिफारिशें और अखिल भारतीय सेवाओ तथा केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी में भर्ती/पदोन्नति के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की अन्य सिफारिशें भी अभी तक विचाराधीन हैं। इस विषय पर किस तारीख विशेष तक निर्णय लिया जाएगा, यह बतलाना संभव नहीं है।

औद्योगिक लाइसेंस देने के मामले में पांचवीं योजना के लक्ष्यों को सीधे कार्यान्वित करना

3965. **श्री कमल मिश्र मधुकर :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस देने के मामले में पांचवीं योजना के लक्ष्यों को सीधे कार्यान्वित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क) और (ख) जब कभी ऐसे उद्योगों जिनके लिये पांचवीं योजना के प्रलेख प्रारूप में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, की स्थापना के लिये भावी उद्यमियों से आवेदन प्राप्त होते हैं उन पर सरकारी क्षेत्रों के एककों के कार्यक्रमों, विद्यमान क्षमता और पांचवीं योजना में निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार उन पर तत्परता से विचार करेगी और उनका निपटान करेगी ।

परम्परागत स्त्रोतों से ऊर्जा का विकास

3966. **श्री कमल मिश्र मधुकर :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परम्परागत स्त्रोतों से ऊर्जा का विकास करने के लिये अनुसंधान करने हेतु प्रधान मंत्री ने हाल ही में वैज्ञानिकों को बुलाया था;

(ख) यदि हां, तो प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए सुझावों की मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति ने इस बारे में कई योजनाएं बनाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है और इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जी हां । प्रधान मंत्री ने 3 जनवरी, 1974 को नागपुर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 61वें अधिवेशन का उद्घाटन करते समय यह वक्तव्य दिया था । उन्होंने यह भी कहा था कि ऊर्जा के उपयोग तथा प्रति व्यक्ति जी० एन० पी० के परस्पर संबंध को, जैसा कि अधिक उद्योगीकृत देशों में प्रचलित हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसी रूप में नहीं अपनाया जाना चाहिये; कि गैर-परंपरागत संसाधनों से ऊर्जा उत्पन्न करने के साथ-साथ कोयले से ऊर्जा उत्पादन के कार्य को और अधिक सक्षम बनाना होगा ताकि हम अपने संसाधनों का अपेक्षाकृत अधिक उत्तम उ- कर सकें, कि हमारे पास जो भी ऊर्जा हैं उसके लिये अधिक प्रभावशाली संगठनात्मक तथा प्राद्योगिक उपायों और व्यावहारिक प्रतिमानों को अपनाकर हमें और अधिक कुशल तरीकों को विकसित करना चाहिये, और अल्प ऊर्जा वाली ऐसी जीवन पद्धतियों का पता लगाना चाहिये जिनमें अधिक उद्योगीकृत देशों और हमारे ही अपने शहरी क्षेत्रों के पैमाने पर अथवा उतनी मात्रा में ऊर्जा का प्रयोग न हो ।

(ग) और (घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने ऊर्जा के सौर, रासायनिक, भू-तापीय, ज्वारिय तथा वायु स्त्रोतों की क्षमताओं का मूल्यांकन करने तथा यह परामर्श देने के लिए कि देश में अनुसंधान और विकास संबंधी किन क्रियाकलापों को अपनाने की आवश्यकता

है, विशेषज्ञ दलों की स्थापना की है । इन दलों के द्वारा की गयी सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में इन स्त्रोतों के सफल उपयोग के लिये अनुसंधान और विकास संबंधी समन्वित कार्यक्रम अपनाए जायेंगे । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्त्रोतों के विकास के लिये 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था का संकेत है और अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिय योजना के प्रथम वर्ष में 25 करोड़ रुपए व्यय किये जाने की संभावना है ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कांस्टेबलों की वार्षिक वेतन वृद्धि

3967. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कांस्टेबलों की वार्षिक वेतनवृद्धि की दर केवल एक रुपया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस दर को पुनरीक्षित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्, किन्तु वेतन 85.00 रुपए तक पहुंचने पर कांस्टेबल के दक्षतारोध पार करने के बाद वेतनवृद्धि 2.00 रुपए है ।

(ख) तथा (ग) तीसरे वेतन आयोग ने क्रमशः 4.00 रुपए तथा 5.00 रुपए की वार्षिक वेतनवृद्धि की सिफारिश की है । यह सरकार के विचाराधीन है ।

आकाशवाणी के प्रसारण क्षेत्र का विस्तार

3958. **श्री समर गुह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी भागों में अभी तक आकाशवाणी के कार्यक्रमों को नहीं सुना जा सकता है, यदि हां, तो अब तक देश के कितने भागों को प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत लाया गया है और कितने क्षेत्रों को प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाना बाकी है;

(ख) आकाशवाणी के प्रसारण क्षेत्र के विकास के लिये चौथी योजना के दौरान किए गए आवंटन तथा पांचवीं योजना के प्रस्तावित आवंटन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या पांचवीं योजना का प्रस्तावित आवंटन चौथी योजना के दौरान किए गए आवंटन के बराबर होगा अथवा कम होगा;

(घ) क्या पांचवीं योजना में आकाशवाणी के विकास के लिये आनुपातिक आवंटन के लिये रेडियो लाइसेंसों और रेडियो विज्ञापनों से राजस्व प्राप्ति में हुई वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा गया है; और

(ङ) क्या आकाशवाणी के विकास के लिये पांचवीं योजना में किए गए अपर्याप्त आबंटन से पांचवीं योजना के उद्देश्य तथा जनता के बीच संचार अन्तर बढ़ जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) शार्टवेव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम व्यावहारिक रूप से देश भर में सुने जा सकते हैं । परन्तु मेडियम वेव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम फिलहाल 67.5 प्रतिशत क्षेत्र में तथा 80 प्रतिशत जनसंख्या द्वारा

ही सुने जा सकते हैं । चौथी पंचवर्षीय योजना की सभी स्कीमों, जो कार्यान्विति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, के पूरा हो जाने पर कार्यक्रम लगभग 82 प्रतिशत क्षेत्र में और लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या द्वारा सुने जा सकेंगे ।

(ख) तथा (ग) प्रसारण तथा टेलीविजन के विकास के लिए चौथी योजना में आबंटित लगभग 68 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में पांचवीं योजना के लिये अनन्तिम आबंटन की राशि 130 करोड़ रुपए है । इसमें से 80 करोड़ रुपए टेलीविजन के लिए तथा 50 करोड़ रुपए ध्वनि प्रसारण के लिये रखे गये हैं ।

(घ) योजना के लिए धनराशि का आवंटन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा कुल उपलब्ध स्त्रोतों के आधार पर किया जाता है । रेडियो लाइसेंसों तथा वाणिज्यिक रेडियो सेवाओं से प्राप्त होने वाला राजस्व सरकार के आम राजस्व में आता है तथा वह आकाशवाणी की विकास योजना के लिये नहीं रखा जाता ।

(ङ) आगे की उन योजनाओं जो पांचवीं योजना के लिये आबंटित धन के अन्दर हाथ में ली जायेंगी, के पूरा होने पर भी मेडियम वव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम 14 प्रतिशत क्षेत्र में और 7 प्रतिशत जनसंख्या द्वारा नहीं सुने जा सकेंगे ।

इडक्करा में टेलिफोन केन्द्र

3969. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में नोलम्बुर के निकट इडक्करा में टेलीफोन केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इडक्करा में 50 लाइनों के एक ऐसे छोटे आटोमेटिक एक्सचेंज के प्रोजेक्ट एस्टीमेट की मंजूरी दे दी गई है जो मंजेरी ट्रंक एक्सचेंज से जुड़ा होगा । इस एक्सचेंज को 1974-75 में खोलने का प्रस्ताव है ।

उर्दू को दूसरी भाषा घोषित करने के लिये ज्ञापन

3970. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें कोई ज्ञापन मिला है जिसमें उन राज्यों में उर्दू को दूसरी भाषा घोषित करने की मांग की गई है जहां उर्दू-भाषी जनसंख्या अधिक है; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 27 फरवरी, 1974 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1200 के दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

केरल में पेरिनगुथुर में टेलीफोन केन्द्र

3971. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में तेलीचेरी के निकट परिनगुथुर में टेलीफोन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या इसके लिये एक भवन को मंजूरी दी गई थी और यदि हां, तो इस केन्द्र को खोलने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । साज-सामान न मिलने की वजह से जिसकी पहले से ही कमी है, पेरिनगुथुर में टेलीफोन एक्सचेंज खोला नहीं जा सका । इस एक्सचेंज के 1974-75 के शुरु में चालू हो जाने की संभावना है ।

पश्चिम बंगाल को सीमेंट के लिये आयात लाइसेंस

3972. **श्री एस० एन० सिंह देव :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल को सीमेंट की अपर्याप्तता तथा विलम्ब से सप्लाई के कारण सिंचाई कार्यों के संबंध में होने वाली प्रगति के मार्ग में आई कठिनाइयों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार को आयात लाइसेंस देने के लिये तैयार हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या पश्चिम बंगाल को सीमेंट की पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार का विचार कुछ अन्य उपाय अपनाने का है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र की तुलना में पश्चिम बंगाल को कुल कितना सीमेंट आबंटित किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल राज्य में सीमेंट की कमी देश में सीमेंट की व्यापक कमी का भाग है जो कुछ राज्यों में बिजली में की गई कटौती के कारण उत्पादन की हानि, कुछ कारखानों में श्रमिक हड़तालें तथा यांत्रिक खराबियों, उद्योग को कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति और सीमेंट ढ़ोने के लिये वैगनों की अपर्याप्त उपलब्धि के परिणामस्वरूप है । सीमेंट की उपलब्ध मात्रा को समान रूप से बांटने के लिये, प्रत्येक राज्यों को जुलाई, 1973 से जून, 1974 तक की अवधि के लिये पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक राज्य में सीमेंट की औसत खपत के 110 प्रतिशत पर कोटे निर्धारित कर दिये गये थे । ये कोटे केन्द्रीय सरकार के राज्य-विशेष में स्थित विभागों की निर्माण आवश्यकताओं के अतिरिक्त हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार अलग से पूरा करती है। निर्धारित कोटे में से, सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनाओं के लिये कुछ मात्रा नियत की गई है और राज्य सरकारों से अपनी कुल हकदारी के अन्दर ही सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा करने का सुनिश्चिय करने के लिये अनुरोध किया गया है । अतिरिक्त मात्रा के आबंटन के आवेदनों पर भी प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है । निर्धारित कोटे के अधीन, संबद्ध राज्य सरकार की सिफारिशों पर आबंटन किये जाते

हैं । अत: पश्चिम बंगाल राज्य को सीमेंट का आयात करने के लिये आयात लाइसेंस देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पिछले तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को भेजे गये सीमेंट की कुल मात्रा निम्नलिखित है ।

(आंकड़े लाख मी० टन में)

	पश्चिम बंगाल	महाराष्ट्र
1971	8.43	18.75
1972	10.08	19.74
1973	9.94	17.91

कोल्हापुर में खोई पर आधारित अखबारी कागज का कारखाना लगाना

3973. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री कोल्हापुर में खोई पर आधारित अखबारी कागज के कारखाने के बारे में 19 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5450 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि खोई पर आधारित अखबारी कागज का कारखाना लगाने का काम कब तक पूरा हो जाएगा और इससे देश की अखबारी कागज की कमी कहां तक दूर की जा सकेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० बी० राना) : दिनांक 19 दिसम्बर, 1973 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5450 का उत्तर कोल्हापुर के समीप सांगली में खोई पर आधारित अखबारी कागज के एकक के संबंध में है । चुंकि इनके आशय पत्र को अभी लाइसेंस में बदला जाना है, अत: इस परियोजना के पूरे हो जाने की तारीख का संकेत करना समयपूर्वक होगा ।

पांचवी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में बडे पैमाने पर औद्योगीकरण

3974. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल का विचार पांचवीं योजना के दौरान राज्य में द्रुत तथा बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान खनिजों का उपयोग करने तथा उद्योगों की स्थापना करने के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) पांचवीं योजना में ग्रामोद्योगों तथा हथकरघा उद्योगों के लिये कितनी राशि आबंटित की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सरकार को पूरी आशा है कि पश्चिम बंगाल का पांचवीं योजना के दौरान तेजी से और सघन औद्योगिकरण होगा ।

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य की पांचवी योजना में खनिज विकास और बड़े व मध्यम उद्योगों के अन्तर्गत परिकल्पित कार्यक्रमों के लिये अस्थायी रूप से क्रमश: 1.60 करोड़ रुपए और 43 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है ।

(ग) पश्चिम बंगाल की पांचवीं योजना में ग्रामोद्योग और लघु उद्योग के लिये अस्थायी रूप से 14.40 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है । इसमें 2.20 करोड़ रुपए का हथकरघा के लिये रखा गया प्रावधान शामिल है ।

दहोद में डाकघर व तारघर के भवनों का निर्माण

3975. **श्री भालजीभाई परमार :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि :**

(क) क्या सरकार ने दहोद में कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के अतिरिक्त डाकघर व तारघर के लिए भवनों का निर्माण करने का निर्णय किया है और इसके लिये बजट में अब तक कितनी राशि की व्यवस्था की गई है; और

(ख) क्या उक्त भवनों का निर्माण गुजरात राज्य सरकार को एजेंसी के माध्यम से वर्ष 1974-75 के दौरान किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां। एक ऐसी योजना की जांच की जा रही है जिसके मुताबिक मौजूदा पुरानी इमारत को गिराकर, डाकघर (तार शाखा के साथ), टैलीफोन एक्सचेंज और नायब पोस्टमास्टर के क्वार्टरों के लिए एक संयुक्त इमारत बनायी जाएगी । चुंकि यह मामला अभी आरंभिक अवस्था में है, इसलिए अभी तक इसके लिए बजट की व्यवस्था नहीं की गई है ।

(ख) जी नहीं । आर्थिक तंगी की वजह से अव्यावसायिक इमारते, जिसमें डाकघर की इमारत भी शामिल हैं, बनवाने पर पाबंदी लगी हुई है । इमारत बनाने का यह काम डाकतार सिविल शाखा को सौंपा जाएगा ।

पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों में कच्चे माल की कमी

3976. **श्री एस० एन० सिंह देव :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों में कच्चे माल की बहुत कमी है;

(ख) क्या कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण बहुत से उद्योग बन्द कर दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सहित देश में कच्चे माल की कुछ दुर्लभ किस्मों की आम कमी है, इसके परिणामस्वरूप लघु उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने की स्थिति में नहीं है ।

(ग) कच्चे माल की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए, इसके आबंटन में बृद्धि करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

10—6 L.S.S./74

डाक पत्रों और तारों को भेजनें में विलंब

3977. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान जनता द्वारा बार बार की जाने वाली इन शिकायतों की और दिलाया गया है कि गत कई महिनों से सामान्य डाक पत्रों और तारों को भेजने में काफी विलम्ब होता है;

(ख) इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या डाक तथा तार विभाग ने इस सम्बन्ध में स्थिति को सधारने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) दिसम्बर, 1973 और जनवरी, 1974 के महीनों में लोको कर्मचारियों की हड़ताल और इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की तालाबन्दी तथा क्रिसमस, ईद और नव वर्ष की डाक के कारण इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ था । तथापि, तार सेवाओं पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा था ।

(ग) वैकल्पिक डाक व्यवस्था कर दी गई थी । रेल और हवाई सेवाएं अब सामान्य हो चली हैं और फिलहाल डाक भेजने में कोई देरी नहीं होती ।

Opening of Post Offices in Bihpur, Nangachhia and Gopalpur Blocks of North Bhagalpur

3978. **Shri G. P. Yadav:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of post offices opened in the far off rural areas of Bihpur, Nangachhia and Gopalpur blocks of North Bhagalpur of Bihar State during 1973 and the number of new post offices proposed to be opened in the said areas during 1974;

(b) whether Government have formulated any scheme for providing new telephone lines in big and developed villages;

(c) if so, whether there is any scheme to provide telephone connections in Sahu Parvata Panchayat under Nangachhia block; and

(d) if so, by what time and if not, the reasons therefor?

The Minister of State for Communications (Prof. Sher Singh) : (a) No post office was opened in 1973. Opening of P. Os. depends upon the fulfilment of certain prescribed conditions such as distance from the nearest P. O., anticipated income etc. Such proposals which satisfy the conditions can be considered for opening POs in 1974.

(b) Yes, Sir. The facility can be provided even on loss if the place fulfils the conditions prescribed in the policy.

(c) & (d) The proposal for providing a Public Call Office as Sahu Paravata is showing loss of revenue of Rs. 2,063/- per annum which cannot be condoned as per the existing policy of the Department. The facility can however, be provided on guarantee basis if some interested party indemnifies the P. & T. Department against the anticipated loss. Action for providing the facility can be taken after the acceptance of rent and guarantee terms by the concerned party.

बिहार की स्थिति के बारे में
Re. : SITUATION IN BIHAR

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कल पूरे बिहार में 10 व्यक्ति मारे गये थे। आठ स्थानों पर गोली चलाई गई थी। लखनऊ में गड़बड़ हुई थी। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री बिहार की स्थिति पर तत्काल एक वक्तव्य दें। हम यह भी चाहते हैं कि . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप एक साथ न बोलिये। मैं किसी की भी बात नहीं सुन पा रहा।

Shri Madhu Limaye (Banka): Firing took place in our area. We may kindly be allowed for two minutes. (*Interruptions*).

Mr. Speaker : The Minister of Home Affairs would make a statement at 2-30 p.m. to-day. Thereafter a meeting of Advisory Committee has been fixed and there we shall see that how can we adjust **it.**

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : There is no Calling Attention today. The incident of firing in the office of 'Searchlight' and 'Pradeep' is an attack on the freedom of Press. In view of this you may kindly accept Calling Attention on this subject.

Mr. Speaker : How can we bring two identical motions? If you want a discussion on that subject, it is quite different.

Shri Atal B hari Vajpayee : It has been alleged that Government is involved in the said incident. They had asked for police but police was not sent there.

Mr. Speaker : You are a great man but we have to carry on business according to certain rules.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन

योजना मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण अंग्रेजी संस्करण के साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—6480/74।]

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं श्री के० आर० गणेश की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का वर्ष 1972-73 सम्बन्धी प्रतिवेदन, संघ सरकार (डाक और तार) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) वर्ष 1972-73 सम्बन्धी विनियोग लेखे, डाक और तार (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—6481/74।]

बिहार की स्थिति के बारे में
RE : SITUATION IN BIHAR

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : आपने इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दी थी...

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : स्थिति नियंत्रण से बाहर ही रही है... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं ने पहले ही बता दिया है कि आज 2-30 बजे म० प० गृह मंत्री वक्तव्य देंगे।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : क्या सभा में उत्तेजना को देखते हुए श्री वाजपेयी का तत्काल चर्चा सम्बन्धी सुझाव को स्वीकार कर लेना उचित नहीं होगा ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु इस कार्य-सूची में उसका समालोचन तो करना है। इसीलिये कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई जा रही है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : When Home Minister is going to make a statement at 2.30 p.m. the discussion can take place immediately thereafter. It shows that Government is not taking it seriously.

Mr. Speaker : We should go by the rules.

श्री ज्योतिर्मय बसु : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक म० प० 1.30 बजे हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने मंत्री महोदय से समय निकालने के लिये कहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय सभा से बाहर जा रहे हैं।

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महा सचिव : मुझे लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1974 के बारे में राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देनी है।

बिहार की स्थिति के बारे में
RE : SITUATION IN BIHAR

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय चले गये हैं परन्तु वह आज वक्तव्य देंगे।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे समय पर जबकि सभा में चर्चा हो रही थी और सभा में एक रिपोर्ट पेश की जानी थी, गृह मंत्री और प्रधान मंत्री का अध्यक्ष महोदय को सूचित किये बिना सभा से चला जाना उचित है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : इस सम्बन्ध में मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री और गृह मंत्री उस समय सदन से बाहर गये हैं जब दूसरी मद पर विचार होना था।

श्री एच० एन० मुकर्जी : यह कोई उत्तर है ? जब सभा में इतनी अधिक उत्तेजना है, वे सभा से चले गये है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : It shows that Government does not want that discussion should take place today. You could have asked the Home Minister to make a statement just now and discussion could take place today itself.

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको विवश नहीं कर सकता; मुझे समय के बारे में उनके साथ परामर्श करना ही है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपको याद होगा कि आपने मंत्री महोदय को मंगलवार को वक्तव्य देने के लिये कहा था। अन्ततोगत्वा आपने हमें बताया कि संसदीय कार्य मंत्री ने आपको गृह मंत्री के बिहार के दौरे पर जाने की सूचना दी थी। आपने भी कहा था कि वह तथ्यों का पता लगा कर और स्थिति का अध्ययन करके लौटेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब आपने गृह मंत्री को वक्तव्य देने के बारे में निदेश दिया था तब उसको कार्यसूची में शामिल क्यों नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। जब मैंने दूसरी मद पर चर्चा की अनुमति दी तभी वे सभा से बाहर गये हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सच नहीं है कि नियम 193 के अन्तर्गत आपको पूरा अधिकार है और आपको मंत्री महोदय से परामर्श करने की भी आवश्यकता नहीं है ? मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि गृह मंत्री 2-30 म० प० पर वक्तव्य दें और उसके पश्चात् तुरन्त चर्चा करने की अनुमती दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में कल स्थगन प्रस्ताव रखा गया था जो पास नहीं हो सका और फिर गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने की मांग की गई थी। दूसरे मंत्री वक्तव्य देने को तैयार थे परन्तु विरोध पक्ष ने गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने की मांग रखी। मैंने गृह मंत्री से कहा है और वह 2.30 म०प० पर वक्तव्य देने के लिये आयेंगे। सामान्य प्रक्रिया यही है कि मंत्री के साथ परामर्श करके ही समय निश्चित किया जाता है। क्या अध्यक्ष कार्यमंत्रणा समिति से पूछे बिना अपनी इच्छा से किसी प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये चुन सकता है? यदि ऐसा है तो वे मुझे बतायें।

Shri Atal Bihari Vajpayee : There are so many precedents .

अध्यक्ष महोदय : वे सभा में अथवा कार्य मंत्रणा समिति में रखे गये थे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मुझे इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। मुझे चर्चा की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु भविष्य में कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष यह मामला नही ले जाया जायेगा क्या माननीय सदस्य इस बात पर सहमत है कि मुझे उस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।

Shri Madhu Limaye : You can do so in urgent matters.

Mr. Speaker : No please. You have to decide whether I should exercise that power under rule 193. You decide it and I shall allow you in a minute. You cannot have both ways.

श्री वसंत साठे (अकोला) : नियम 194 में लिखा है कि यदि अध्यक्ष सदस्य से सूचना प्राप्त करने पर, जिसने नोटिस दिया है और मंत्री से परामर्श करने के बाद, संतुष्ट हो तो वह उस मामले पर चर्चा करना स्वीकार कर सकते है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रक्रिया की पूरी जानकारी है। इसके अतिरिक्त कार्य मंत्रणा समिति ने स्वयं स्वीकार किया है कि बजट पर चर्चा के दौरान इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जायेगी।

Shri Madhu Limaye : Sir, I want to draw your attention towards the difference between rule 184 and 193 which will make the position clear. If the motion is to be moved then you may consult Leader of the House under rule 190. But we have made our submission under rule 193 that when there is a matter of urgent nature, the speaker should also have some powers. What information is required in this matter? Bihar situation would be discussed we shall speak and the the hon'ble Minister will give reply then what information is required to be given.

Mr. Speaker : It has been provided in the rules that the Speaker will take a decision after consultation.

Shri Madhu Limaye : You can fix the discussion at 3.00 p.m. There is no need of a statement.

अध्यक्ष महोदय : मैंने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। प्रक्रिया के अनुसार मुझे अनुमति देने के लिय उनके साथ परामर्श करना ही होगा। मैंने इसीलिये कार्य मंत्रणा समिति की बठक बुलाई है। उसमें आप भी होंगे और मंत्री महोदय भी होंगे।

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

गुजरात विधान सभा भंग करने में गुजरात के राज्यपाल की कार्यवाही की संवैधानिकता

Shri Madhu Limaye : Day before yesterday the matter of dissolution of Gujarat Legislative Assembly had been raised. But the real issue had not been brought out. The Presidential Order of 9th February, 1974 directed that the powers assumed by the President by virtue of clause (a) could be exercised by the Governor but subject to superintendence direction and contr.l of the President. But the Home Minister has adduced no evidence whatsoever in support of the fact that the dissolution was carried out under the direction of the President and not independently and without reference to him. In fact the Home Minister has not even claimed that it is the President who has directed the Governor to exercise his power under Article 174(1) and dissolve the Assembly forthwith. The fact is that the President has completely been ignored as far as the Gujarat affair is concerned.

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1974

APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT BILL, 1974

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 के एक भाग की सेवाओ के लिये भारत की संचित निधि से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पूर स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपलब्ध करनेवाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

Shri Madhu Limaye (Banka) : The working of Jute Corporation of India and Cotton Corporation of India is far from satisfactory because both these Corporations have not been able to safeguard the interest of farmers. The Jute Corporation had declared that the rate of delivery of raw jute in this season would be Rs. 157.50 P. but actually the farmers got very low price. I would like to know whether any action will be taken against the Jute Corporation of India so that the interest of the farmers are safeguarded. Similarly the Cotton growers have to suffer because of monoply procurement drive of Maharashtra Government. In view of this I am against these Demands (Vote on Account). Second thing is that I have received several letters that a number of Indian citizens have been arrested in Aden indiscriminately and sent to jail. I would request the Minister of Foreign Affairs through Minister of Finance that he should contact the Government of Aden through our Ambassador or their Ambassador in Delhi.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

If they have done something wrong, action can be taken against them otherwise it is the duty of our Government to intervene and try to get them released.

श्री समर गुह : मैं आपका ध्यान एक विशेष बात की ओर दिलाना चाहूंगा । पत्र संवाददाताओं ने सदन का बहिष्कार किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन की यह पूर्व स्थापित प्रथा है कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसका सदन से कोई मतलब नहीं है ।

श्री समर गुह : इससे मेरा कोई संबंध नहीं है । परन्तु पत्र संवाददाताओं का कार्य सभा का कार्य नोट करने का है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुह जो कुछ कह रहे है वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

श्री समर गुह : * * *

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 310 रुपये अथवा 296 रुपये है जबकि समान कार्य करन वाले सरकारी कर्मचारियों का यही वेतन 196 रुपये है । इस विषमता से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बहुत असंतुष्ट हैं, अब समय आ गया है कि राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए ।

मंत्री महोदय ने वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर हमें अपने विचार उनके द्वारा नियुक्त समिति के समक्ष रखने का अवसर दिया था। हमारा इतना कहना है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में असमानता नहीं होनी चाहिए ।

***कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

***Not recorded.

[श्री एस० एम० बनर्जी]

दूसरी बात यह है कि वेतन आयोग के प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने के फलस्वरूप उत्पन्न विषमताओं को दूर किया जाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि बोनस समीक्षा समिति का प्रतिवेदन आने वाला है। मंत्री महोदय को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी को बोनस देने के लिए राशि की व्यवस्था करनी चाहिए।

Shri M. C. Daga (Pali) : The whole Gallery has walked out. Shri Subramaniam has died. Doctor has not attended him.

उपाध्यक्ष महोदय : अभी मुझे सूचना मिली है कि प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के संवाददाता श्री सुब्रह्मण्यम् का निधन हो गया है और वे लोग अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिए चले गए हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ है। यदि उनका निधन डाक्टरों की लापरवाही से हुआ है तो इसकी जांच की जानी चाहिए।

मेरे सहयोगी श्री तेजा स्वतंत्र का निधन भी इसी प्रकार हुआ था। उनको समय पर अस्पताल नहीं ले जाया सका था। इस प्रकार की बातें किसी के साथ भी हो सकती है। अतएव इस मामले की पूरी जाँच किए जाने की आवश्यकता है।

श्री समर गुह : श्री सुब्रह्मण्यम् के अचानक निधन पर मैं सहानुभूति तथा दुःख प्रकट करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं, मुझे जानकारी मिली है कि समय पर सूचना देने पर भी डाक्टर ने आने में विलम्ब किया और जब उन्हें टैक्सी में रखा जा रहा था तब ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए यह आवश्यक है कि इस मामले की जाँच होनी चाहिए ताकि आगे से सावधानी बरती जा सके।

डा० कलाश (बम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि वे इस मामले की व्यक्तिगत जाँच करायेंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : There are some fraudulent cases going on in the Delhi branch of Reserve Bank of India. These are being prevented from coming into light. I have got memorandum which has been submitted to the Finance Minister. This mem or andum contains instances of fraudulent cases going on in this bank. It seems that due to rivalry in the trade unions, the Reserve Bank is not functioning properly. If in the name of trade union fraudulent cases are not brought to the light then Reserve Bank or other Nationalised banks will not function smoothly.

My congratulations to the Finance Minister for upgrading Gwalior to B-2 in the context of City Compensatory Allowance. But this Government have refused to give house-rent allowance to the Central Government Employees of that city. My submission is that it should be looked into.

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मुझे अभी एक तार मिला है जिसमें कहा गया है कि भावनगर में न्यू जहांगीर मिल्स में कोयले का संकट उत्पन्न हो गया है जिसके कारण कपड़ा कामगारों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। वहां कोयले के वैगन बहुत कम आ रहे हैं। इस महीने कोयले के वैगन नहीं आए हैं। इससे मिलों के बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। मेरा अनुरोध है कि रेल मंत्री इस ओर तत्काल ध्यान दें।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : लेखा विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान उठाए गए सभी मुद्दों का उत्तर देना इस समय मेरे लिए कठिन होगा। श्री मधु लिमये ने वाणिज्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य कर रहे दो निगमों के संबंध में जो बात उठाई है, उसके बारे में मैं संबंधित मंत्री से बात करूंगा, मैं अदन का मामला भी विदेश मंत्री के पास उठाऊँगा। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाए गए आरोपों में सत्यता मालूम नहीं पड़ती है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों में भिन्नता के बारे में यहां अनेक बार स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए वतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया जा चुका है। प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है देश में सभी व्यक्तियों के लिए समान मंजूरी नीति अपनाने का प्रश्न वर्तमान संदर्भ में सोचना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में दो श्रेणी के कर्मचारी है जिनके बारे में विभिन्न संदर्भ में विचार करना पड़ेगा।

श्री अटलजी ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बारे में जिस ज्ञापन का उल्लेख किया है, उस पर निश्चय ही विचार किया जायेगा। जहां तक ग्वालियर का संबंध है, उसके बारे में मुख्य सिफारिश स्वीकार की जा चुकी है। वेतन आयोग ने मकान किराया भत्ता देने के प्रश्न पर विचार किया है परन्तु मैं इस संबंध में अंतिम रूप से कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : नगरों का दर्जा बढ़ाये जाने का आधार मूल्य सूचकांक तथा जीवन निर्वाह व्यय होना चाहिए।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह प्रश्न भी विचाराधीन है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"वित्तीय वर्ष 1974-75 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंडवार चर्चा करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, खंड 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड दिया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2, खंड 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड दिए गए।

Clause 2, Clause 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित कर दिया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1974-75
DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1974-75

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम रेलवे बजट पर चर्चा करेंगे । श्री नाथू राम अहिरवार ।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh): I was stating how the Railway is running on loss. Some empty wagons were sent to Koolpahar station on Jhansi Manikpur lines. Out of them one wagon was loaded with steel. The station Master of that station treated it as empty wagon and sold the whole steel to some business man. On lodging complaint with the Police, the whole steel was brought there. That station Master did not report to the concerned authorities that they have received a loaded wagon. It shows that the intention of the Station Master was not clear. I demand that the Station Master be removed from there. In another incident, some people of carriage and workshop department were caught on charges of crossing the Railway lines. On this the Railway employees resorted to strike in the whole Jhansi Division demanding the removal of the inspector. It resulted in the great hardships to Passengers of some trains which had to stop on the way. The strikers were ready to end the strike provided the inspector was removed. But it was not done. The Railway had to suffer lakhs of rupees on this account. Only after the civil authorities intervened, the Inspector was removed and thus strike ended.

The train running on Jhansi-Manikpur line always runs late by three to four hours. As such the link with Bombay-Howrah Mail is lost. It results in perishing of goods like fishes, Vegetables at Manikpur station. The Railways have to pay a lot of sum as compensation. My demand is that an express train from Jhansi to Allahabad or Banaras be started. The Assam Mail or Utkal Express can also be diverted *via* Manikpur. The passengers as well as the Government will be benefitted by this step.

The Railway should construct a shed at Niwari station where foodgrains, fertilizers, cement etc. lie on open and this get perished. When the Railway is earning huge profit as freight then why not a shed is constructed there. The Government should also arrange facility at Naugaon so that trucks carry their goods.

Justice should be done to casual labourers. They are given service for a period not more than six months otherwise they will be entitled for permanency. This practice should be abolished and casual labourers must be recruited on permanent basis.

Today Union are influencing the Railway Department. The office bearers of union harass the workers rather than solving their grievances. Unwilling workers are compelled to join the unions. The office bearers of unions want to remain always in their posts. Members of the scheduled castes are insulted. Their promotions avenues are blocked. Every Railway Service Commission should have a representative of Scheduled Castes so that justice is done to these people.

There are many other flaws which need to be removed to save the Railway from loss. At New Delhi Railway station goods like parcels, cloth etc. lie in open. There are every likelihood for their being exposed to rains and theft. The same case is with this Old Delhi Railway Station. Thus Railways have to pay compensation. Arrangement should be made to provide sheds at these stations. Similarly hand carts should be put in use after repairing. The Railway can effect saving considerably by taking such measures.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): Lawlessness has become the order of the day in the Railways. There is no security of life property and travelling. The Railway Minister repeat only the statement, whatsoever it may be, made by the Railway Board. Trains run late and always remain overcrowded. The third class travelling passengers in the Railways should be given attention first.

Discontent is prevailing among railwaymen. The locomen went on strike. The hon. Minister has not implemented the negotiated settlement with them. He gives promises but never gives effect to them. Such Unions have been given recognitions which have no following.

No hearing is given to unions, having no recognition. This attitude has angered the Railwaymen. Big officials in the Railways are enjoying at the cost of the workers. I do not want that Railway carriages are set on fire but the grievances of the people have crossed the limit. I made charges against a high official in the Railway but no investigation has been carried out. Rather he was promoted as Chairman of the Railway Board.

Regarding thefts in the Railway, the custodians of Railway property are themselves indulging in such acts. If corruption and thefts are rooted out then there will no need to increase the fares. Increase in fares always hit the common man.

I want to know what is the justification of increasing the fares when amenities are not provided for passengers. The eastern Uttar Pradesh is the worst sufferers in matter of Railway amenities. Controversy regarding availability of wagons and coal take place. The Railway department says wagons are available but there is no coal whereas the other department of the Government say vice versa. The Government practise discriminations in matter of giving recognition to Unions. The Railway paseengers have no amenities and this department is riddled with corruptions. The Railway cannot run under such situations. Our Railway Minister has no time to hear us. Such attitude will not help in running the Railway department.

There is no need of increasing fares. The Railway will have to change its policy. They should pay attention towards backward areas. The whole eastern Uttar Pradesh has no broadgauge line. They talk of socialism but follow capitalism. The pay of poor workers in the Railways should be increased and they should be given permanency in the service. Harijans are not given service in the Railway. The plea is given that they are not qualified For getting job of Coollies in the Railway one has to grease the palm of Police. One cannot get his work done without taking to bribe.

I appeal to the hon. Minister to provide jobs to harijans in the Railway. They helped Congress in retaining its hold in the election. All the metregauge lines should be converted into broadgauge lines. A cell will have to be established to remove corruption from Railways. Officers having good record should be given promotion.

The Government should honour the promises given to Railwaymen. The Railway Minister says that he will not give in before their demands but ultimately he has to give in. They had always been saying that they would never submit before the strike-thraets. But ultimately they had surrendered and started talking. I am sure more again they would have to surrender because in democracy you cannot remain so rigid and stern. So, it is better that you submit before it is too late. You have withdrawn the recognitions that you have given to Eastern Railway employees union. This is very strange. Please have secret ballot and you will know the truth.

Shri Mishra's attitude toward the M.Ps has been very impertinent in asmuch as that he has been avoiding meeting us. Sometimes he puts one excuse and sometimes as another. Let him honour atleast his own invitations to us. Also the increase in 3rd class fare should be withdrawn forthwith. Since the common man has been very much hard hit; and that is why people now indulges in Gheraos and violence.

Shri Chandrika Prasad (Balia) : Railways are the life-line and also the symbol o progress of the country. I congratulate the hon. Minister for making certain specific provisions for laying railway lines in certain backward areas, but I am grived to note that no provisions have been made for our eastern districts of U. P. They are also backward people, living on the banks of Ghaghra River have yet to see a railway train. I request that early steps should be taken to construct railway lines from Tanda to Faizabad and Tanda to Gorakhpur which would connect Azamgarh Ghazipur with Gorakhpur.

You have provided Rs. 140 crore for Calcutta. Much has been done for Bombay. This has resulted in the growth of industries, development of employment revenues and ample

[Shri Chandrika Prasad]

revenue resources. Although that has created a problem also given the villagers haves rushed to these cities in large number or now you are compelled to arrange for their housing and other facilities in the cities. It would have therefore, been much more useful and economic to spend that money in backward areas and improve the lot of those down-trodden people. It is a matter of pity that the Railway Board or the Railway authorities are allowing Rs. 8 crores to lapse since they have no programme to spend that amount before 31st March. And this they are doing in the name of economy. In their programme they have made no mention of the construction of railway line between Banaras and Bhatni which has already been surveyed. They do not affect our economy where it should have been *i.e.* in administration etc.

A target was fixed that the Railays would carry 220 million tonnes of coal during the year under review but they could carry only 140 million tonnes of coal but still the expenditure on fuel or coal has been increasing. This shortcoming should be checked. Similarly pilferages, thefts, leakages should also be stopped. Guilty poeple should be punished. Late arrival of trains should also be checked and punctuality maintained. Increase in the price of platform tickets and 3rd class fares should also be withdrawn. Who would purchase a platform ticket with 50 paise when a ticket which is returnable also costs only 30 paisa ?.

Production in D.L.W. at Varanasi is going down day by day and even the currupt officers are not transferred from there even after 15 to 20 years at one place.

We wish that the problems of railway employees should be sorted and solved where as certain people opposite think in terms of spreading disorder and bringing down production and efficiency. The strikes have always been causing disorder, dislocation of traffic and great hardships to the people and there is also huge loss to public properties. Very strict action should be taken against those elements which encourage the employees to go on strike and indulge in such actvities. These 700 category-Unions should not be allowed to make the life of 55 crore people difficult. Let us ponder with a view to ensuring that there are no strikes.... (*interruptions*). It is true that to go on strike is our birth-right but it should be on some logical grounds and not to destroy the entire economic set up of the nation and put the Common masses in the state of peril. So let us ensure that our railway traffic is not stopped as a result of strikes. We should make the railways a second line of defence and make use of it in the hour of need. These strikes should not be allowed to break down the back-home of our economy. However the problems of the railway employees should also be given the attention and their grievances removed.

I have already stated that production in D. L. W. Varanashi Railway workshop in Gorakhpur and wagon factory, Jhansi is declining. For that we should go far improved planning and new measures for enhancing production therein.

Two small trains should be stated from Allahabad to Gauhati and from Shahganj to Samastipur. 37 down and 38 down trains are out dated and also not properly manned.

Wagon supply position should be improved for agricultural areas where production is heavy and which help our economic growth.

Shri Qureshi had accepted the demands of the Porters and Vendors Union but the D. C. S. at Howrah has said that he, and the hon. Minister for Railways, runs the administration and that he is not obliged to obey Shri Qureshi. Let the hon. Minister look into that.

Commercial and Ministerial staff has been requesting that their category should be shown as Commercial for allotting them quarters. These demands should be met.

Shri Orkar Lal Berwa (Kota) : No provision has been made in the budget either for laying new Railway lines or for constructing platforms in Rajasthan. The hon. Railway Minister has neither convened the meeting of Railway Consultative Committee for long nor has cared to meet the M.Ps. and hear them for a while.

Railways have been going in loss on account of corruption and mal-administration. Even precious documents like measurement, books are lost deliberately or otherwise which for instance, resulted in a loss of Rs. 5 lakh to Railways on Kota-Bayana bridge collapse case.

Similarly, a Six-Year Scheme was started earlier for giving licences to vendors to sell items on stations. Now it is learnt that the same has been shelved under the pressure of vested interests. These interest include at least 5 big seths (rich men) who donated Rs. 10 lakhs to the hon. Minister for fighting U. P. elections and that is why that 6-year scheme has been shleved to accommodate their interest. I warn that in case that Scheme is not revived and situation improved, it might result in a strike.

The Railway Minister had assured the percentage of reservation in allotment of tea stalls, refreshment rooms to scheduled castes and scheduled tribes would be enhanced from next month, but nothing has happened to that thereafter. The authorities are not paying any attention. I have approched many quarters, and also numerous letters are received by the Railway Board in this regard but of no avail. No communication is replied to either.

As a rule quarters of Clas III Railway employees are to be cleaned and whitewashed after every two years but these are not being white-washed or repaired even after four or five years.

What is the use of keeping this R. P. F. where pilferage and thefts are going on in Railways on large scale ? Also 118 R. P. F. men were caught but instead of being punished they were promoted as Company Commanders. Similarly no positive results come out of many complaints made even by the M. Ps. Matters are hugged up at higher levels. My suggestion is that vigilance officials should be thrown out side the Railways. Also enquiries should not take very long time.

Discrimination in providing over coats to guards on Agra and Agra Cantt. Section should be removed. The staff also should be provided with adequate stationery items.

The A. M. O. in Kota Division is indulging in anti-Harijan activities and does not provide jharoos to the sweepers. Is it also an economy measure? Similalry, diesel drivers should be given adequate number of dusters. The guards should be given battery cells also with torches. Economy should be made in respect of big expenditures and not by putting curbs on small and essential items. Let the number of officers be checked and that of lower staff increased. How one booking clerk can work simultaneously on three windows?

Misuse of staff car by officers and their family members should be stopped.

Teachers have not yet been given their enhanced pay scales. There have been cases where a male Headmaster Shri Jumna Lal was posted in a girls school to stop Mrs. Radhika Sharma to join that school although no male. Headmaster can be posted in a girls school. I have received a letter in this respect today itself.

Shri Mohd. Shaffi Qurehshi : Please give that letter to me.

Shri Onkar Lal Berwa : I would give that to him later.

Mr. Deputy Speaker : You have taken nearly 20 minutes.

Shri Onkar Lal Berwa : I have taken only ten minutes by now.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यह पसन्द नही है। आप समझते हैं मैं आपको धोखा दे रहा हूं, आप मुझसे साफ में समय मांग सकते थे के परन्तु आप अध्यक्ष पीठ को झुठला नहीं सकते। यह व्यवहार उचित नहीं है।

Shri Onkar Lal Berwa : In reply to a question I was told that in the prosecution cases against the railway contractors the Railway Inspector had collected 80 samples, the Railway lawyer represented the Railways and the culprits got scot free. If that remains the position what is the use of keeping Inspectors.

The D. C. S. should be given adequate powers to ease the supply of wagons.

[Shri Onkar Lal Berwa]

Rajasthan Assembly had adopted a resolution and sent it to the Central Government for laying Kota.-Chittor line. Let the profitability of that line be ascertained and the work there on be taken up soon.

As per rules in Railways a person working as a substitute teacher is made permanent, but about 10 teachers are working in Bombay Railway Service Commission. They should be posted as teachers, against ten of the 28 vacancies in Railways. Also the Chairman of Railway Service Commission Shri Nagdev Snatak should be removed from this post since he is indulging in corruption and anti-harijan notions.

Although this Government speaks very much of the welfare of the scheduled castes and Scheduled Tribes, and also has won U. P. elections on this hollow slogan, but they are not given adequate percentage in the Govt. jobs, allotment of quarters etc. On the other hand non-scheduled castes tribes people get supersession. I therefore warn the hon· Minister to look into such matters prsonally otherwise the people of scheduled caste and Scheduled Tribes would cause the circumstances which would compel the hon. Minister to quit his Ministership.

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : उड़ीसा में बांसपानी-जाखापुरा रेल सम्पर्क को अन्तिम रूप से स्वीकृति देने तथा उसकी क्रियान्विति वित्त वर्ष 1974-75 में आरंभ करने के लिये रेल मंत्री महोदय तथा उनके सहयोगी उप-रेल मंत्री बधाई के पात्र हैं। इस रेल सम्पर्क के निर्माण से उड़ीसा के प्राकृतिक संसाधनों का भरपुर लाभ उठाया जा सकेगा। औद्योगिक क्षेत्र में भी इससे काफी प्रगति होगी। अब मंत्री महोदय यह बतायें कि इस वित्त वर्ष में इस परियोजना की क्रियान्विती के लिये क्या कार्यक्रम बनाये गये हैं। फिर मेरी दृष्टि में इसके लिये निर्धारित केवल 5 लाख रुपये की राशि बहुत ही कम है। मंत्री महोदय यह भी बताये कि क्या इस रेल सम्पर्क का निर्माण इस पांचवीं योजना के भीतर ही पूरा हो जायेगा, यदि हां ? तो तत्संबंधी कार्यक्रमो का विवरण क्या है ?

पिछले ही बार हमने मयूर भंज जिलो में रुपसा-तालाबंध रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का अनुरोध किया था। इस बारे में एक समिति बनी थी और उसने रेलवे बोर्ड को एक प्रतिवेदन भी पेश कर दिया है परन्तु पता नहीं बोर्ड ने क्या निर्णय किया है। मंत्री महोदय इस आदिवासी क्षेत्र के लिये आवश्यक इस रेल लाइन के निर्माण में गहरी रुचि हैं। इस से औद्योगिक विकास में भी बड़ी सहायता मिलेगी। मंत्री महोदय यह भी बतायें कि ताल्केर-बिमलागढ़ रेल लाइन के लिये गत वर्ष निर्धारित राशि का उपयोग किया गया अथवा नहीं।

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर यात्रियों की सुविधाओं के लिये बहुत कम राशि रखी गई है। खुरदा रोड डिविजन पर स्टेशनों के विद्युतीकरण के लिये मैंने मंत्री महोदय से अनुरोध किया था। मंत्री महोदय बताये कि केदूपाडा स्टेशन के इलावा शेष स्टेशनोंपर विद्युतकरण के कार्य के लिये क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

भद्रक स्टेशन पर प्लेटफार्म नम्बर 2 पर स्टेशन के भवन तथा प्लेट फार्म के बीच 8 फिट चौड़े अवरोध को काटने के लियें मंत्री महोदय तुरन्त कार्यवाही करे क्योंकि उससे आने-जाने वाले यात्रियों को विशेष रूप से वरसात में बड़ी असुविधा होती है।

खुरदा डिविजन में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के कुछ गार्ड-सी को पदोन्नत करके गार्ड-बी बना देने के आदेश रेलवे बोर्ड से मिले थे परन्तु कुछ लोगों द्वारा हडताल करने के निर्णय के कारण वे पदोन्नतियां रोक दी थी। मंत्री महोदय बताये कि क्या वे आदेश क्रियान्वित किये जायेंगे अथवा किसी दबाव में आकर रद्द कर दिये जायेंगे।

मंत्री महोदय क्षेत्रीय आधार पर रेलवे सेवा आयोग बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार करे जैसा मुझफरपुर, बिहार में किया गया है। उड़ीसा राज्य के लिए भुवनेश्वर में भी एक रेलवे सेवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी जानी चाहिए।

बिहार की स्थिति के बारे में वक्तव्य
STATEMENT *RE* : SITUATION IN BIHAR

उपाध्यक्ष महोदय : आज प्रात: गृह मंत्री ने स्वीकार किया था कि वह बिहार की स्थिति के बारे में अपराह्न 2-30 बजे एक वक्तव्य देंगे। मेरे विचार से अध्यक्ष महोदय ने कार्य सलाहकार समिति की एक बैठक बुलाई है जिसमें इस वक्तव्य के बाद चर्चा रखने के बारे में विचार किया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वक्तव्य परिचालित किया जाये।

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : मैं कल रात ही पटना से आया हूं और जो कुछ मैंने वहां देखा उसे सदन के सामने रखना चाहूंगा।

18 मार्च की सुबह विधान सभा भवन के निकट एक बड़ी भीड़ जमा हो गयी थी। कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल ने अपना अभिभाषण दिया और सत्र को स्थगित किया गया। राज्यपाल तथा विधायकों को विधान सभा में प्रवेश करने से रोकने के बारे में अपने आप को असमर्थ पाते हुए भीड ने पत्थर और इंटे बरखाना शुरू कर दिया। भीड ने जनसम्पत्ति को आग लगायी तथा नष्ट किया। उत्तेजित भीड को भितर-बितर करने के लिये पुलिस को लाठी प्रहार करने के लिये बाध्य होना पड़ा।

दोपहर के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। 18 मार्च को हुए दंगों में 3 व्यक्ति मारे गये तथा 48 जख्मी हुए। उसी दिन सीतामढ़ी, पूर्णियां, मुजफरपुर, भागलपुर, रांची और डुमका में भी उत्तेजित भीड ने जनसम्पत्ति को नष्ट किया।

19 मार्च को भी उपद्रव जारी रहे और पुलिस को तीन बार गोली चलाने के लिये बाध्य होना पड़ा। रांची, देवगढ़, माधवपुर और छपरा आदि स्थानों में भी पुलिस को 9 बार गोली चलाने के लिये बाध्य होना पड़ा जिसमें 5 व्यक्ति मारे गये तथा 24 जख्मी हुए। प्रतीत होता है कि बिहार की हिंसा का उद्देश्य सामान्य जीवन को अस्तव्यस्त करना है। हमने बिहार सरकार को यथासम्भव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है।

यह बात दु:ख की है कि गुमराह किये गये नौजवान (**व्यवधान**) . . .

श्री मधु लिमये (बांका) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : इनका भाषण समाप्त होने के बाद मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को लूँगा।

Shri Madhu Limaye : It will be useless later on. Point of order can be raised at any time. You may see rule 376.

श्री उमाशंकर दीक्षित : यह बात बहुत दु:ख की है कि गुमराह किये गये नौजवानों तथा कानून विरोधी तत्वों को ऐसी स्थिति पैदा करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है। सदन को इस प्रकार की हिंसा तथा आगजनी और लूट की निंदा करनी चाहिये। बिहार की हिंसा के पीछे राजनैतिक दलों का हाथ है . . .

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं इस सदन से इस हिंसा का विरोध करने की अपील करता हूं।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister said nothing about the backgrounds of mass resentment in Bihar ... (*Interruptions*): Commodities of daily use including foodgrains are not available in Bihar. Nothing was said about it. Minister has not given full statement as ordered by the Chair.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इस ओर के माननीय सदस्य सहयोग दें तो मैं यही कहूंगा कि यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री मधु लिमये : क्या यह पूरा वक्तव्य है ?

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्नों के नाम पर श्री मधु लिमये बहुत सी बातें कहना चाहते थे ।

श्री मधु लिमये : मैं एक पूरा स्टेटमेंट चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप वक्तव्य से संतुष्ट नहीं है. . . (**व्यवधान**) . . .मुझे जानकारी नहीं है. . . (**व्यवधान**) . . .मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि अध्यक्ष महोदय ने कोई विशष वक्तव्य देने के लिये मंत्री महोदय को कहा था ।

रामसहाय पांडे (राजनंदगांव) : गृह मंत्री ने बिहार के बारे में सदन में सही तस्वीर पेश की है. . . (**व्यवधान**) । जनसंघ, संसोपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा आनंद मार्ग इसके पीछे हैं ।

Shri Hukamchand Kachwai (Morena) : They have named us... (*Interruptions*).

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर भी अपना निर्णय दूंगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): The Home Minister in his statement said nothing about firing in Betia as a result of which seven persons were killed before 19th March. C. P. I. staged a demonstration at Patna and in front of the office of Searchlight prior to demonstration in front of the Assembly. Is it due to the fact that Home Minister does not want to place real position before the house in view of alliance with the C. P. I. ?

Shri Satpal Kapur (Patiala) : All facts have been placed in the house.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The statement was not according to the ruling of the chair and attempts were made to mislead the House...

Some Hon. Members: No, No.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is the Government ready to conduct a Judicial Inquiry ?

श्री समर गुह (कन्टाई) : सदन के सभी सदस्यों ने मांग की थी कि सदन के सामने सही तथ्य रखे जायें । यही मांग थी, यही अनुरोध था. . . (**व्यवधान**) . . .मैं पटना गया. . . (**व्यवधान**)। सुबह से ही कुछ मित्र मुझे दोषी ठहरा रहे हैं क्योंकि मैं आनंदमूर्ति को मिलने गया था. . . (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना व्यवस्था का प्रश्न रखें ।

श्री समर गुह : सदस्यों के अनुरोध पर यह वक्तव्य दिया गया । सभी तथ्य नहीं बताये गये ।

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर): ये कुछ कार्यों के लिये पटना गये थे ।

श्री समर गुह : सरकार ने तथ्य नहीं बताये हैं । तथ्य क्यों नहीं बताये गये ? (**व्यवधान**)

श्री राम सहाय पांडे : आप आनन्दमूर्ति से मिले अथवा नहीं ?

Shri Satpal Kapur : It is all due to that.

Shri Samar Guha : We are aware as to what is going on . . . (*Interruptions*).

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I have also a point of order... (*Interruptions*).

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है. . .

Shri Ramavatar Shastri : Demonstrations throughout Bihar were staged on 17th March by Student Front and not by C. P. I.

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो भाषण दे रहे हैं। क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है ?

Shri Ramavatar Shastri : On 18th March, it was conducted by R. S. S. (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमें अनुदानों (रेलवे) की अनुपूरक मांगों पर चर्चा करना चाहिये। श्री डागा।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : *

उपाध्यक्ष महोदय : ये बातें कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जायेंगी।

रेलवे बजट—अनुदानों की मांगें—जारी

RAILWAY BUDGET—DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

Shri M. C. Daga (Pali) **:** Not new railway line was laid in Rajasthan during the last 20 years. The assurance regarding conversion of metre gauge into broad guage from Ahmedabad to D^lhi should be fulfilled. Rajasthan is already short of railway facilities and this shortage has been increased by closing various train services in Rajasthan. You have ignored Rajasthan in the matter of railways. You should not at least stop the existing train services.

Over bridges and under bridges should be provided at Phalna, Rani, Alenpura and Marwar Railway stoppage should be provided at Rani for the convenience of students. Train Services from Ahmedabad should also be extended upto Marwar junction.

Public amenities have not been provided at the Phalna and Marwar railway stations. The general conditions of these stations need to be improved. More booking clerks are required to be posted at these stations.

The surroundings of stations like Pali is very unhygienic and needs to be improved. At least bare necessities like pure drinking water should be provided at these stations. We should not be neglected that way.

Lastly I request that a stoppage of Janta train should be provided at Haripur which has a population of 25 thousand.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : रेलवे लाइनों के जोनल आधार पर पुनर्गठित होने पर उत्तर-पूर्व रेलवे का मुख्य कार्यालय कलकत्ता से गोरखपुर को स्थानान्तरित किया गया। हम अनुरोध करते आ रहे हैं कि मुख्य कार्यालय को उड़ीसा में किसी स्थान पर स्थानान्तरित किया जाये।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

[श्री पी० के० देव]

यदि प्रादेशिक असमानता को दूर करने का विचार है और विभिन्न रेलों के मुख्यालयों को अलग अलग स्थापित करने की बात है तो उसके लिये कार्यवाही की जाये। वास्तव में श्री हनुमन्तैया ने इस बारे में कार्यवाही की थी। उन्होंने रेलवे सेवा आयोग के मुख्यालय को कलकत्ता से भुवनेश्वर स्थानान्तरित करने के आदेश जारी किये थे परंतु बाद में संकुचित दृष्टिकोण अपनाया गया और स्थानान्तरण रोक दिया गया। यदि हमें सारे देश का विकास करना है, तो हमें व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना होगा। उस दृष्टि से दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय को उड़ीसा में स्थानान्तरित किया जाना चाहिये।

पिछले वर्ष मेरे राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। हजारों व्यक्ति भुखमरी से मरे। स्वयं आप के राज्य में तीन नई रेल लाइनें मंजूर की गई जिससे लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। उस समय हमने तालचेर से विमलगढ़ तक रेल लाईन के लिये मांग की परंतु उसे मंजूर नहीं किया गया। इस लाईन के निर्माण से राउरकेला का परादीप, कटक एवं भुवनेश्वर से सम्पर्क स्थापित हो जाता। अत: इस मांग पर रेलवे मंत्री को फिर से विचार करना चाहिये।

वैगनों की अनुपलब्धता के कारण व्यापार में अनेक कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं। आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि लगभग 380 करोड़ रु० के मूल्य का इस्पात जमा हो गया है। यद्यपि अनुमान लगाये गये हैं कि 1974-75 में 55 लाख मैट्रिक टन इस्पात उत्पादों की रेलों द्वारा ढुलाई हो सकेगी परंतु मुझे आशा नहीं है कि यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा इसके लिये प्रतिदिन औसतन 2540 वैगनों की आवश्यकता होगी जबकि इस समय के आंकड़ों का औसत 1905 है।

मेरा यह अनुरोध है कि उत्कल एक्सप्रेस गाड़ी को दैनिक गाड़ी के रूप में चलाया जाये राज्य की राजधानी के साथ देश की राजधानी को मिलाने वाली यह अकेली गाड़ी है। इसके साथ ही इसे चार दिनबरूस्ता खडगपुर चलाया जाये और शेष तीन दिन इसे बरूस्ता रायपुर चलाया जाये। राज्य के पश्चिमी जिलों को रेल लाईन के द्वारा राज्य की राजधानी के साथ मिलाया जाये। पुरी-वालटेयर एक्सप्रेस गाड़ी को वालटेयर से आगे कतबान्जी रायपुर तक बढ़ाया जाये। इसी प्रकार दादर-नागपुर एक्सप्रेस गाड़ी को बढ़ाया जाये जिससे कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट का सीधा रेल सम्पर्क स्थापित हो सके।

Shri Chandra Shailam (Hathras) : Members of opposition have held Railway Board and Government responsible for the present day ills of railways. But I would request them to consider how far they are responsible for the present state of affairs.

Time demands that there should be complete overhaul of the Railway system and it should be improved. I hope the present Railway Minister would take effective and revolutionary steps in this regard.

Some Members have termed Railway Board as white elephant and spoken for its abolition. I also feel that the large amount being spent on the Railway Board is not fair. If Railway Minister cannot abolish it, he should provide a check on it so that people do not find an opportunity to complain.

Welfare of employees means that attention should be paid towards difficulties of employees and efforts should be made to solve them. But welfare Department of Railways exploits the employees instead of providing them relief.

To a greater extent R.P.F. is responsible for the thefts on Railways. It is there to protect Railway property which is a public property. But in fact R. P. F. personnel are in league with wagon breakers and thiefs, etc. 20-30 tonnes of coal is daily stollen from Tundla and same thing happens at Mughalsarai, Kanpur and other big stations. I feel by disbanding R. P. F., we can check a number of Railway thefts. It would also help in saving the expenditure being incurred on R. P. F.

During past years a number of strikes have taken place in Railways. These strikes have affected the life of people and economy of the country and also trade. I would request that this problem of Railways should be solved. I blame the opposition for such a state of affairs. It keeps political interests in view and instigate workers to resort to strikes. If it has a little love for the country and people it should not act in this manner.

System of Railway Saloons should be abolished, because this is being misused by officials. To-day there is no discipline in Railways. But employees have problems and difficulties of their own. To promote discipline amongst them Railway Ministry should sympathetically consider their demands.

Introductions of Jayanti Janta Express and Gohati Express Trains has provided much relief to long distance travellers. I congratulate the Railway Minister for this. Vairhali Express Train should be extended upto Agra. It would provide a link with Gorakhpur, etc.

Hathras is a very important Industrial city. Its population is about one lakh. But there are no arrangements for Reservation at that Station. This facility should be provided there. There are two Railway Crossings in Aligarh City. A number of accidents have taken place on Ramghat Road Crossing. I would urge the Railway Minister to construct an over-bridge on that crossing, so that people are not put to difficulties.

I would like to know the percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in class A, B, C and D posts? Though the Minister had assured in the house during the last session about employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes poeple. But there has not been much improvement. Attention should also be paid towards giving Vending and Catering Contracts to Scheduled Castes people. It would provide employment to them and it would also help in removing untouchability.

Electrification of Railway tract has been completed upto Tundla. I would request that it may be completed upto Delhi at an early date.

Shri Ram Headaoo (Ramtek) : Nagpur and Amravati Districts yield orange crop worth Crores of rupees. But due to shortage of wagons most of the crop goes waste and farmers have to suffer losses. The Hon. Minister should realise the urgency of and supply sufficient number of wagons at Katai, Namkhed, Pardoorva, Multan and Amla railway Stations.

सभापति महोदय : मैं भी इस ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नागपुर रेलवे स्टेशन पर लाखों रुपयों का सन्तरा जमा है यदि उसके परिवहन के लिये शीघ्रतापूर्वक उपाय नहीं किये गये, तो सारा माल सड़ जायेगा।

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्रा) : मैं ने इसे नोट कर लिया है।

श्री राम हेडाऊ : *

श्री धामनकर (भिवंडी): महाराष्ट्र के सदस्यों की सुविधा के लिये मराठी से अनुवाद के प्रबंध होने चाहिये।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता दक्षिण) : अनुवाद के बिना अन्य सदस्यों को पता नहीं चल सकता कि उन्होंने क्या कहा है और न ही मंत्री महोदय उत्तर दे सकेंगे।

सभापति महोदय : यदि किसी अन्य भाषा में वे अपने को व्यक्त नहीं कर सकते तो नियमानुसार उन्हें मराठी में बोलने से रोका नहीं जा सकता। हां, उन्हें बाद में अपने भाषण का अनुवाद सचिवालय को देना होगा।

---

*मराठी में बोले।

श्री स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : जब गुरुद्वारा विधेयक पर मैं पंजाबी में बोलना चाहता था तो मुझे अनुमति नहीं दी गई थी । वह रिकार्ड पर है ।

सभापति महोदय : जहां तक मुझे बताया गया है, वह मराठी में बोल सकते हैं । फिर भी मैं यह मामला अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत करूंगा ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : यदि माननीय सदस्य मराठी के साथ कुछ कुछ हिन्दी का प्रयोग करें तो मैं समझ लूंगा ।

Mr. Chairman : I will explain to you his points.

श्री राम हेडाऊ : *

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने बांदरा से पौनी के लिये रेल लाइन की मांग की है । साथ ही यह मांग की है कि बांदरा रोड रेलवे स्टेशन पर एक लेवल क्रासिंग बनाया जाये और नागपुर स्टेशन के उत्तर में एक ऊपरी पुल बनाया जाये । रेलवे प्रशासन बिना टिकट यात्रा को रोके ।

अब मैं माननीय सदस्यों का ध्यान नियमों की ओर दिलाता हूं । नियम 115 ख, में लिखा है कि अंग्रेजी अथवा हिन्दी से भिन्न भाषाओं में बोलने वाले सदस्य को अपने भाषण का हिंदी अथवा अंग्रेजी अनुवाद सचिवालय को देना होगा और वह अनुवाद ही वादविवाद में प्रकाशित किया जायेगा । यदि कोई सदस्य अनुवाद प्रस्तुत नहीं करता तो वाद-विवाद में केवल भाषण देने की भाषा का ही उल्लेख किया जायेगा । और यदि टिप्पणी में लिखा जायेगा कि सदस्य ने अपने भाषण का अंग्रेजी अथवा हिंदी अनुवाद प्रस्तुत नहीं किया ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : हमने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया है कि गुजराती और मराठी भाषणों के भी साथ साथ अनुवाद की सुविधा उपलब्ध की जाये। मुझे विश्वास है कि सदन भी इस बात की सराहना करेगा कि सदस्यों को अपनी मातृभाषा में अपनी बात कहने का अवसर दिया जाना चाहिये ।

श्री एस० ए० कादर (बम्बई–मध्य दक्षिण) : सभी स्वीकृत भाषणों के संबंध में अनुवाद के प्रबंध होने चाहिए ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Muzaffarpur-Motihari and Motihari—Vagha lines should be connected into Broad gauge lines as promised. An under-bridge or an over bridge should be constructed at Motihari Station for the covenience of the public.

Mahendraghat—Falejaghat—Champaran Train is cancelled on excuse of shortage of coal. It causes inconvenience to the Public. Coal is available at a distance of 150 miles but it is sent for Mills at Bombay and Ahmedabad. Attention should be paid towards this.

Monopoly of M/s. A. H. Wheeler and Co. should also be abolished. These book-stalls should be allotted to unemployed Graduates to control unemployment.

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : औद्योगिक विकास निगम के अन्तर्गत दो उद्योग हैं— कालिंगा आयरन इंडस्ट्री और हीरा सीमेंट फैक्टरी । वैगनों के कमी के कारण कालिंगा आयरन इंडस्ट्री 16,000 मी० टन इस्पात के परिवहन में असफल रही है और हीरा सीमेंट फैक्टरी को

*मराठी में बोले ।

40,000 टन उत्पादन हानि हुई है। सरकारी क्षेत्र के इन दोनों उद्योगों को पहले लाभ होता था परन्तु अब इन्हें गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। अत: इन्हें वैगन सप्लाई करने के लिये तत्काल कार्यवाही की जाये।

दक्षिण पूर्व रेलवे के कर्मचारियों ने कुछ मांगें प्रस्तुत की हैं। मंत्रालय इन्हें पूरा नहीं कर सका, तो मामला उच्च न्यायालय ले जाया गया। उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय 1967 में दे दिया है। परन्तु अभी तक 140 गैंगमनों के मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

ईस्ट कोस्ट डबलिंग इंजीनियरिंग वर्कर्स को 70,000 रु० की क्षतिपूर्ति और बकाया की अदायगी का मामला भेजा गया था परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इन दोनों उपरोक्त मामलों पर शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये।

उड़ीसा में संसाधनों की बहुतायत होते हुए भी गरीबी है क्योंकि संसाधनों का उपयोग नहीं किया गया है। राज्य के विकास का चित्र पूर्णतया धुंधला है। राज्य में प्रति 1000 वर्ग कि० मी० के पीछे केवल 6 कि०मी० सड़कें हैं। राज्य के खनिज विक्षेपों के उपयोग में रेलवे लाइनें औद्योगिक विकास का आधार बन सकती हैं। खनिज संसाधनों के साथ साथ उड़ीसा की वन संपदा भी बहुत विपुल हैं। अत: उड़ीसा के औद्योगिक विकास के लिये इस आधार के विकास की बहुत अधिक आवश्यकता है।

उड़ीसा में अखिल भारतीय औसत का 61% रेल लाइनें हैं जबकि पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के संबंध में आंकड़े क्रमश: 218%, 233%, 178%, 156% और 161% हैं। अत: मेरा अनुरोध है कि उड़ीसा में नई रेल लाइनों का निर्माण किया जाये।

गोपालपुर बंदरगाह बहुत पुरानी बन्दरगाह है। यह क्षेत्र वन संपदा एवं खनिज संपदा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1946 में गोपालपुर बन्दरगाह से कोलनगीर बरास्ता बरहामपुर, अस्का, गंजनगर और वहां से रायपुर लाइन के लिये सर्वेक्षण किया गया था परन्तु बाद में कुछ नहीं किया गया है। औद्योगिक विकास, आदिवासियों और हरिजनों के लाभ की दृष्टि से इस लाइन का निर्माण शीघ्रता से आरंभ किया जाये।

श्री० सी० एम० स्टीफन (मुक्तपुजा) : मैं रेलवे मंत्री और रेलवे बोर्ड को यह बताना चाहता हूं कि केरल भी भारत का अंग है। यदि रेलवे विकास की दृष्टि से हम केरल की देश के अन्य भागों से तुलना करें तो प्रतीत होगा, कि यह सब से उपेक्षित राज्य है।

स्वतंत्रता के पश्चात् केरल में केवल 90 मील मीटर गेज नई लाईन बिछाई गई है। अब इसे ब्राड गेज में बदलने का प्रस्ताव है। केरल की अपनी समस्याएं हैं जैसे कि जनसंख्या की अधिकता, शिक्षा की ऊंची दर और साथ ही परिवहन की कठिनाईं।

विकास के लिये रेल विभाग तथा भारत सरकार के अन्य विभागों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये जिससे देश के विभिन्न भागों की विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान दिया जा सके। केरल से मद्रास को इंट्रीग्रलकोच फैक्टरी के लिये टिम्बर सप्लाई होती है। मेरा सुझाव है कि केरल में कोच फैक्ट्री की स्थापना की जानी चाहिये। यदि केरल में पर्याप्त रेलवे लाइनें बिछाई जायें तो रेल विभाग को वहां से भारी आमदनी हो सकती हैं क्योंकि वहां पर यातायात बहुत अधिक है।

जहां तक रेल विद्युतीकरण का संबंध है, केरल में पर्याप्त बिजली है तथा पर्याप्त सस्ती दर पर बिजली दिये जाने का आश्वासन दिया गया है। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि केरल में विद्युत चालित रेलों की कोई व्यवस्था नहीं की गई यद्यपि इस कार्य के लिये पांचवीं योजना में पर्याप्त धनराशि नियत की गई है।

(श्री सी० एम० स्टीफन)

पिछले बजट में बताया गया कि एल्लेपी—क्विलोन रेल लाईन का सर्वेक्षण किया गया है तथा इसे लाभप्रद पाया गया है। किन्तु इस बजट में उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। वर्ष 1974-75 में छोटी लाइनों को बड़ी रेलवे लाइनों में बदलने के लिये 44 लाख रुपए नियत किये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार इस 68 कि० मी० लम्बी लाइन को कितने समय में बदल सकेगी। सरकार की यह नीति है कि जब तक स्थिति बहुत खराब न हो जाये तथा जनता आन्दोलन न करे, तब तक वह किसी भी समस्या की ओर ध्यान नहीं देती। केरल में चूंकि न रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाई जाति है और न कोई हिंसात्मक कार्य किया जाता है; अतः सरकार केरल की जनता की कठिनाइयों के प्रति उदासीन है।

यद्यपि रेलवे बोर्ड तथा रेल मंत्रालय की ओर से कहा जा रहा है कि रेलवे कर्मचारियों की श्रेणी के आधार पर बनी यूनियनों को मान्यता नहीं दी जा रही है तथापि सरकार इस प्रक्रिया तथा इस नीति को प्रोत्साहन दे रही है। श्रेणी के आधार पर युनियनों के बनने से एक श्रेणी के रेल कर्मचारियों का दूसरे श्रेणी के कर्मचारियों से मतभेद हो सकता है तथा उनमें पारस्परिक वैमनस्य उत्पन्न हो सकता है। उसका परिणाम यह होगा कि वे मिलकर प्रबंधकों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सकते। अतः यह नीति अत्यंत दोषपूर्ण तथा निराधार है। विभिन्न श्रेणी के रेल कर्मचारियों की यूनियनों के साथ सरकार का बातचीत करना ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिससे रेलवे में पूर्ण अव्यवस्था उत्पन्न हो जायेगी।

इस संबंध में मैं मंत्रीमहोदय से यह जानना चाहता हूं कि औद्योगिक संबंध विधेयक पर सभा में चर्चा होने से पूर्व तथा उस पर प्रवर समिति द्वारा विचार किये जाने से पूर्व सरकार द्वारा यह वक्तव्य दिये जाने का क्या औचित्य है कि रेलवे में विद्यमान दो फेडरेशनों को समाप्त करके गुप्त मतदान द्वारा उसमें केवल एक यूनियन बनाई जाये? क्या रेल विभाग सरकार के अन्य विभागों से हृतर है जिसके लिये सरकार की नीति का उल्लंघन किया जा रहा है? रेलवे में कर्मचारियों की 700 श्रेणियां है और यदि सभी श्रेणियों की यूनियनों की अनुमति दी जायेगी तो रेल व्यवस्था कभी भी अस्त-व्यस्त हो सकती है। अतः इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये।

Kumari Maniben Patel (Sabarkantha) : I want to draw the attention of the hon. Minister to certain important points. The district of Sabarkantha is backward and if Government are seriously interested in developing this area, they should immediately takeup the construction of railway lines there.

It has been observed that level crossings on various railway-lines remain closed for long time. Government should take some steps in this regard. It has also been observed that trains are not cleaned. They are not maintained properly. Water is not available the compartments resulting in great difficulties to the passengers.

Besides, fans provided in the compartments are not in working order. These things must be looked into by the Government.

I have received a letter from the Guards Association. In this context I suggest that before entrusting the job of Guard or Driver to a person he should be fully trained to avoid the risk of accidents.

I would like to comment that the laws regarding the ticketless travel are not being implemented properly. Malpractices have been adopted by the railway employees in regard to reservation of seats in the trains. If Government are really interested in removing corruption from the Railways, they should start from the top.

I also suggest that there should be some arrangement in the two tier and three tier compartments reserved for ladies in regard to providing an approach to the upper tier. It should also be ensured that men do not enter the ladies compartments.

Due to the non-availability and irregular supply of wagons and thefts of goods in transit people have started transporting fruits and other commodities by road transport as a result of which railway income has decreased. I request that the hon. Minister should look into all these matters and take appropriate steps.

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासौर) : रेल मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों में समन्वय स्थापित किये जाने के सुझाव उपयुक्त है । कोयला समय पर उपलब्ध न होने के कारण इस्पात संयंत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है । अतः मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय मालडिब्बों के आवागमन को सुनिश्चित कराएं । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय रेलवे प्रशासन को सुव्यवस्थित करने में सफल होंगे ।

मैं रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री, जो यहां विद्यमान हैं, का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहती हूं कि उड़ीसा की जनता बहुत दिनों से यह मांग करती आ रही है कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय उड़ीसा में किसी स्थान पर बताया जाय । मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय इस बारे में जनता की मांग को पूरा करें । दक्षिण पूर्व रेलवे पर देश का लगभग आधा माल यातायात उपलब्ध है । मंत्री महोदय इस बात को अवश्य ध्यान में रखें ।

बिना टिकट यात्रा के कारण रेलवे को भारी हानि पहुंचती है । प्रायः देखा गया है कि जिन व्यक्तियों को बिना टिकट पकड़ा जाता है उनसे चार गुनी किराया वसूल किया जाता है । किन्तु उस राशि को खजाने में जमा नहीं कराया जाता टिकट चैकर उसे अपनी जेब में रख लेते हैं । इस संबंध में मेरा सुझाव है कि सरकार कोई ऐसा उपाय करे जिससे यह राशि सरकार को उपलब्ध हो सके । अधिक अच्छा यही होगा कि सरकार पुराने ही तरीके को लागू करे ।

रूपसी—बांगरीपोशी मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मांग की जाती रही है । सरकार को शीघ्र ही इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिये तथा इस लाइन को मुख्य लाइन अर्थात् हावड़ा-बम्बई लाइन से जोड़ा जाना चाहिये । ऐसा करने से मयूरगंज तथा आदिवासी क्षेत्र का विकास किया जा सकता है ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे खान-पान समिति के सदस्य के नाते मैंने रेलवे की खान-पान सेवा में सुधार करने का भारी प्रयास किया । किन्तु इस में सुधार किया जाना सम्भव नहीं प्रतीत होता । एक कप चाय 30 पैसे में मिलती है तथा वह चाय बिल्कुल बेकार होती है । अतः सरकार रेलवे में खान-पान सेवा में सुधार करने के लिये तुरन्त कोई उपयुक्त कदम उठाये ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में गाड़ियां बहुत देर से चलती हैं तथा इसका एक कारण यह है कि कुछ लोग खाद्यान्न की तस्करी करते हैं तथा रेल कर्मचारियों से मिलकर अपनी सुविधानुसार गाडियां चलवाते हैं । मंत्री महोदय इस बात की अवश्य जांच करे तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित करें ।

महोदय ! अत्यंत खेद की बात है कि लगभग 1,000 अस्थायी इंजीनियरों को स्थायी न किये जाने के कारण उन्हें बड़ी कठिनाई हो रही है । उन्हें तुरन्त स्थायी बनाकर उनको कैडर के अन्य इंजीनियरों के बराबर लाया जाये । उनके बारे में कुछ संसद्-सदस्यों ने रेल मंत्री को ज्ञापन भी दिया था ।

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : Certain hon. Members have demanded that railway Board should be dissolved. I think radical changes are required to be made in the Railway Board for the proper functioning of the Railway.

In a reply to my question the hon. Minister said, "Rs. 11/- worth of coal was reported to be stolen from loco Yard during 1973". It is unbelievable.

Madhya Pradesh is more backward than other states from railway lines point of view. While considering backward areas in this regard Madhya Pradesh should also be kept in the mind.

Due to the non-availability of Coal 86 trains are cancelled in Ratlam Division causing great difficulties to the passengers. It has been said in the Survey Report that the proposed conversion of Indore—Mhow railway line is uneconomical. But as the hon. Minister has admitted that the Mhow is a place of strategic importance, this 21 Kilometer line should be converted into broadgauge line. Indore—Ujjain—Agarmal line should also be converted.

The people of Nagda have been demanding that Deluxe and Paschim Express train should stay at Nagda. Government should accept their genuine demand Government should also construct an over-bridge at Nagda for the benefit of thousands of workers. This is a long standing demand for the construction of an over-bridge at Siyaganj station. It should be constructed without any further delay.

Government should also find out the reasons for late running of Train especially in the Ratlam Division. I also demand that the metregauge lines from Indore to Ratlam and from Khandwa to Ujjain should be converted into broadgauge lines. I also suggest that Ujjain—Nagda Shuttle should be extended upto Indore. I also suggest that Soda Opener should be removed from the bathroom and it should be kept some where else.

A fair was organised by *Mahila Samiti* in Baroda House. The entire expenditure was incurred by the Railway Board but the profit had gone to the said Samiti. This matter should be looked into.

The proposal of an overbridge at Brindavan is under consideration of the Government for a long time. I request that the construction of proposed over bridge should be taken up immediately.

Shrimati Sahodrabai Rai (Sagar) : Sir, Sagar, Damoh is a neglected area. Nothing has been done there. We have repeatedly demanded that railway lines from Narsinghpur Karoli to Barman and Barman to Panna should be constructed. But nobody pays any heed to our request. We are given stepmotherly treatment.

Gram Panchayat has also requested that Chouki Station should be made under operation Dangidar railway station should also be started. These are the long standing demands of the people.

The cases of chainpulling in the train started from Katni have increased resulting in late running of the train. Wagons are made available to the districts of Sagar and Damoh which are rich in fodder and Timbers. Government should make proper arrangements in this regard.

I would like to suggest that instead of one coach two coaches should be attached with the passengers trains for ladies. It has been observed that students rob passengers. Government should deploy police personnel in the coaches.

I also demand that an overbridge should be constructed in Damoh district to avoid accident.

श्री वीरेन्द्र सिंह राव (महेंद्रगढ) : देश की प्रगति का रेलवे के कार्यकरण के साथ घनिष्ठ संबंध है और भारत में रेलवे सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है। यदि रेल मंत्रालय कुशलतापूर्वक विनिर्माण व्यय में कटौती करता और राजस्व की हानि को रोकता हो इस निर्धन देश में आम आदमी पर 138 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

[श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुए।
SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI *in the Chair*.]

उन्होंने रेलवे बोर्ड के लिये 1.99 करोड़ रुपए की मांग की है। उन्होंने समूचे आंकड़े नहीं दिये हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य प्रशासनिक व्यय के लिये 121 करोड़ रुपए की मांग की है। इस प्रशासनिक ढांचे के उपरान्त श्रमिकों में अनुशासनहीनता है। ऐसा अनुमान है कि 138 करोड़ रुपए के इस अतिरिक्त भार से मूल्यों में लगभग 6-7 प्रतिशत तक वृद्धि हो जायेगी। दूसरे इस बात का पता चलता है कि किस प्रकार रेलवे पर यह फिजूल-खर्च मूल्य-वृद्धि के लिये मुख्यतया उत्तरदायी है।

जहां तक रेल यात्रा में सुरक्षा का संबंध है, यद्यपि रेलवे सुरक्षा बल पर व्यय बढ़ता जा रहा है तथापि जब कतरों, डाकुओं और हत्यारों को अपराध करने के लिए रेलवे के अहातेही सबसे अधिक सुरक्षित स्थान लगते है। रेलवे में अपराध बढ़ते जा रहे हैं।

हमने हाल ही में देखा है कि आपातकालीन स्थिति में रेलवे की प्रादेशिक सेना के यूनिट बचाव करते हैं। मेरा सुझाव है कि इस अनुशासनहीनता को रोकने के लिये सभी रेल कर्मचारियों को प्रादेशिक सेना में भर्ती होने के लिये विवश किया जाना चाहिये ताकि इस एक विभाग को आर्मी एक्ट के अन्तर्गत रखा जा सके।

रेलवे में दुर्घटनाएं बढ़ रही है। गत वर्ष भारत में 900 दुर्घटनाएं हुईं जिनमें से 50 प्रतिशत दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की अकार्यकुशलता के कारण हुईं इन प्रतिवर्ष लगभग 400 व्यक्तियों की जानें चली जाती है। मैं रेल मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या ये रेल कर्मचारी इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मारने के लिये हत्या के लिये उत्तरदायी नहीं हैं? क्या इन दुर्घटनाओं के लिये उत्तरादायी किसी रेल कर्मचारी के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज किया गया है। मंत्री महोदय को इन बातों की जांच करनी चाहिये और यदि वह रेलवे बोर्ड को बनाये रखना चाहते है तो यह आशा की जाती है कि उसमें कार्यकुशलता में भी सुधार होना चाहिये और उसे अपने बने रहने या औचित्य सिद्ध करना चाहिए।

हमारे देश में रेलवे द्वारा कमाये गए भाड़े का 30 प्रतिशत भाग उठाईगिरी के रूप में चला जाता है। इसे कम किया जाना चाहिये।

रेलवे के ऐसे फाटकों पर जहां कर्मचारी नियुक्त नहीं होते है वहां प्रतिवर्ष 70 से 80 तक व्यक्ति मर जाते है। इस बात का कोई कारण नहीं है कि रेलवे प्रशासन फाटकों पर कर्मचारी नियुक्त न करे।

दिल्ली-अहमदाबाद उत्तरी भारत की रक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ट्रंक लाइन है। यह मीटर लाइन है और इसे बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। कम से कम दिल्ली और रेवाड़ी के बीच इस लाइन को बड़ी लाइन में क्यों नहीं बदला जाता है।

क्या मंत्री महोदय यें बतायेंगे कि पिछले एक या दो वर्ष में किसी एक शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को कोई एक भी बुकस्टाल आवंटित की गई है?

मंत्री महोदय ने बताया था कि वह उन सभी खानपान के ठेकेदारों को हटा दगे जिनके पास छह वर्ष या उससे अधिक समय से लाइसेंस है। क्या वह इस बात का पता लगा सके है कि 20 वर्ष से अधिक समय से कितने बड़े ठेकेदार और 'कैटरर' काम कर रहे हैं? क्या विभाग ने हाल ही के वर्षों में इन स्टालों, जलपान गृहों तथा डाइनिंग कारों के लिये टेंडर मांगे हैं?

मैं कहना चाहूंगा कि भूतपूर्व सैनिकों की सहकारिताओं को ठेके के मामले में प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

श्री वाल्मनकार (भिवंडी) : एक ओर जहां गाड़ियों के समय पर चलने में ह्रास हो रहा हैं वहां दूसरी ओर गाड़ियों में अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों की तस्करों और समाज विरोधी तत्वों के साथ मिली-भगत है। सामान्यतया उपनगरीय

[श्री धामनकर]

गाड़ियां बड़े स्टेशनों के निकट रोक दी जाती हैं और वहां से रेलवे सुरक्षा बल के सहयोग से तस्करी की वस्तुएं अन्यत्र भेज दी जाती हैं ।

रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी उपनगरीय गाड़ियों के प्रथम श्रेणी के डिब्बों में बैठ जाते है जिससे वास्तविक यात्री 'सीट' से वंचित रह जाते है । इसकी जांच की जानी चाहिये और इसमें सुधार किया जाना चाहिये ।

कोंकण रेलवे लाइन को आप्टा से दासगांव तक तुरंत बढ़ा दिया जाना चाहिए । यह लाइन मुश्किल से 108 किलोमीटर है । यदि रेलवे बोर्ड यह कार्य आरंभ करने का निर्णय करे तो आगामी दो-तीन वर्षों में यह लाइन पुरी की जा सकती है।

बसीन-दीवा रेल लाइन का काम तेजी से हो रहा है । मैंने सुझाव दिया था कि भूमि का अधिग्रहण करते समय जहां तक संभव हो कृषि योग्य भमि को अधिग्रहण से अलग रखा जाये परन्तु इसका दृढ़तापूर्वक पालन नहीं किया गया है । इस बात पर ध्यान रखा जाना चाहिये कि नई रेल लाइन के कारण कोई भी कृषक भूमि हीन न होने पाये । यदि वह भूमिहीन किया जाता है तो उसे कृषि योग्य भूमि दी जानी चाहिये ।

अब पुल बनाये जा रहे है। इस लाइन पर भी काम आरंभ किया जायेगा । यदि इस पूल को 4 या 5 फीट और चौड़ा बनाया जाये तो गांव वालों को नदीं की सहायक शाखा या नदी पार करने में उसका लाभ होगा ।

जहां तक माथेरान लाइन रेलवे का संबंध है प्रतिवर्ष ऐसी अफवाहें फैलती है कि इसे बंद किया जायेगा । लोको इंजन नहीं है और जो है वे पुराणे हो गये है तथा भार नहीं ढो सकते है । नेरल से माथेरान की मुश्किल से 10 से 15 मील तक की दूरी है परन्तु वहां जाने में 5—6 घंटे लग जाते हैं । अतः उन लोकों इंजन के स्थान पर दूसरे इंजन लगाये जाणे चाहिये और गाड़ियों (रैक) की भी मरम्मत की जानी चाहिये ।

मनमाड़ और बम्बई के बीच एक्सप्रेस गाड़ी चलायी जानी चाहिए । नासिक की औद्योगिक सम्पदा की ओर से मनमाड़ एक्सप्रेस के लिये मांग की गई है । मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें ।

उपरी पुल के निर्माण के बारे में यह नियम है कि रेलवे उपरी पुल बनायेगा और राज्य सरकारें या नगरपालिकाएं या स्थानीय प्राधिकरण पहुंच मार्गों (एप्रोचेज) का निर्माण करेंगे । मैं रेलवे से अनुरोध करूंगा कि वह अपने खर्च पर ऊपरी पुल और पहुंच मार्ग बनाये तथा राज्य कोष से लागत काट ले ।

बम्बई-आगरा सड़क पर आसनगांव में रेलवे फाटक ऊपरी पुल बनाया जाना चाहिये । और जब तक ऊपरी पुल बने तब तक ऐसा फाटक होना चाहिये जो अपने आप खुले और बंद हो जाय ।

वैगनों की कमी है । हमें प्रतिवर्ष बताया जाता है कि उनका उत्पादन बढ़ रहा है परन्तु अभी भी हम देखते हैं कि वैगन उपलब्ध नहीं है । बसीन, दहानु और पालघर जहां, लवण कुंड हैं, को वैगन सप्लाई किये जाने चाहियें ।

उपनगरीय रेलवे के लिये अधिक गाड़ियां (रैक्स) दी जानी चाहिये ।

विरार से वापी तक शटल सेवा होनी चाहिये ।

दीवा और पनवेल के बीच नीलजे गांव में एक नया रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है । अब वह क्षेत्र पहले जैसा नहीं रहा । वह औद्योगिक दृष्टि से विकसित हो रहा है अतः परिवर्तित स्थिति में इस प्रस्ताव की पुनः जांच की जानी चाहिये ।

सभी स्टेशनों—उपनगरीय अथवा अन्य स्टेशनों पर सार्वजनिक टेलीफोन लगाये जाने चाहिये ताकि दुर्घटना के समय समाचार दिया जा सके । एम्बुलेंस की भी व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्री दशरथ देब (त्रिपुरा पूर्व) : त्रिपुरा के लोगों की यह मांग है कि अगरतला तक रेल लाइन बढ़ाई जानी चाहिए । उत्तर-पूर्व परिषद् को इस काम के लिये बहुत थोड़ी धन राशि दी गई है । रेल मंत्रालय को धर्मनगर से कुमारघाट और कुमारघाट से अगरतला तक रेल लाइनें बनाने पर पुर्नविचार करना चाहिये ।

धर्मनगर रेलवे स्टेशन पर आरक्षण का कोई कोटा निर्धारित नहीं है । वहां से आरक्षण करवाने के लिए लुमडिंग जाना पड़ता है जो बहुत खर्चीला पड़ता है अतः धर्मनगर स्टेशन से आरक्षण के लिये कोटा निर्धारित किया जाना चाहिये ।

इस बात पर विचार-विमर्श हो रहा था कि रेल मंत्रालय बंगलादेश होकर पश्चिम बंगाल से अगरतला तक रेल संपर्क करने की कोशिश कर रहा है । कोई नहीं जानता है कि यह मैत्री कितने दिन चलेगी । आखिर वह विदेशी है । हम अपनी रेल लाइन को दूसरे देश पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। फिर भी रेल मंत्री को इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या हमें आसाम होकर धर्मनगर तक और धर्मनगर से सबरूम-बरास्ता अगरतला तक एक रेल लाइन बनानी चाहिए । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस लाइन का काम आरंभ होना चाहिए ।

Shri Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur) : Last year laws were enacted to shoot the saboteurs but it seems that the persons who removed the fish-plates have not been shot on the ground that the persons who removed fish-plates did not intend to sabotage but their intention was theft.

This was the interpretation of the law that their intention was theft.

There are elevated platforms at big stations but on the small stations on the Khargpur line, the platforms are so low that it is difficult for the pregnant women passengers to board the train. The platforms on these stations should be elevated.

I have been requesting for construction of an over-bridge at Jamshedpur for the last three years. If the Bihar Government has no money for the approach road, money should be drawn from the Safety Fund.

Arrangement should be made to provide cold drinking water on Rajadhani Express.

Steam locomotives should be repaired and new steam locomotives should be manufactured.

The hon. Minister has said about compensation. The railway administration should also think of introducing insurance for the railway passengers. If an untoward incident takes place, the insurance company will pay compensation, not the railways.

So far as the perishable goods is concerned, quick transport arrangement should be made.

In Chhota Nagpur Division, there is no rail link of Hazaribagh with grand chord. This rail-link is essential.

Prof. Narain Chand Parashar (Hamirpur) : A petty amount has been earmarked for the construction of new railway lines. I would like to request the hon. Minister to include railway line from Nangal Dam to Talwara among the seven lines which have been sanctioned. This will benefit both Punjab and Himachal Pradesh. The Kangra Valley line which is to be constructed by June, 1975, should be completed by December.

One First Class and one Third Class bogie should be attached to all the three trains from Pathankot which have been extended upto Jammu in order to mitigate the difficulties of the Passengers.

[Prof. Narain Chand Parashar]

The Northern Railway is the largest Zone and it is almost unmanageable. It should be bifurcated. Jammu-Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana and areas beyond Delhi in Utter Pradesh can constitute a north-western zone and a special Railway Service Commission should be provided in that zone.

The Government should take over Nangal Bhakra Project.

Shri Darbar Singh (Hoshiarpur) : The missing railway link in Punjab should be provided. Hoshiarpur should be connected with Chandigarh. It should not be given up on the plea that it is uneconomic. The missing line, if provided, will give a good return.

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): The railways have to play an important role in the economic development of the country.

Hon. Member, Prof. Parashar has put his views. I assure the House that in providing railway lines, no regional consideration is made. We are interested in the development of the country.

Shri Dinesh Bhattacharya has made reference to maintenance and repairs. The position is that the spares and components manufactured in the country and imported from other countries are not available to us in time. This creates difficulty.

A number of strikes and agitations took place during the last one year. This has slowed down the movement of trains.

The railways are aware of the oil crisis. In view of this crisis, a decision has been taken not to condemn the old steam engines but to take steps to prolong their life.

The number of diesel shunters has been reduced so that the shunters which use coal can be put into operation. It will put burden on our repair workshops.

Some hon. Members say that the railways have enough wagons but 30 per cent of the wagons are not in use. The position is that 4 per cent of the total number of wagons are sick and are to be repaired.

The railways will require one lakh wagons during the next five years. Therefore it is not correct to say that wagon manufacturers will not get work.

The manufacturer of these wagons should be so phased out that the manufactures may continue to get this work for a long time. They can only expand their industries in this way, and can fulfil railway's orders firmly.

The Railways have sufficient number of wagons to transport Coal, but agitations and Strikes have obstrructed the work. We want that there should be no strikes in Railway during the next three years and all matters of disputes should be settled with mutual co-operation.

The work in Chittranjan Loco Works is not going satisfactorily. The installed capacity is not being fully utilised. Sometimes there is shortage of spare parts, the other time there is difficulty of Components. The greatest difficulty is caused by strikes and agitations. We will try our level best to fulfil our targets.

So far as the question of giving, adequate representation to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Railway Services is concerned, we have not been able to give them due representation to these people in Railway Services. We have made certain changes to improve the situation. First of all we will give wide publicity regarding the vacancies in the railways so that the Scheduled Caste and Scheduled tribe people may know about these vacancies. Facilities provided to them should also be known to them.

The Scheduled Castes and Scheduled tribes candidates will get certain concessions in *viva-voce* tests. They should be provided more and more facilities in the matter of recruitment.

There are three lakhs and seventeen thousand casual workers working in the Railways. We will try to make them permanent gradually. We have decided to make recruitments for class IV posts from the casual workers. As a result of the decision we have absorbed 70 thousand casual workers in permanent cadre and another 25 thousand workers will be absorbed by the end of this Year.

We will try to appoint the railway employees near to their home towns, but it is not possible in every case.

A casual labour can take leave upto 15 days and if he joins after 15 days it will not be considered as break in his service.

Members should not doubt in railway's intention. In the end I submit that all the points raised by the member will be replied to by my senior collegue.

सभापति महोदय : श्री मावलंकर !

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
39वां प्रतिवेदन

संसद कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैय्या) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 39वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के संवाददाता निधन के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE DEATH OF P. T. I. CORRESPONDENT

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : सभापति महोदय, प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के एक वरिष्ठ संवाददाता श्री के० सुब्रह्मण्यम् की मृत्यु पर मैं शोक प्रकट करता हूं । उन्हें आज सबेरे लोकसभा की कार्यवाही के समाचार तैयार करते समय दिल का दौरा पड़ गया था, उन्हें विलिंगडन अस्पताल ले जाया गया और उनका आपातकालीन आधार पर अपेक्षित सभी प्रकार का इलाज किया गया । दुर्भाग्य से विलिंगडन अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद ही उनका निधन हो गया ।

संसद् भवन के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा उन्हें तत्काल चिकित्सीय सहायता दिये जाने में असफलता का प्रश्न कुछ संसद् सदस्यों ने आज उठाया था । इस अशुभ घटना की विभागीय जांच होने तक संबंध चिकित्सा अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है । संसद् भवन स्थित औषधालय के शेष कर्मचारियों का तबादला शीघ्र ही किया जा रहा है ।

**वृद्ध आयु के विस्थापित व्यक्तियो के पुनर्वास के लिए पश्चिम बंगाल की बृहद योजना
WEST BENGAL MASTER PLAN FOR REHABILITATION OF OLD DISPLACED PERSONS

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपूर) : सभापति महोदय, श्री बी० के० दासचौधरी के प्रश्न के उत्तर को जो पूर्ति और पुनर्वास मंत्री श्री खाडिककर ने इस महीने की 7 तारीख को

** आधे घंटे की चर्चा।
Half an Hour Discussion.

[श्री दिनेन भट्टाचार्य]

दिया था, मैने ध्यानपूर्वक पढ़ा है । वह प्रश्न, पश्चिम बंगाल द्वारा तैयार की गई शरणार्थियों के पांच वर्ष के भीतर (वर्ष 1973 से 1978 तक) पुनर्वास की बृहद योजना से संबद्ध है । इसके लिये इन्होंने 150 करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार से मांगा है ।

यह देखकर मुझे और पश्चिम बंगाल की संपूर्ण जनता को भारी दुख होता है कि केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल में अन्य शरणार्थियों के पूनर्वास की जिम्मेदारी से बचती जा रही है । पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के साथ भेद-भाव किया जा रहा है । वर्ष 1971 तक पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों पर मुआवजे की राशि सहित लगभग 456 करोड़ रुपए खर्च किये गये जबकि पूर्व पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल में आये शरणार्थियों पर केवल 77 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई इस प्रकार इनके साथ भेदभाव और अन्याय किया गया है ।

जहां तक पश्चिम बंगाल की संदर्भाधीन बृहद् योजना का प्रश्न है, यह केन्द्रीय सरकार के पास अगस्त 1972 में भेजी गयी थी और अब श्री खाडिकलर यह वक्तव्य देते हैं कि शरणार्थियों के साथ कैसा ही व्यवहार किया जायेगा जैसा कि पश्चिम बंगाल की अन्य जनता के साथ । मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है । किन्तु मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि पश्चिम पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के मुआवजे के अतिरिक्त क्या-क्या सुविधाएं दी गई और पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिये क्या किया गया । पश्चिम क्षेत्र में सरकार ने शरणार्थियों के लिये 19 कस्बे पूर्ण स्तर के बनाये जिनमें सभी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हैं । पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों के लिए ऐसे कितने कस्बे बनाये गये ? मेरे ज्ञानानुसार पश्चिम बंगाल में कुल जनसंख्या का छटा हिस्सा शरणार्थियों का है। मुआवजा, रोजगार या कृषि भूमि के अतिरिक्त उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाये गये ? क्या आप अपने या जवाहरलाल नेहरू सहित अन्य कांग्रेस नेताओं द्वारा दिये गये वायदों से नहीं मुकर रहे हों । इस बृहद् योजना में , जो श्री सिद्धार्थ शंकर राय के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार द्वारा तैयार की गई है, यह लिखा है कि पश्चिम बंगाल के अधिकांश शरणार्थी बेरोजगार, अल्परोजगार तथा अलाभकर जोतों के कारण अमानवीय जिन्दगी बसा कर रहे हैं । शरणार्थी क्षेत्रों में राजनीतिक–आर्थिक असंतोष पनपता जा रहा है । मेरा अनुमान है कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आसाम सहित पूर्वी क्षेत्र में शरणार्थी समस्या को हल करने का सरकार का इरादा नहीं है ।

कुछ समय पूर्व आप यह कहते थे कि पश्चिम बंगाल की शरणार्थी समस्या हल हो गई है केवल कुछ छोटी-मोटी समस्याएं शेष हैं । यह दावा गलत था । यह भी कहा गया कि शरणार्थियों को, जिस भूमि पर उनका कब्जा है, उसका अधिकार दे दिया गया है । उनको पूर्ण अधिकार नहीं दिये, उनके नाम पक्के पट्टे नही किये गये । दूसरे, ऐसी भूमि केवल गिने चुने शरणार्थियों के पास ही है 'बस्ती-विकास' के शीर्षक के अन्तर्गत यह कहा गया कि पश्चिम बंगाल में 580 सरकार द्वारा प्रायोजित बस्तिया हैं और 149 स्क्वेटर कलोनियां है । वस्तुत: सरकार ने 332 क्षेत्रों में विकासकार्य शुरू किया है और यह कार्य 201 कालोनियों में अभी शुरू होना है । लगभग 750 कालोनियां गैर सरकारी है जिनकी ओर सरकार ने समुचित ध्यान दिया ही नही है । इनके विकास की जिम्मेदारी भी सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिए। अभी तक सरकार ने केवल उन कालोनियों को लिया है जो 1950 से पूर्व ही अस्तित्व में आ गई थी । इसके बाद बनी कालानियों की ओर सरकार ने ध्यान नही दिया है ।

आप कहते हैं कि विकास-कार्यक्रम समन्वित और स्वीकृत होगा और इसक लिये आप केवल 6 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर रहे हैं । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आपने केवल 70 करोड़ रुपए शरणार्थी पुनर्वास के लिये रखे हैं । ये न केवल पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के लिये

हैं बल्कि इनमें श्रीलंका, बर्मा आदि देशों से आये शरणार्थी भी सम्मिलित हैं। इस आधे-घंटे की चर्चा उठाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि शरणार्थियों के पुनर्वास की पूर्ण जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है और इससे वह पीछे नहीं हट सकती। साथ ही पश्चिम बंगाल में आये शरणार्थियों के साथ जो भेदभाव और अन्याय किया जा रहा है, वह तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिए और राज्य सरकार द्वारा केन्द्र के पास भेजी गयी 150 करोड़ रुपए की योजना की पूर्ण जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिये। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सरकार शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या को किस प्रकार हल करना चाहती है।

Shri Ramavtar Shastri : It is a matter to be sorry that the Government have not so far been able to solve the rehabilitation problem of the refugees, because of their unstable policy and lack of sympathy towards refugees. In this contact I would like to know the number of refugees in West Bengal, Tripura and Assam, who are still to be rehabili tated and who still roam about as beggars; the total amount spent so far on the rehabilitation of and amenities provided to the refugees; and the amount earmarked for this purpose during Fifth Five Year Plan ?

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur): Sir, I would like to know the steps taken to rehabilitate those refugees, who have left the lands given to them under Dandkaranya Project in Madhya Pradesh and who are wondering here and there; and the steps Government is taking to properly settle those refugees who live at a distance of 25-30 miles from the agricultural land allotted to them. I would also like to point out that the amount allocated for the new refugees is much less than it should have been.

श्री समर गुह (कन्टाई) : यह उन लोगों की दुखद गाथा है जिनके लिये स्वतंत्रता एक मधुर स्वप्न ही बन रही और जिन्हें स्वतंत्रता बहुत महंगी पड़ी। इन लोगों की न केवल राष्ट्रीयता गई बल्कि धन-दौलत सब गई। लगभग 65 लाख लोग भिखारी बन गये। इनके पुनर्वास की पूर्ण जिम्मेदारी सरकार पर है। राष्ट्र इसके लिये वचनबद्ध है। आज 25 वर्ष बाद भी सरकार इस समस्या को हल क्यों नहीं कर पाई है ?

सरकार ने यह एक जोखिम का निर्णय लिया है। 'शरणार्थियों' और 'विस्थापितों' की परिभाषा अब समाज की 'कमजोर वर्ग' के रूप में की जायेगी। योजना मंत्री ने यह वक्तव्य कलकत्ता में दिया था। यदि यह ठीक है और सरकार ने इन शब्दों का लोप करने का निर्णय कर लिया है तो यह लोगों के साथ विश्वासघात होगा।

जैसे कि मैंने कहा उनमें से 1,10,000 कैम्पों में हैं पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों की निष्क्रांत संपत्ति क लिये सरकार ने दो सौ करोड़ रुपए दिए हैं। हमें बंगलादेश सरकार से भी इस निष्क्रांत संपत्ति के बारे में बातचीत करनी चाहिये। जिन शरणार्थियों की संपत्ति "शत्रु सम्पत्ति" घोषित की गयी है, उन्हें अनुग्रहपूर्वक मुआवजा देने की भी समस्या है। यदि आप लोगों के साथ देशद्रोह नहीं करना चाहते तो "शरणार्थी अथवा विस्थापित व्यक्तियों" नामक शब्दों का लोप न करें। लोक इस प्रकार के देशद्रोह को सहन नहीं करेंगे।

सरकार ने अंडमान में 75,000 शरणार्थियों का पुनर्वास करने का जो आश्वासन दिया था उसका क्या बना। सरकार ने इस दिशा में क्या किया ? इस दिशा में क्या कदम उठाये गए?

अपने 21,000 परिवारों का पुनर्वास करने की योजना बनायी है। शेष परिवारों का क्या बनेगा ? उनका पुनर्वास करने के लिये आप क्या कर रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): The Government has so far rehabilitated one lac families and 25,000 one still remains to the rehabilitated. The Ministry had been a total failure in tackling the issue of rehabilitation.

Refugees are not only liking in West Bengal but also in Mana camp of Madhya Pradesh what is the scheme of the Government to rehabilitate these refugees. What type of facilities government is going to provide to these refugees?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : हमने पश्चिम बंगाल के विस्थापितों के लिये 208 करोड़ रुपए और पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिये 345 करोड़ रुपए व्यय किये ।

श्री समर गुह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आंक... ठीक नहीं है । इस सम्बन्ध में भेदभाव हुआ है । आप आंकड़ों का सहारा लेने का प्रयास न करें ।

सभापति महोदय : यदि इन्होंने गलत बात कही है तो आप नियम के अनुसार चलें । इन्हें अभी अपना भाषण जारी रखने दें ।

श्री आर० के० खाडिलकर : मैंने वे आंकड़ें दिये हैं जिनमें मुआवजा शामिल नहीं । विस्थापितों की देखरेख आजादी से अब तक भलीभांति की गयी है । सरकार ने यह विशेष जिम्मेदारी समझकर निभाया है । उनका पुनर्वास लगभग किया जा चुका है । 23,2.. परिवारों का पुनर्वास पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया जायेगा ।

इस समस्या का हल एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से किया जाना चाहिये । इसका राजनैतिक लाभ उठाना उचित नहीं है ।

ऐसा सुझाव दिया गया है कि इस समस्या के अंशत: सुलझाने के बजाय बेहतर तो यह होगा यदि पश्चिम बंगाल सरकार शरणार्थियों की इन सब समस्याओं को हल करने के लिये कोई व्यापक योजना बनाए । इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन्हें सुनियोजित रूप में बसाया जाए ताकि पश्चिम बंगाल का विकास और पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों की शेष समस्याएं एक साथ निपटाई जाएं और पश्चिम बंगाल के जीवन की मुख्य धारा में उनका भी विलय हो जाए ।

स्वामित्व प्रदान करने का प्रश्न उठाया गया है । 26 जनवरी को उद्घोषणा की गई थी कि इन्हें पूरे स्वामित्व के अधिकार मिलेंगे । उन्हें पट्टे देना तो राज्य सरकार का कार्य है और यह कार्य शीघ्र ही किया जायेगा ।

पूर्ण स्वामित्व की भूमि वालों में 23,000 लोगों को लाभ होगा । पहली भूमि वालों में 1,02,000 प्लाटधारियों को लाभ होगा । शहरी क्षेत्रों में रहने वालों को मामूली भूमि किराये पर पट्टे की भूमि दी जायेगी । इसमें उन्हें सट्टेखोरों से सुरक्षा मिलेगी क्योंकि वे बिना अनुमति प्राप्त किये इस भूमि को नहीं बेच सकेंगे । अन्य समस्याओं के बारे में हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं । वर्तमान बृहत योजना जिस रूप में अब हमारे सामने है, 150 करोड़ रुपए की है । पहले यह 125 करोड़ रुपए की थी, फिर इस राशि को बढ़ाकर 150 करोड़ कर दिया गया है । कलकत्ता महानगर विकास योजना और आवश्यकता पर आधारित योजना आयोग की योजना में उनके रोजगार पुनर्वास तथा विकास कार्यों पर ध्यान दिया जाएगा । यह सुझाव गलत है कि हमें शरणार्थियों को अलग रखना है । हमारा पहला प्रयास यही होगा कि शरणार्थियों को बंगाल के राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा के साथ मिलाया जाये ।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार 21 मार्च 1974/30 फाल्गुन 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Thursday, March 21 1974/Phalguna 30, 1895 (Saka)

GIP N—S8—6 L.S.S./ND/74—5-7-74—490